खण्ड-295, अंक-7
शुक्रवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1894
(31 मार्च, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 295 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५९५–५९९
प्रश्नोत्तर	५९९–६२७
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	६२७
प्रतिनिहित विधायन समिति का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	६२७
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	६२८
नेशनल हेराल्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	६२८–६३०
अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नामों की सूचना	६३०–६३१
उद्योग राज्य मंत्री, श्री देवकी नन्दन विभव के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना क सम्बन्ध में जानकारी	६३१
कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्यों के नामों की सूचना	६३१
विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के नामों की सूचना	६३१
शहरी सम्पत्ति सीमा तथा कृषि भूमि सीमा निर्धारण विधेयकों के सम्बन्ध में जानकारी	६३२
इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	६३२–६३६
उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नौकरी समाप्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य	६३६–६३७
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	६३७–६४१
राज्य सभा के निर्वाचन में सरकार द्वारा कथित भ्रष्ट तरीके अपनाने पर आपत्ति ..	६४१–६४३
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव .. (स्वीकृत) ..	६४३–६६५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	६६६
नत्थियां	६६७–६८४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३१ मार्च, १९७२

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३७६

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री

कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री

घासीयाम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकीचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वद्य, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण त्रिवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)

बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांक लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानू प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह ,श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी,श्री
महावेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महौरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल ,श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार शर्मा ,श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद , श्री
राम प्रसाद देशमुख,श्री

रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रित राज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनानाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छम्मू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री राम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री

सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुलिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, बेगम
हर नारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३१ मार्च, १९७२

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

शिक्षित नवयुवकों को रोजगार देने की योजना

**१—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ७२–७३ ७३–७४ के लिये शिक्षित नवयुवकों को रोजगार देने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है?

नियोजन उपमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)—

जी हां। तकनीकी शिक्षा प्राप्त तथा अन्य शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये ५६.७८ करोड़ रुपये की एक प्रायोजना बनायी गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन से लगभग ७० हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है। रोजगार पाने वाले व्यक्तियों में ७७९ अभियांत्रिक स्नातक, ३०८३ अभियांत्रिक उपाधिधारी, ३,६२१ कृषि स्नातक, २२९ पशु चिकित्सा स्नातक, ५५६०० प्राइमरी स्कूल अध्यापक, ४४७ विद्यालय अवर उप-निरीक्षक, २,००२ लिपिक तथा १,००५ अन्य तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त ३,३५० अन्य व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। यह योजना भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजी गयी है और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस योजना में इतने लोगों को रोजगार देने की बात है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत है वह योजना क्या है ? और उसका क्या प्रारूप है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

मान्यवर इस प्रायोजना के अन्तर्गत ९ योजनायें शामिल हैं जो निम्न हैं :---

१---थर्मल जेनरेशन परियोजनाओं के सर्वेक्षण की योजना ।

२---ट्रान्समिशन एवं डिस्ट्रीव्यूशन लाइन के सर्वे और प्रोफाइलिंग की योजना ।

३---सिंचाई तथा बहु उद्देशीय नदी घाटी प्रायोजनाओं के अन्वेषण एवं अनुसंधान कार्य में बेरोजगार तकनीकी एवं शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने की योजना ।

४---सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा उपाधिधारी लोगों को रोजगार प्रदान करने की योजना ।

५---बेरोजगार स्नातक तथा उपाधिधारी इंजीनियरों की जल सम्पूर्ति योजना के अन्तगत रोजगार दिलाने की योजना ।

६---बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार देने की योजना ।

७---राजकीय नलकूपों के क्षेत्र में मल्टीपुल क्रापिंग के कार्यक्रम को प्रगाढ़ बनाकर कृषि स्नातकों को रोजगार देना ।

८---कुछ चुने गये पशु चिकित्सालय की विलेज ब्लाकों वर्थ संग्रह केन्द्रों और जिला डायमोगेस्टिक डिजीज कन्ट्रोल सेलों में पशु चिकित्सा स्नातकों को रोजगार दिलाने की योजना ।

९---शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने तथा प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक-छात्र अनुपात में सुधार करने की योजना ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि इन ९ प्रायोजनाओं में क्या कोई उद्योग धन्धे और व्यापार कराने की योजना भी शामिल है ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें नवयुवकों को रोजगार दिलाने का प्रश्न है, व्यापार का नहीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

ये जो ५६ करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हेतु भारत सरकार को भेजी है ये दो बर्ष की है और क्या इसमें प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार की आधी-आधी रकम होगी या केन्द्रीय सरकार इस सारे धन को देगी क्या माननीय मंत्री जी बतायग ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

आग्रह तो यही है कि केन्द्रीय सरकार हमको यह पैसा दे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो दो वर्षों की योजना रोजगार दिलाने की हैं, उसम कितने व्यक्ति बच जाते हैं जिनको रोजगार नहीं मिल सकगा और इन दो वर्षों में कितन और बेरोजगार हो जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष;---

इसमें यह कहां लिखा है कि २ साल के पहले उनको काम दिया जायेगा ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार नवयुवक कितने हैं?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा---

मान्यवर, यह तो बहुत विस्तृत बात है लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे शिक्षित बेकार जो हैं उनकी संख्या १.८५ लाख है। हमारे पास और भी दूसरों की फीगर्स हैं, लेकिन वह बहुत विस्तार से हैं; यदि आप आज्ञा देंगे तो बता देंगे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

अगर केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लिये धन नहीं दिया तो भी क्या राज्य सरकार इस योजना को कार्यान्वित करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अपने आर्थिक साधनों के अनुसार कोशिश करेंगे।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

यह योजना केन्द्रीय सरकार को कब भेजी गयी ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

१५ दिसम्बर, १९७१ को।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

इस बजट में उस योजना के लिये एक पैसा भी नहीं रखा है तो क्या सरकार ने हिसाब लगा लिया है कि अगर यह ५६ करोड़ रुपया केन्द्र से नहीं मिला तो वह इस योजना के लिये रुपया कहां से लायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अभी तो केन्द्र से बातचीत चल रही है और मैं ऐसा नहीं समझता कि सहायता नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिली तो उसकी व्यवस्था कर ली जायेगी।

ओबरा थरमल बिजलीघर बन्द होने का खतरा

**२---श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री त्रिलोकचन्द (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोयले की कमी के कारण राजकीय औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए १५० मेगावाट बिजली सप्लाई करने वाला ओबरा थरमल बिजली घर के बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

जी नहीं, अभी कोई ऐसा खतरा नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

इस योजना के लिए प्रति दिन एक रेक कोयले की जरूरत है। यदि हां, तो क्या इतना कोयला इसको मिल रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

प्रति दिन ४८ मै० टन कोयले की जरूरत पड़ती है। बीच में रेलवे वैगन्स की कठिनाई के कारण कुछ दिक्कत पड़ गयी थी, लेकिन अब स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है।

श्री शम्भुनाथ तिवारी---

मन्त्री जी ने कहा कि अभी कोई खतरा नहीं है। लेकिन भविष्य में भी स्थायी रूप से कोई खतरा न रहे, इसके लिए वे क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

भविष्य में सप्लाई स्थिति तो और इम्प्रूव करेगी। अभी कोई खतरा दिखलायी नहीं पड़ता। वैसे भविष्य में क्या हो सकेगा, यह अभी कहना सम्भव नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इस समय उपलब्ध कोयले से जितनी बिजली पैदा हो रही है, वह निर्धारित लक्ष्य से कितनी कम है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इस समय ओवरा के सभी प्लान्ट चल रहे हैं और क्षमता भर उत्पादन हो रहा है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

प्रदेश के लिए जितना कोयला सन् १९७१ के लिए निर्धारित था उसका एक चौथाई ही मिल पा रहा है, तो पूरा पाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

कोयले की सप्लाई की दो एजेन्सीज हैं---एक मेसर्स एन० सी० डी० सी० लि० के सिधरौली खदान तथा मेसर्स यूनाइटेड, करनपुरा, कोलरीज प्रा० लि० कलकत्ता। बीच में रेलवे वैगन्स मिलने में कठिनाई हो गयी थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है और कमी को पूरा करने का प्रयास जारी है।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

मन्त्री जी ने कहा कि बिजली पूरी क्षमता भर पैदा हो रही है, यदि ऐसा है तो मऊनाथ भंजन में ४-४, ५-५ घंटे बिजली क्यों काट दी जाती है दिन में ? वहां ४-५ हजार पावर लूम्स हैं और बिजली नहीं मिलती है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इस समय जो बिजली की डिमान्ड है वह अधिक है लेकिन जो सप्लाई है वह अपनी जगह पर है। इस कारण कटौती करने की आवश्यकता पड़ गयी है और वह हो रहा है।

श्री महीलाल---

क्या मुख्य मन्त्री जी को ज्ञात है कि पश्चिमी जिलों में ट्यूब-वेल्स २४ घंटे में मुश्किल से ३,४ घंटे चल पाते हैं और बिजली की कमी की वजह से अधिकांश समय बन्द रहते हैं ? यदि यह उनकी जानकारी में है तो भविष्य के लिए वह क्या तरकीब सोच रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

इस समय यमुना कैनाल की रिपेयर हो रही है और उसका असर उसके ग्रिड पर हो रहा है। ९ अप्रैल तक उसकी मरम्मत हो जायगी। उसके बाद स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाने की आशा है।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों का वेतनमान

**३--श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

विधान सभा के तृतीय सत्र १९७१ के दिनांक ६ जनवरी, १९७२ के लिए निर्धारित अल्प सूचित प्रश्न संख्या ४ के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायगे कि सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के वेतनमान में संशोधन करने तथा उसमें बढ़ोत्तरी किये जाने के बारे में क्या शासन ने कोई अन्तिम निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो अवर वर्ग संवर्ग के वेतन-मान में संशोधन किये जाने के प्रश्न पर अभी तक कोई शासकीय आदेश प्रसारित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

जी नहीं। अवर वर्ग सहायकों के वेतन-मान में संशोधन का प्रश्न वेतन आयोग को उनके विचार हेतु भेज दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि २६ जूलाई, १९७१ को इसी सदन में मुख्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि अवरवर्ग के वेतन मानों का जो पुनरीक्षण होना है, उसके बारे में वेतन आयोग की प्रतीक्षा न करके शासन स्तर पर वृद्धि दे दी जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, यह मैंने कहा था--वेतन आयोग में न भेजकर सरकार के स्तर पर उसका निश्चय करने का हम प्रयास करेंगे और हमने विचार भी किया है और उसमें अंत में यह निश्चय हुआ कि वेतन-आयोग को सारे ऐसे मामले सुपुद कर दिये जायें। साथ ही उन से निवेदन कर दिया गया है कि वह बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें। इस लिए उसको परिधि से निकाल लेना उचित नहीं होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या यह सही है कि इस के पूर्व भी सम्भवतः चौधरी साहब ने जो आदेश दिया था और स्वयं मुख्य मन्त्री त्रिपाठी जी और कैबिनेट ने भी निर्णय कर लिया है ? इसके अलावा वेतन आयोग की रिपोर्ट तो सरकार के लिए केवल सिफारिश ही होगी, मानना न मानना सरकार पर निर्भर है। तो जब सरकार ने निर्णय कर लिया है तो उसे कार्यान्वित करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

फैसला तो सरकार का यही है कि इस को वेतन-कमीशन को सौंपा जाये। अब उसके बीच बहुत से विचारों का आदान-प्रदान होता है, लेकिन फैसला अन्तिम यही है कि यह वेतन कमीशन को जाये।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या यह सही है कि डिप्टी सेक्रेटरीज, असिस्टेंट सेक्रेटरीज और असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट के वेतन-मानों में इधर वृद्धि की गयी है ? उन के मामले को वेतन आयोग को क्यों नहीं सुपुर्द किया गया ? जो निर्णय हमारे जमाने में हुआ था और जिसको मुख्य मन्त्री जी ने भी उचित समझा था, उस को ही वेतन आयोग के सामने भेजने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जहां तक मुझे स्मरण है--यदि मैं भूल नहीं करता, चौधरी साहब ने जो फैसला लिया था वह कार्यान्वित नहीं हुआ--शायद तत्कालीन वित्त सचिव और मुख्य सचिव से बात करने

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

के लिए और उसके बाद ६–८ महीने वह फैसला पड़ा रहा उनकी गवर्नमेंट के समय में और वह कार्यान्वित नहीं हुआ। जब यह मामला मेरे सामने आया, किन कारणों से कार्यवाही नहीं हुई, नहीं जानता, सम्भवतः दूसरा पक्ष सामने आया, यह हुआ कि उस पर और विचार करने की आवश्यकता है, लिहाजा ८–१० महीने तक फाइल पड़ी रही, जब मेरे सामने प्रश्न आया, मैंने देखा कि चौधरी साहब का एक फैसला है, मैंने उचित समझा फैसला, मैंने लिखा कि यह फैसला हो चुका है, लिहाजा चालू कर देना चाहिये। फिर यह प्रश्न सामने आया कि इसमें कई कठिनाइयां हैं उनका जिक्र करूंगा और कैबिनेट में मामला गया। वेतन आयोग से भी आया कि हमारे सुपुर्द जो काम कर दिये गये हैं उनको बार-बार निकाला जाता है, जो फैसला किया वह ठीक है, लेकिन जो सुपुर्द कर दिया गया अगर उस को हमारी परिधि से निकाल देते हैं तो एक प्रकार से वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं है। उनसे कहा कि इतना मामला अरजेंट है, पुरानी गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया था, हम भी मुनासिब समझते हैं, इस दृष्टि से हम विचार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में आपको अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार है, मुझे अवकाश दीजिये। अन्तरिम रिपोर्ट जैसे एक, दो रिपोर्ट दी है वह सम्भवतः इसके ऊपर रिपोर्ट दे देंगे। एक बात और है, कई मुहकमे ऐसे हैं जिनकी ओर से मांग होने लगी, वेतन आयोग के गठन के बाद, वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से, कि वेतन आयोग से बाहर ले कर बाहर से सरकार फैसला कर ले। जब अवर वर्ग का मामला शुरू हुआ तो कई जगह से, एडवोकेट जनरल के आफिस से, हाई कोर्ट से, कई जगहों से इस तरह की मांग बराबर आने लगी तो यह विचार हुआ मन्त्रि-परिषद् में, मन्त्रि-परिषद् की कार्यवाही ऐसी नहीं है जिसे निवेदन करने में बाधा हो, अगर एक को भी इस तरह से बाहर किया गया तो दूसरों की मांग का प्रतिरोध नहीं कर सकेंग। इस लिए मुनासिब है कि वेतन आयोग से कहा जाय कि जल्द से जल्द अन्तरिम रिपोर्ट दे। वह हमारी बात स्वीकार कर चुके हैं। शीघ्र रिपोर्ट आयेगी और शीघ्र ही हम उस पर फैसला ले लेंगे।

श्री चरण सिंह—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने दो बातें पेश करना चाहता हूं, उनका जवाब नहीं आया। एक तो यह कि क्या फैसला लिया, जो इस तरह के प्रश्न हैं, उनके सामने जाने चाहिये, वेतन आयोग ने प्रोटेस्ट किया कि इन सब मामलों में कोई फैसला लेंगे तो वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं थी। मैं सहमत हूं, उनका प्रोटेस्ट सही है। लेकिन मैं जानना चाहता था कि क्या यह सही है कि डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट्स का वेतन-मान बढ़ाया गया है वेतन आयोग के गठन के बाद ? अगर उनका वेतनमान बढ़ाया गया और उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, या उस के बाद प्रोटेस्ट किया जब अवर वर्ग सहायकों का मामला विचाराधीन था, तो क्या यह सम्भव या उचित नहीं था कि गवर्नमेंट के लिए वेतन आयोग की नोटिस में लाना कि जो बड़े अफसर हैं, उनका वेतनमान बढ़ा दिया गया बावजूद आपके गठन हो जाने के, इन लोगों का मामला डिस्टिंगुइशेबिल है, एक तो छोटे हैं, दूसरे इस कारण भी है कि इसके मुताल्लिक पहले गवर्नमेंट फैसला ले चुकी थी ? जो फैसला मैंने लिया था, वह फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और ज्वाइंट फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सब के आने के बाद, उन के सामने लिया था। मेरा फैसला गालिबन जुलाई में हुआ। दो महीने के बाद गवर्नमेंट नहीं रही। उस के बाद दूसरी गवर्नमेंट आयी। फिर यह गवर्नमेंट आयी। जब आप स्वयं उचित समझते हैं, फिर मैं अर्ज करूंगा, दोहराने के लिए मैं माफी चाहता हूं, डिस्टिंगुइशेबिल इस सेंस में है, चीफ मिनिस्टिर ही सही, वह फैसला ले चुका था, उसके बाद वेतन आयोग की प्रोटेस्ट पर अमल करना मेरी राय में उचित नहीं था, अगर मुख्य मन्त्री अपना दृढ़ इरादा रखते तो हो सकता था। मैं आपकी इजाजत से अर्ज करूंगा कि क्या इस सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि जो कुछ हुआ वह हुआ, शीघ्र से शीघ्र विचार कर लें, वेतन आयोग की रिपोर्ट न मालूम कितने दिन में आयेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, असिस्टेंट सेक्रेटरीज और असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट्स की जो बात कह रहे हैं, मुझे स्मरण नहीं है, कब फैसला हुआ लेकिन जैसा कि चौधरी साहब कह रहे हैं, सम्भवतः सही होगा, वेतन आयोग का गठन होने पर उन पर कुछ फैसला लिया गया होगा। अगर ऐसा किया गया है तो मैं समझता हूं कि यह इस दृष्टि से हुआ होगा कि यह बहुत छोटा-सा संवर्ग है, लेकिन अवर वर्ग, संवर्ग बहुत बड़ा है और सारे सूबे में फैला हुआ है। उसको निकाल लिया जायगा तो बहुत बड़ा फैसला लेने की जरूरत होगी। जो मामला वेतन आयोग के सुपुर्द कर दिया गया है, उसको उससे बाहर नहीं निकालना चाहिये और जल्दी से जल्दी वेतन आयोग से फैसला ले लेना चाहिये। शीघ्रता से कार्य करने वाली बात सही है और उम्मीद है कि बहुत शीघ्र फैसला हो जायगा और बहुत शीघ्र उनकी रिपोर्ट हमको मिल जायेगी।

सीतापुर के बिजली कर्मचारियों की भूख हड़ताल

**४—श्री कल्पनाथ सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री बंशीधर पाण्डेय, (जिला वाराणसी), तथा श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि सीतापुर के बिजली कर्मचारी पिछले एक महीने से लगातार भूख हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार को उनकी मांगें मानने में क्या कठिनाई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी हां।

दिनांक २७ दिसम्बर, १९७१ को सीतापुर में एक जीप दुर्घटना हुई थी जिसमें जीप ड्राइवर की तत्काल मृत्यु हुई, तथा उप मंत्री महोदय तथा उनके दो साथी भयंकर रूप से घायल हो गये थे। राज्य विद्युत परिषद् ने प्रारम्भिक जांच के उपरान्त एक कर्मचारी को सेवा निवृत किया तथा दो कर्मचारियों को निलंबित किया था। भूख हड़तालियों की मांग है कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जाय। मामले में मजिस्टीरियल जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह जो घटना हुई है इसका विद्युत कर्मचारियों से क्या सम्बन्ध है और किस तारीख को यह घटना हुई है ? उसके बादकौन-कौन से लोगों ने जांच का प्रतिवेदन किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

२७ दिसम्बर, १९७१ को सीतापुर के अन्तर्गत यह दुर्घटना हुई। वहां पर विद्युत विभाग की लाइन बन रही थी और तार रास्ते में पड़ रहा था जिससे उलझकर यह जीप दुर्घटना हुई। विद्युत् परिषद् के अधिकारियों द्वारा यह जांच करायी गयी और उसने अपने कर्मचारियों का दोष पाया और उसने सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की और सरकार ने मजिस्टीरियल इन्क्वायरी करवाने की भी व्यवस्था कर दी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह जांच कब हुई और किन परिस्थितियों में मजिस्टीरियल इन्क्वायरी करने की आवश्यकता महसूस हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस दुर्घटना की तत्काल एक एस० ई० ने जांच की और इसके पश्चात् विस्तृत जांच के लिए वहां के जिलाधीश को यह कार्य सौंप दिया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

हाइडल विभाग के अधिकारियों की जांच के उपरान्त क्या सरकार उससे संतुष्ट नहीं हुई और तब उसने यह मामला जिलाधीश को मजिस्टीरियल इन्क्वायरी के लिए दिया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जब कभी ऐसी दुखद दुर्घटनाएं होती हैं तो दोनों प्रकार की जांच की आवश्यकता होती है। विभागीय कार्यवाही विद्युत विभाग ने की क्योंकि उसका दायित्व था, तार वहां बिछा रह गया था। इसके अलावा चूंकि एक व्यक्ति की जान गयी, एक उप मन्त्री राज्य का घायल हुआ और उस के चोट आयी और दो अन्य व्यक्ति भी घायल हुये तो उसके लिए मजिस्टीरियल इन्क्वायरी करवाना भी जरूरी समझा गया।

श्री नित्यानान्द स्वामी—

कर्मचारी विभाग की जांच से संतुष्ट नहीं हैं कि वह इसमें दोषी हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार किसी और एजेंसी से जांच करवायेगी ? और जब तक उस जांच का निष्कर्ष नहीं निकल आता है तब तक के लिए जो दण्ड दिया गया है कर्मचारियों को, उसको वह स्टे करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मजिस्टीरियल जांच जो हो रही है वह दूसरी ऐजेंसी ही है, वह उस विभाग की जांच नहीं होगी। उसके आधार पर जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह उत्तर दिया जाय कि जब तक मजिस्टीरियल इन्क्वायरी का निष्कर्ष नहीं निकल आता है तब तक जो कार्यवाही की गयी है उसको वह स्टे करेंगे। कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब तक जांच रिपोर्ट आती है तब तक वे दंडित कर्मचारियों को स्टे का आदेश दे देंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, ऐसे प्रश्नों पर जहां पर कि ऐसी दुर्घटनाएं हुई हों, उनमें कड़ाई से काम लेना पड़ता है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिये स्टे आर्डर का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, वे किस तारीख से भूख-हड़ताल कर रहे हैं और उसमें क्या केवल वे ही कर्मचारी हैं जो निकाले गये हैं या दंडित किये गये हैं अथवा उसके अतिरिक्त कुछ और कर्मचारी भी उसमें शामिल हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, वे कर्मचारी जिनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, वे तो इस हड़ताल में सम्मिलित हैं ही किन्तु उसमें मजदूर यूनियन और अन्य लोग भी सम्मिलित हैं। विद्युत् परिषद् ने जो आवश्यक कार्यवाही की उससे हम संतुष्ट हैं क्योंकि जैसा विद्युत् मंत्री जी ने बतलाया कि इस घटना में एक व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गये। ऐसी परिस्थिति में इन सब चीजों को देखने के लिये ऐसी कार्यवाही करना बहुत ही आवश्यक प्रतीत हुआ और वह की गई।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मंत्री जी ने यह स्वयं स्वीकार किया है कि यह दुर्घटना बहुत ही गंभीर है। यह भी मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं जिनका इससे कोई संबंध नहीं था। ऐसी गंभीर स्थिति में क्या माननीय विद्युत् मंत्री और राज्य मंत्री उस स्थान पर जाकर समस्या को सुलझाकर और उसका निष्कर्ष निकालने का आश्वासन सदन को देंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस घटना के तत्काल बाद माननीय विद्युत् मंत्री के आदेशानुसार मैं उक्त स्थान पर गया और मैंने देखा कि उस मामले में विद्युत् परिषद् के अधिकारियों द्वारा जांच हो रही है। मैंने आकर विद्युत् मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे तत्काल एक उच्चस्तरीय जांच जिलाधीश के द्वारा कराने के आदेश दे दें। तदनुसार इसके आदेश दे दिये गये।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि यह घटना गंभीर है और यह भी स्वीकार किया है कि इसमें एक उप मंत्री और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए जिन दो आदमियों को मुअत्तिल किया गया उनके अतिरिक्त भी जो दोषी पाये जाएं उनके ऊपर सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो यह मामला मजिस्ट्रेट के सुपुर्द किया गया है।

(अगले प्रश्न के लिये श्री अनन्तराम जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

एक सवाल की और इलाजत दें।

श्री महीलाल—

मान्यवर, आपके आसन से एक बार यह व्यवस्था हो चुकी है कि जब आप अगला प्रश्न पुकार चुके हों तो पिछला प्रश्न नहीं लिया जायगा। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री अनन्तराम जायसवाल का नाम लिया। किन्तु वे हैं नहीं। अभी मैं किसी प्रश्न पर नहीं गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में जो आदेश सरकार के हुए हैं निलम्बन से न केवल वे कर्मचारी जो दंडित हुए हैं क्षुब्ध हैं बल्कि पूरी की पूरी मजदूर यूनियन भी उससे क्षुब्ध है। तो क्या सरकार जल्द से जल्द मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत करके भूख हड़ताल को समाप्त कराने का प्रयास करेगी?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

भूतपूर्व चकबन्दी आयुक्त द्वारा हस्तगत गैर कानूनी चक

*१—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया जांच करवा कर बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कन्सालीडेशन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश ने गैर-कानूनी व फर्जी हस्तान्तरण व ग्राम समाज की आराजी से गैर-कानूनी बदलाव द्वारा उन्होंने अपने व अपने कुटुंबियों के नाम ग्राम गुग्गौर, परगना कुर्सी, तहसील फतेहपुर, जिला बराबंकी में करीब ८० बीघा पोख्ता का चक हासिल कर लिया है ? यदि हां, तो शिकायत का विवरण क्या है ? और शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

जांच से मालूम हुआ है कि भूतपूर्व चकबन्दी आयुक्त व उनके परिवार के सदस्यों के नाम ग्राम सभा गुगौर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा सन् १९६५ में पट्टे दिये गये थे। जांच से यह भी पता चला है कि यह पट्टे नियमानुकूल नहीं थे।

इन पट्टों के आधार पर दाखिल खारिज भी उन लोगों के नाम हुआ। चकबन्दी के दौरान चकबन्दी आयुक्त और उनकी पत्नी का नाम खारिज होकर उनकी भूमि पर सर्वश्री, शफीक अहमद व मुहम्मद रजा के नाम दर्ज हुए। जांच से यह भी मालूम हुआ है कि चकबन्दी के दौरान जो भूमि का परिवर्तन गांव सभा की भूमि से हुआ, उसमें भूतपूर्व चकबन्दी आयुक्त के एक पुत्र की भी भूमि थी। जांच अभी जारी है।

*२—श्री अनन्तराम जायसवाल (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह कृपया बतायेंगे कि क्या बाराबंकी जैसी ही उपर्युक्त कन्सालीडेशन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश ने किसी अन्य जिले में भी भूमि हासिल की थी ? यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं ? और शासन द्वारा उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अन्य किसी जिले के बारे में सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

गाजीपुर जिले के ग्राम गहमर में हरिजन बस्ती

*३—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले में गहमर गांव के हरिजनों की बस्ती बनाने के लिये सन् १९६३ में सरकार ने लगभग ७,६०० रु० भदौरा विकास क्षेत्र को स्वीकृत किया था? यदि हां, तो उसका क्या उपयोग हुआ ?

सूचना उप-मंत्री (श्री गुलाब सिंह) —

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री मुझसे यह सूचना ग्रहण करेंगे कि उन्होंने जो उत्तर मुझे दिया है, सदन को दिया है वह एक दम गलत और मिथ्या है और उनको गलत सूचना दी गयी है ? अतः इस बात की पुनः जांच कराकर के दूसरा उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाबसिंह---

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं उनको शंकाएं हैं । हमारे पास यह सूचना है कि उत्तर सही है और आप कह रहे हैं गलत है तो जांच करा लेंगे इस पर ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या मंत्री जी को पता है कि गाजीपुर जिले का जो गहमर गांव है वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है और इसमें डेढ़ हजार घर हैं कम से कम हरिजनों के और गवर्नमेन्ट ने आज से १० वर्ष पूर्व ८ एकड़ जमीन अलाट किया था उनकी बस्ती के लिये, जिसके लिये रुपया भी दिया था लेकिन हजार, ५०० रु० कम्पेंशेशन नहीं दिया जा सका इसलिये ८ एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है, इसलिये पुनः विभाग को आदेश देंगे कि उस जमीन पर गहमर गांव के हरिजनों की बस्ती बनाने के लिये उन्हें दिला दिया जाय ?

श्री गुलाब सिंह---

जैसा कि मैंने पहले बताया कि हरिजनों के लिये रुपया हमारी तरफ से दिया नहीं गया । माननीय सदस्य का एक सजेस्शन है तो लिख कर दे दें, तो जरूर जांच की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर भी विचार हो और साथ ही इसकी सूचना दें कि किसने गलत सूचना दी, इसको भी सूचना सदन को दें । अगर गलत निकले तो यह भी बताइए कि यह सूचना किसने दी और क्यों गलत दी।

वन मंत्री (श्री अजीतप्रताप सिंह)---

यह बिलकुल सही है जो उत्तर दिया गया । यह रुपया अनुसूचित जातियों के लिये नहीं था ।

श्री कृष्णानन्द राय---

बावजूद इसके कि मैं पूर्व जानकारी से यह सूचना दे रहा हूं कि हरिजनों के लिये रुपया स्वीकृत हुआ था, जमीन अक्वायर कर ली गयी थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो उनको गलत सूचना दे दी उसी पर स्टिक कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि मुझे खेद है, इसकी जांच करा लीजिये । अगर मेरी बात सही निकले तो उनको सदन से क्षमा मांगनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह १९६३ का मामला है, बहुत पुराना है । लेकिन चूंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि दुरुपयोग हुआ, पैसा सही उपयोग में नहीं आया तो इसको देख लेंगे माननीय मंत्री जी ।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं का चारा

*४---श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार ने पशुओं के चारे के लिए अक्तूबर माह, १९७१ में कितना क्विन्तल भूसा भेजा ? किन-किन तहसील क्षेत्रों के किन-किन गांवों में बिक्री किया गया ? पूरा विवरण क्या है ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

आजमगढ़ जिले में माह अक्तूबर, १९७१ में केवल ३८४.०१ कुन्तल भूसा पहुंचा जिसमें से १२७.५० कुन्तल उसी माह में वितरित किया गया । विवरण संलग्न सूची में दिखाया गया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६७ पर)

श्री श्यामलाल कनौजिया—

क्या माननीय राजस्व मंत्री जो यह बतायेंगे कि अक्तूबर माह में कुल १२७ क्विन्टल, ५० किलोग्राम भूसा वितरित हुआ है तो भूसा और किस-किस महीने में कितना-कितना कौन-कौन गांव में वितरित हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी सूचो लगी हुई है, उसमें देख लें।

श्री श्यामलाल कनौजिया—

उपाध्यक्ष महोदय, सूचो नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि बाकी भूसा किन-किन गांवों में किस-किस महीने में वितरित हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको विस्तार से पढ़ लीजिये। इसमें सब सूचना है। मैं आगे चलता हूं।

श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब घोसी तहसील के घाघरा नदी के किनारे के जहां सैंकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित रहे हैं, क्षतिग्रस्त रहे हैं और राजस्व मंत्री गये थे दुवारी क्षेत्र में, तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि क्यों वहां एक भी गांव म भूसा वितरित नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष —

यह दूसरा प्रश्न है। यह पूछा गया है कि आजमगढ़ जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के चारे के लिये अक्तूबर माह, १९७१ में कितने क्विटल भूसा भेजा गया इसका पूरा जवाब है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के लिये जिलधिकारी ने कितने भूसे की मांग की थी और इतना कम भूसा भेजने का क्या कारण है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, भूसा कहीं ज्यादा मांगा गया था और ज्यादा आया लेकिन यह तो अक्तूबर महीने की फिगर्स दी गई है। उस समय वैगनों की बहुत कमी थी और भूसा सब जगह जितने वैगन मिल जाते थे भेजा जा रहा था।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी इसको जांच करायेंगे कि आजमगढ़ के किसी गांव में निर्धारित मूल्य पर एक छटांक भी भूसा नहीं बेचा गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जरूर जांच कराऊंगा। अगर वे चाहें तो उन गांवों के नाम दे दें जिनमें वे चाहते हैं कि जांच करा ली जाय।

भावर सब-डिवीजन, जिला नैनीताल के निवासियों को आवंटित भूमि

*५—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

विधान सभा की बैठक २० अगस्त, १९७१ ई० को नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या २ के उत्तर के क्रम पर क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जिला नैनीताल में भावर सब-डिवीजन में जो २०७.४९ एकड़ भूमि इसी सब-डिवीजन के निवासियों को आवंटित की गई है, यह किन-किन

ग्रामों में किन व्यक्तियों को किस माह में की गई और इसके आबंटित करने का आधार क्या बनाया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला नैनीताल के भावर सब डिवीजन में निकली २०७.४९ एकड़ भूमि जिन लोगों में वितरित की गई है, उसकी सूची संलग्न है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० में वर्णित प्राविधानों के अनुसार वितरित की गई।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६६९ पर)

ग्राम शाहजहांपुर खालसा, जिला फतेहपुर की भूमि पर अनियमित कब्जा

*६—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील अन्तर्गत ग्राम शाहजहांपुर खालसा में शासन के स्वामित्व की बहुत सी वग ६ (२) किस्म की भूमि पर अनियमित ढंग से निहित स्वार्थ के कुछ व्यक्तियों ने अल्प समय से सरकारी कागजात में अपने नाम अंकित करा कर कब्जे में कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि का संपूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

ग्राम शाहजहांपुर खालसा में वर्ग ६(२) के अन्तर्गत केवल ६ बीघा १५ बिस्वा भूमि बिना लगानी सर्वश्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र प्रताप सिंह व महेन्द्र प्रताप सिंह के नाम खाता नं० १५५ के भूमि नं० मि० ९९ के रूप में दर्ज है। यह भूमि जमींदारी विनाश के पूर्व १३५९ फसली की खतौनी में श्री अद्या शरण सिंह, पुत्र फतह बहादुर साकिन, जहानाबाद के नाम वर्ग १५(२) में खाता नं० ८९ बी के भूमि नं० ३२३ ४ के रूप में बिना लगानी दज थी। चकबन्दी के दौरान बनाई गई खतौनी में भी उक्त भूमि खाता नं० १५९ के गाटा न० ९९ के रूप में उपरोक्त श्री अदया शरण सिंह के नाम दर्ज हुई और इसी के आधार पर उन की मृत्यु के उपरान्त उनके उपरोक्त चारों लड़कों के नाम दर्ज हुई। बिना पूर्ण जांच किये हुए अभी यह कहना कठिन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के कब्जे नियमित हैं अथवा अनियमित। उपरोक्त भूमि से संबंधित १३५९, १३६० तथा १३७९ फसली वर्षों की खतौनियां १३७८ फसली का खसरा व जोत चकबन्दी आकार-पत्र ४५ की प्रमाणित प्रतिलिपियां मरे कमरे में देखी जा सकती हैं।

*७—श्री इन्द्रजीत—

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्तांकित किस्म की शासकीय भूमि को मुक्त कराने के लिये शासन ने अब तक क्या कायवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस दिशा म क्या कोई कार्यवाही करने का इरादा शासन का है? यदि हां, तो क्या?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पूर्ण जांच के उपरान्त ही कार्यवाहीं करने का प्रश्न उठेगा।

श्री इन्द्रजीत—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ग ६(२) की भूमि है यह किस किस्म की है और इस पर वीरेन्द्र प्रताप सिंह, राजेन्द्र प्रताप सिंह, सरेन्द्र प्रताप सिंह तथा महेन्द्र प्रताप सिंह क नाम क्यों दर्ज है? और वे इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री उदितनारायण शर्मा---

यह जाहिरा गलत मालूम होता है लेकिन दुरूस्त करने में कठिनाई पैदा हो गई है। इसको कैसे दुरूस्त कर सकते हैं इस पर विचार विमर्श हो रहा है।

श्री इन्द्रजीत---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १३५९ फसली की खतौनी में जमींदारी विनाश के पूर्व यह जमीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निहित थी और उस समय जो जमींदार थे उन्होंने गलत नाम से दर्ज करा रखा है? क्या उनको खारिज कराकर सार्वजनिक प्रयोजन के लिये इसको लेंगे और इसम बाजार लगता है, वहां लोगों ने बिल्डिंग्स बना ली हैं, क्या उसकी जांच करायेंगे?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मान्यवर, यह सही है कि १३५९ फसली की खतौनी में यह सार्वजनिक भूमि दर्ज थी, इसलिये इसको सार्वजनिक भूमि ही रहनी चाहिये थी लेकिन १३५९ फसली की खतौनी में इसका इन्दराज हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह इन्दराज नहीं होना चाहिये था। १३५९ फसली के इन्दराज को १३६० फसली की खतौनी में हूबहू नकल कर दिया गया।

इस संबंध में एक बात और बता दूं। इस तहसील में चकबन्दी हो रही है। चकबन्दी के लिहाज से फिर इनको काश्तकारी के हकूक दे दिये गये ह। काश्तकारी हकूक दे दिये जाने से उस भूमि में उनका स्वामित्व हो जाता है। इसे कैसे ठीक किया जाय, इस पर हम विचार कर रहे हैं। साधारण कार्यवाही की जाय, कायदे की कार्यवाही की जाय नालिश की जाय--- इस विषय पर हम सोच रहे हैं। यह सही है कि वहां पर बाजार लगता है। उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं।

ग्राम मानकी, जिला हमीरपुर में भूदान समिति द्वारा भूमिहीनों को दिये गये पट्टे

*८---श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मानकी, तहसील चरखारी, जिला हमीरपुर में भूदान समिति ने ६४ भूमिहीन खेत मजदूरों तथा हरिजनों के नाम स्थायी सीरदारी के पट्टे कर दिये हैं परन्तु जंगल विभाग के कर्मचारी उस जमीन पर अनधिकृत कब्जा किये हुए हैं? इसकी शिकायत उक्त काश्तकारों ने राजस्व मंत्री को दिनांक २३ जुलाई, १९७१ और १९ अगस्त, १९७१ को प्रार्थना-पत्र देकर की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और काश्तकारों को कब्जा दिलाने के लिये क्या कदम उठाय गय?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

भूदान समिति द्वारा ६४ व्यक्तियों को पट्टा देने की बात सत्य है किन्तु प्रश्न गत भूमि पर वन विभाग के अनुसार उनका स्वामित्व है। कुछ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ह, जिनके संबंध में जिलाधिकारी वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं।

श्री सजीवन लाल---

वन विभाग के अनुसार इस भूमि का स्वामित्व वन विभाग का है। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के अनुसार इस भूमि पर माल विभाग का स्वामित्व है या कि वन विभाग का?

श्री उदितनारायण शर्मा---

माल विभाग का तो कोई स्वामित्व नहीं होता है, सामुदायिक विकास विभाग का होता है क्योंकि गांव समाज की भूमि हुआ करती है। वह वन विभाग की जमीन नहीं है, वह ग्रामसमाज की भूमि होगी जो कि पट्टे पर दे दी गई है।

श्री गोविंदसिंह नेगी---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कुल कितने एकड़ भूमि है और कितने एकड़ भूमि में जंगल उगा हुआ है ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

कुल भूमि १०४२ एकड़ है जिसमें से ६२२ एकड़ के ऊपर वन विभाग का स्वामित्व है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मेरा प्रश्न यह है कि इस भूमि पर जंगल है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

ये कसे बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो इस भूमि को देखा नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की शिकायतें उन्हें कब प्राप्त हुई? और इस मामल की जांच व कितने दिन में पूरी करा लेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह शिकायत बहुत दिन की है ।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन में बहुत बात हो रही है, कृपया धीरे-धीरे बात करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, मिनी असेम्बली है ।

श्री उपाध्यक्ष---

धीरे-धीरे भी बात कर सकते हैं।

श्री उदितनारायण शर्मा---

ये शिकायतें एक अर्सा हुआ तब आयी थीं । इसमें इतनी ज्यादा गुत्थियां पैदा हो गई हैं कि जिनकी वजह से ज्यादा समय लग रहा है और ऐसी बात नहीं है कि कोई बात तय हो गई हो बल्कि इस पर वन विभाग, विधि विभाग और राजस्व विभाग-तीनों विभाग मिल कर विचार कर रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

माननीय राजस्व मंत्री ने स्वयं अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि यह मामला काफी दिनों से विवादग्रस्त है । क्या उन्होंने कभी इस भूमि के डिमारकेशन कराने की कोशिश की या शिकायतों से पूर्व किसी अधिकारी ने डिमारकेशन कराने के आदेश दिये? यदि कोई आदेश नहीं दिये, तो क्यों नहीं दिये ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

जब तक यह न तय हो जाय कि यह भूमि वन विभाग की है तब तक डिमारकेशन कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । जब तक वन विभाग को यह जानकारी न हो जाय कि वह भूमि उसको दी जानी है तब तक डिमारकेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता है । उसी समय डिमारकेशन की आवश्यकता होगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि यह जमींन इनकी हो सकती है या उनकी हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जमींन वन बिभाग की है या ग्रामसमाज की है या उन व्यक्तियों की है जिन्हें भूदान में दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्री वीरेन्द्र वर्मा के प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे समय चाहिये। डिमारकेशन की वजह से यह दिक्कत नहीं पड़ रही है कि यह भूमि वन विभाग की है या ग्राम समाज की है। मेरा ख्याल तो यह है कि वहां के प्रधान ने इस जमींन को भूदान में दे दिया था। भूदान में देने के नाते इसके पट्टे कर दिये गये आर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। जब वन विभाग को ४ की विज्ञप्ति हुई तो वन विभाग की घोषित की गयी। उस समय काश्तकारों को, जिन्हें पट्टे दिये गये थे, आपत्ति करनी चाहिये, भूदान समिति को आपत्ति करनी चाहिये थी लेकिन वह नहीं की गयी। प्रश्न यह नहीं है कि किसके क्षेत्र में पड़ती है, बल्कि प्रश्न यह है कि किस का स्वामित्व माना जाय।

रोजिन बनाने हेतु लीसा का कोटा

*९—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि रोजिन बनाने के लिये लीसा का कोटा प्राप्त करने के लिये वर्ष १९७०–७१ में उनके विभाग को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उसमें से कितने व्यक्तियों को और कितनी मात्रा में लीसा एलाट किया गया ?

श्री गुलाब सिंह—

रोजिन बनाने के लिये लीसा का कोटा प्राप्त करने के लिये वर्ष १९७०–७१ में आयुक्त, कुमाऊं मण्डल को २७ तथा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को १३ कुल ४० प्रार्थना-पत्र कुमाऊं व गढ़वाल मण्डलों में प्राप्त हुए। उनमें से कुमाऊं मण्डल में १४ तथा गढवाल मण्डल में ४ कुल १८ औद्योगिक यूनिटों को दोनों मण्डलों में कुल १५,९२८.१८ क्विन्टल लीसा आवंटित किया गया जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६७३ पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आवाज नहीं आ रही है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेगे कि जो लीसा आबंटित किया जाता है वह किस आधार पर किया जाता है ?

श्री गुलाब सिंह—

जो लीसा आबंटित किया जाता है वह कमिश्नर, गढ़वाल और कुमायूं मण्डल के करते हैं।

श्री गोविंदसिंह नेगी—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगें कि को लीसा बांटा जाता है, आया वह ब्लैक मारकेट में नहीं बिक रहा है और उसका रीजिन बन रहा है, इसकी भी जांच करवाते हैं?

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)---

मान्यवर, जहां यूनिट खड़ी हो जाती है और भवन इत्यादि बन जाते हैं अगर कमिश्नर को विश्वास हो जाता है कि यह वायबिल यूनिट है तो उसको लीसा आबंटित किया जाता है।

श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिला नैनीताल)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यूनिट खड़ी हो जाती है तो क्या उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसकी जितनी मांग होती है उतना लीसा उसको दिया जाता है ?

श्री गुलाब सिंह---

उतना नहीं दिया जाता।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लीसा के आबंटन में जनता को काफी दिनों से शिकायतें हैं और रोष है इसका पुनरीक्षण करायेगी कि गलत लोगों को गलत ढंग से लीसा दिया गया ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

इसकी जांच हो गयी है और एक कमेटी भी बना दी गयी है जिससे आगे गड़बड़ी न होने पाये।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो प्रार्थना-पत्र गत वर्ष आये थे उन पर लीसा देने में कमिश्नर ने कौनसी सैद्धान्तिक बातें अपनायी थीं। ४० प्रार्थना-पत्र आये और केवल १८ आदमियों को लीसा दिया गया तो उनको देने का क्या आधार था ?

श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी---

क्या आधार था, इसका तो मैंने जिक्र कर दिया कि जहां कमिश्नर को बायबिल यूनिट होने का विश्वास हो जाता है वहां उसको लीसा दिया जाता है।

श्री शिवराज सिंह---

क्या सरकार लीसा के वितरण में विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करने की दृष्टि से और लीसा के सेल से आय बढ़ाने की दृष्टि से तेंदू के पतों की भांति लीसा को भी नीलाम करने पर विचार करेगी ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री गोविंदसिंह नेगी---

माननीय मंत्री जी ने जो सूची दी है उसमें टेहरी-गढ़वाल का नाम नहीं है। क्या मंत्री जी को विदित है कि डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव का प्लान्ट वहां लगा हुआ है और उसने दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन उसको एक कुन्तल लीसा भी आबंटित नहीं किया गया और उन लोगों को दिया गया जिन्होंने गलत तरीके अपनाये ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी---

इसका संबंध से वन विभाग से नहीं है। आबंटन आयुक्त द्वारा होता है।

मुरादाबाद जिले की ग्राम सभाओं की भूमि

*१०—श्री मही लाल—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि तहसील ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद की ग्राम सभाओं की लगभग बारह सौ एकड़ भूमि अवैधानिक तरीके से बड़े-बड़े किसानों को दे दी गई है ? और उनको सीदार भी बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी हां। यह सत्य है कि तहसील ठाकुर द्वारा स्थित गांव सभाओं की १३८४.५१ एकड़ भूमि पर परगनाधिकारी के आदेशानुसार विभिन्न कृषकों को लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३३/३९ के अन्तर्गत कब्जे के आधार पर सीरदारी हक प्रदान किये गये।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिलाधिकारी मुरादाबाद ने अनुमानतः एक वर्ष पहले ही सरकार का ध्यान उस परगनाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये आकर्षित किया था जिसने अनियमित रूप से यह भूमि किसानों को दी थी। सरकार ने अभी तक उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की और वह अभी तक हमीरपुर में काम कर रहे हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं यह सही तो नहीं बता सकता कि शासन का ध्यान किस तारीख को आकर्षित किया गया था लेकिन उसका ध्यान आकर्षित किया गया और सरकार इस निर्णय पर भी पहुंची है कि जो कार्य किया गया है वह गलत किया गया है, अब उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि परगनाधिकारी के विरुद्ध शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है या क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यह १३८४ एकड़ भूमि जो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मिलनी चाहिये, उसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है कि उन्हीं लोगों को मिल जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिये विधि विभाग से परामर्श किया जा रहा है। शासन का यह निर्णय और इरादा तो जरूर है कि इस भूमि को गलत लोगों से निकाल कर भूमिहीनों को दे दिया जाय। परगानाधिकारी के विरुद्ध जांच की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह एक नीति का प्रश्न है। यही शिकायत लगभग सभी जगह से आ रही है कि जो भूमि भूमिहीन किसानों को मिलनी चाहिये थी, वह बड़े-बड़े किसानों को आबंटित कर दी गयी है। क्या इस बात को देखते हुए सरकार प्रदेश के अन्दर एक सर्वेक्षण करायेगी और जिन लोगों को भूमि के गलत पट्टे कर दिये गये हैं क्या उनसे वह, भूमि लेकर भूमिहीन किसानों को दी जायेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इस बारे में एक बार सर्वेक्षण कराया जा चुका है। लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि अभी भी ऐसे केसेज हैं कि जो जमीन भूमिहीनों को मिलनी चाहिये थी वह उनको नहीं मिली और दूसरे लोगों ने विभिन्न तरीकों से अपने नाम करा ली है, जिनको वापस लेने में अभी भी कठिनाई हो रही है। इस बारे में जांच करा रहे हैं। जांच के बाद उस जमीन को किसी प्रभावी तरीके से वापस करन के लिये प्राविधान करने की कोशिश करेंग।

इटावा जिले के सहकारी संघ व साधन सहकारी समितियों का चुनाव एवं उनके विरुद्ध भृष्टाचार का आरोप

*११—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिला इटावा के अछल्दा ब्लाक, विधूना ब्लाक ऐरवा कटरा में कितने सहकारी संघ व साधन सहकारी समितियां हैं जिनके चुनाव गत ५ वर्ष से नहीं हुए ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जिला इटावा के अछलदा ब्लाक में कोई सहकारी संघ ऐसा नहीं है जिसमें गत पांच वर्षों में चुनाव संपन्न नहीं हुआ हो। साधन समितियों में से केवल एक में चुनाव संपन्न नहीं हुआ है।

विधूना ब्लाक में एक सहकारी संघ में तथा एरवा कटरा में दो सहकारी संघों तथा दो साधन समितियों में गत पांच वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं।

*१२—श्री गजेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—

उक्त तीनों ब्लाकों में कितनी सोसाइटियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

अछल्दा ब्लाक में तीन सहकारी साधन समितियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनमें से एक समिति के खजान्ची को अदालत से सजा हो चुकी है और अपहृत धन की वसूली हेतु उस पर डिग्री की जा चुकी है तथा वसूली की कार्यवाही जारी है। शेष दो समितियों के संचालक मण्डलों को निलम्बित करने की कार्यवाही जारी है। निलम्बन के पश्चात् समितियों के अभिलेख हस्तगत करके मामलों की छानबीन की जायेगी।

विधूना ब्लाक में आठ साधन सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार के आरोप प्रकाश में आये हैं जिनमें से पांच समितियों के अभिलेख प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक को लिखा जा चुका है। दो समितियों के अभि लख पुलिस सहायता से प्राप्त हो चुके हैं जिनकी जांच जारी है, एक में विभागीय सम्प्रेक्षण में भ्रष्टाचार प्रकाश में आया हैं जिसकी जांच की जा रही है।

एरवा कटरा ब्लाक में केवल एक समिति में भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दी जा चुकी है।

सहायक निबन्धक (सहकारिता), आजमगढ़ के कार्यालय में निरीक्षकों का टी० ए० व्यय

*१३—श्री हबीबुर्रहमान—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक निबन्धक, सहकारिता आजमगढ़ के कार्यलय में वेतन प्राप्त करने वाले ग्रुप १, ग्रुप २ तथा ग्रुप ३ निरीक्षकों पर वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में कितना धन टी० ए० में व्यय हुआ और किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना दिया गया ?

सहकारिता राज्य मंत्री (कुंवर अशरफ अली)—

सहायक निबन्धक (सहकारिता), आजमगढ़ के कार्यालय से वेतन प्राप्त करने वाले ग्रुप १, ग्रुप २ तथा ग्रुप ३ निरीक्षकों पर वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में कुल रु० १३,३२५.२५ पै०

टी०ए० पर व्यय हुआ। व्यय की गई उपर्युक्त धनराशि के तथा जिन व्यक्तियों को वह मिली उसका विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(देखिए नत्थी घ' आगे पृष्ठ ६७५ पर)

श्री हबीबुर्रहमान—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न के जवाब में मुझे लिस्ट दी गई है वह मैं आपको दिखा दूं। इसको कोई पढ़ नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि जानकर ऐसी कापी दी गई है या क्या बात है ? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह टी०ए० पर जो इतना पैसा खर्च हुआ और जिसकी यह लिस्ट हमें दी गई है तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन को टी०ए० मिलना चाहिये उन सबको दिया गया है या कुछ लोग बाकी रह गये हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जिसको दिया गया है वह सब लिस्ट में मौजूद हैं।

श्री हबीबुर्रहमान —

जितने लोगों को टी० ए० दिया जाना चाहिये था उन सबको दिया गया है या कुछ का बाकी रह गया है उसका कारण यह है कि वहां के हेड क्लर्क के खिलाफ यह गंभीर आरोप हैं कि वह लोग जो उसको गलत तरीके से पेमेन्ट कर देते हैं वह उनका टी० ए० तो बना देता है और बाकी लोगों को साल साल दो-दो साल से रोक रखा है। क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष —

यह सवाल आप अलग से करें, यह तफसील का सवाल है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनको यह १३ हजार रुपया टी० ए० का दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह लिस्ट में दिया गया है। वही मंत्री जी पढ़ दें।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह २३ व्यक्तियों को दिया गया है।

श्री हबीबुर्रहमान—

इन २३ आदमियों में क्या श्री राम चन्द्र यादव भी शामिल हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आर० सी० यादव हैं, राम चन्द्र यादव नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

लिस्ट तो आपके पास है ही।

श्री हबीबुर्रहमान—

यह बहुत अहम मसला है आजमगढ़ के इस कार्यालय में यह शिकायत है कि वहां के हेड क्लर्क ने कुछ लोगों का टी०ए० रोक रखा है जिन्होंने कि उनकी नाजायज मांग को पूरा नहीं किया है राम चन्द्र यादव को टी० ए० दिया गया क्या इसमें उनका नाम है?

श्री उपाध्यक्ष---

जो बाकी हैं उनका नाम नहीं है जिनको दिया गया उनके नाम इस सूची में हैं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जो शिकायत वह हेड क्लर्क की कर रहे हैं उस की जांच करा लेंगे और जिसको देना होगा उसे दिया जायगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मैं प्रश्न के संबंध में एक व्यवस्था चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---

वह बाद में, अभी प्रश्न पूरे होने दें।

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर का आय-व्यय

*१४---श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत पांच सालों में श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर से क्या-क्या आय हुई और उसके व्यय का प्रति वर्ष का ब्योरा क्या रहा तथा अन्त में क्या लाभ रहा ?

श्री गुलाब सिंह---

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६७६-६८२ पर)

श्री राम गोपाल सण्ड---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि ७ लाख ८० हजार रुपया श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ के मंदिरों की आय से बना तो क्या राज्यसरकार इन मंदिरों के प्रांगण के निकट कोई ऐसी आवासीय गृहों की व्यवस्था, धर्मशाला आदि के रूप में करेगी जहां कि दूर से आने वाले यात्री निःशुल्क रह सकें ? क्या ऐसा आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आपके सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मंदिरों से गत वर्ष कितनी आय हुई और कितना खर्चा हुआ ? क्या वह केवल पिछले ही वर्ष की आय व्यय का वहां का ब्योरा दे सकेंगे ?

श्री गुलाब सिंह---

१९७०-७१ में १२,४२,११६.८६ रु० की हुई और खर्च हुआ ११,५०,५७२.४३ रु० का।

सदर तहसील गोरखपुर में आवंटित भूमि एवं दाखिल खारिज के मुकदमे

*१५---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के कानूनगोवाई क्षेत्र राजधानी के ग्राम, विशुनपुरा राजधानी सरार मझगांवां एवं कानूनगोवाई क्षेत्र, पिपराइच के

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ग्राम अयोध्याचक, सरैया-सरदारनगर में कितने एक ड़ भूमि का आवंटन सितम्बर, १९७१ के पूर्व किया गया ? क्या संबंधित लोगों को विधिवत् कब्जा मिल चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सितम्बर, १९७१ के पूर्व जनपद गोरखपुर के उल्लिखित ग्रामों को आवंटित की गई गांव सभा भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:—

ग्राम बिशुनपुर मटियरा की ०.९८ एकड़ भूमि एक व्यक्ति को बतौर असामी पट्टे पर दी गई तथा विधिवत् कब्जा भी दिया गया।

ग्राम राजधानी में उपलब्ध ५०.१६ एकड़ भूमि के पट्टे अनियमित थे अतः उन्हें रद्द कर दिया गया।

ग्राम सरार मझगांवां में रेकार्ड आपरेशन हो रहा है। चूंकि गांव सभा भूमि के बारे में विवाद है, अतः आवंटन की कार्यवाही नहीं हुई।

ग्राम अयोध्या चक की ३.१४ एकड़ भूमि १५ भूमिहीनों में बतौर असामी के आवंटित की गई जिसमें से केवल १.६४ एकड़ भूमि पर ९ व्यक्तियों को कब्जा दिया गया। शेष भूमि पर से अनधिकृत कब्जेदार को बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सरैया सरदारनगर में पट्टे पर उठाने हेतु उपलब्ध २.६९ एकड़ भूमि में से २.१८ एकड़ स्कूल को व ०.५१ एकड़ भूमि भूमिहीन को दिया गया तथा उस पर कब्जा दे दिया गया है।

*१६—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के एस० के० सर्किल, राजधानी के कितने लोगों के दाखिल खारिज के मुकदमें माह नवम्बर, १९७० से अब तक तहसीलदार सदर के इजलास में चल रहे हैं और कितने का फैसला हो चुका है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सुपरवाइजर कानूनगों राजधानी के क्षेत्र से संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में उल्लिखित अवधि में दाखिल खारिज के कुल १०६६ वादों में से ९८३ वादों का निस्तारण हुआ तथा ८३ वाद अवशेष रहे।

(दिनांक ३१ मार्च, १९७२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*१—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

हरिजन निदेशालय, लखनऊ के कर्मचारियों को भवन ऋण

*२—श्री इन्द्रलाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन निदेशालय, लखनऊ के कर्मचारियों को भवन क्रय तथा भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा गत वर्षों में १९६९–७० एवं १९७०–७१ में जो ऋण दिया जाता रहा है, क्या इस वर्ष १९७१–७२ में ऐसी धनराशि हरिजन निदेशालय के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं की गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जी नहीं। हरिजन निदेशालय के कर्मचारियों को भवन क्रय एवं भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा इस वर्ष ७१-७२ में ६४,००० रु० स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति

*३---श्री इन्द्रलाल---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी, १९७२ के प्रथम सप्ताह में, हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय से जिन ७ (सात) कर्मचारियों को हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों के पद पर पदोन्नत करके नियुक्त किया गया, नियुक्ति का आधार (ज्येष्ठ-कनिष्ठ) का कोई मापदण्ड था या या किसी अन्य आधार से पदोन्नत किया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

फरवरी, १९७२ में ७ जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां संबंधित व्यक्तियों की योग्यता तथा उपयुक्तता के आधार पर की गई थीं।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर अधिनियम में परिवर्तन

*४---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर अधिनियम के अन्तर्गत रावल की नियुक्ति तथा अन्य प्रशासनिक मामलों में भूतपूर्व महाराजा, टेहरी-गढ़वाल को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, क्या भूतपूर्व राजा महाराजाओं को विशेषाधिकारों को संवैधानिक समाप्ति के उपरान्त उक्त अधिनियम में परिवर्तन करने का विचार शासन रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

जी हां। यह मामला शासन के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, हजरतगंज, लखनऊ का भवन निर्माण

*५---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के लखनऊ हजरतगंज (२ महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ) के नवीन भवन निर्माण कार्य के लिये संचालक मण्डल ने अपने प्रस्तावों (सम्प्रेक्षण रिपोर्ट १९७०-७१ के पृष्ठ ९२ से ९४) के अनुसार कुल ५,१२,००० रुपये के व्यय की स्वीकृति दी थी किन ३० जून, १९७० तक इस मद में ८,६३,०२,८.१६ व्यय किया या था तथा २,११,९९७.६६ रु० का समायोजन करके दिनांक ३० जून, १९७१ को इस खाते में ६,६७,७८२.७१ दिखाया गया है। यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये कौन दोषी है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक एक स्वायत्तशासी संस्था है। अतएव बैंक की कार्य प्रणाली पर विवाद करना बैंक के हित में न होगा।

*६---श्री राम प्रसाद देशमुख---

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जिला जालौन के वर्तमान सहायक निबन्धक के विरुद्ध शिकायत

*७---श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)---

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, जालौन के वर्तमान सहायक निबन्धक ने दिनांक १७ अगस्त, १९७१ को उरई केन्द्रीय थोक-उपभोक्ता सहकारी भण्डार पर अपने कुछ अधीनस्थ, कर्मचारियों के साथ सुरापान करके मुख्य कार्याधिकारी की स्त्री के साथ अनैतिक एवं अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने की चेष्टा करने की शिकायत शासन तथा सरकार के किसी मंत्री को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अविलम्ब निलम्बित कर, जांच किसी अन्य जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी हां, इस विषय पर श्री प्यारे लाल वर्मा, निरीक्षक वर्ग-२ का दिनांक २० अगस्त, १९७१ का एक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच जिलाधिकारी, जालौन से कराई गई। जांच में उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों को जिलाधिकारी, जालौन ने तथ्यहीन पाया एवं संस्तुति की कि इस संबंध में किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः इस संबंध में अब किसी अन्य से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी० एस० सिंह, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, जिला जालौन का स्थानान्तरण

*८---श्री रामकुमार दीक्षित---

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के सहायक निबन्धक समितियां, श्री डी० एस० सिंह का स्थानान्तरण जून, १९६९ से जुलाई, १९७१ तक कितने बार जालौन जनपद से अन्य जिलों के लिये किया गया तथा किन परिस्थितियों के कारण पुनः स्थानान्तरण जालौन जनपद में ही कर दिया गया ? क्या सरकार इनका अविलम्ब स्थानान्तरण पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

जालौन जनपद के सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, श्री डी० एस० सिंह का जालौन जनपद से जून, १९६९ से जुलाई, १९७१ तक दो बार अन्य जिलों के लिये स्थानान्तरण किया गया। श्री सिंह का स्थानान्तरण पुनः दिसम्बर, १९७० में, जालौन में जनहित में किया गया। चूंकि प्रशासनिक दृष्टि से इनका स्थानान्तरण उचित समझा गया, अतः इस संबंध में गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

अस्थायी फारेस्टर

*९---डाक्टर भगवतदयाल सिलोइया (जिला झांसी)---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फारेस्टर लगभग बीस वर्ष या पच्चीस वर्ष से सेवा करते हुए भी अभी तक स्थायी नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक कनफर्म किया जायेगा और वे कितने हैं ?

नश्रीअजीतप्रताप सिंह---

वन विभाग में तीन फारेस्टर ऐसे हैं जिनको सेवा करते हुए लगभग बीस वर्ष अथवा उससे अधिक हुए हैं परन्तु उनको सर्विस रिकार्ड संतोषजनक न होने के कारण अभी तक स्थायी

नहीं किया जा सका है। उनका स्थायीकरण तब ही संभव हो पायेगा जब इनके कार्य-कलाप संतोषजनक पाये जायेंगे।

तहसील पडरौना, जिला देवरिया के बाढ़ पीड़ित परिवार

*१०--कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष बाढ़ से पीड़ित लोगों को १०० रु० प्रति परिवार मकान बनाने के लिये अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो पडरौना तहसील, जिला देवरिया में कितने लोगों को उक्त अनुदान दिया गया ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

गत वर्ष इस तरह के कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं कि बाढ़ पीड़ित लोगों को १०० रु० प्रति परिवार गृह निर्माण अनुदान दिया जाय। बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुर्न-निर्माण हेतु कच्चे मकान के लिये २०० रु० तथा पक्के मकान के लिये ३०० रु०प्रति परिवार गृह निर्माण सहायता दिये जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित है। तहसील पडरौना, जिला देवरिया में २,१५६ परिवारों को यह अनुदान दिया गया है। वितरण कार्य अभी जारी है।

ग्राम महसी, जिला सीतापुर के प्रधान एवं लेखपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*११--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ग्राम महसी परगना तम्बौर तहसील बिसवां जिला सीतापुर के प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ग्राम समाज महसी की भूमि के पट्टों में बरती गई, अनियमितताओं और अवैधानिकता के विरुद्ध उपरोक्त ग्राम के निवासीगण, सर्वश्री कामता प्रसाद, पुत्र भरोसे सीताराम, पुत्र प्रभुदयाल एवं छेदू, पुत्र परबन आदि भूमिहीन एवं हरिजन व्यक्तियों के दिनांक १८ दिसम्बर, १९७१ के २८ दिसम्बर, १९७१ के और दिनांक २० जनवरी, १९७२ के कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इनकी जांच को किस अधिकारी ने की तथा जांच के परिणाम स्वरूप सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

जी हां। शिकायतों की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी जिसके परिणामस्वरूप लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध वैभागिक काय-वाही की जा रही है। प्रधान को भी कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। पट्टों का दाखिल खारिज रोक दिया गया है। उनकी जांच हो जाने के पश्चात् धारा १९८ जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

*१२--श्री कल्याण सिंह--

[६वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारिता विभाग की जांच हेतु पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति

*१३--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता विभाग में जांच हेतु पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पुलिस अधिकारी के कार्य क्षेत्र म गन्ना सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश तथा गन्ना सहकारी समितियों को उक्त संस्थाओं में गबन आदि की जांच किसके माध्यम से की जायेगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी हां। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ तथा सहकारी गन्ना विकास समितियों में गबन आदि की जांच उक्त पुलिस अधिकारी के कार्यक्षत्र में नहीं आती। उक्त संस्थाओं में गबन आदि की जांच पुलिस व सी०आई० डी० के माध्यम से कराई जाती है।

बस्ती जिले के ग्रामों का घाघरा नदी से कटाव

*१४---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की हरैया तथा बस्ती तहसील के किन-किन गांवों में घाघरा नदी से कटान हुई है ? उन गावों में कितने मकान कट और कितनी खेती योग्य भूमि कटी है और घाघरा के कटान से पीड़ित किसानों को सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

हरैया तहसील में २७ और बस्ती तहसील में ४ गांव घाघरा नदी को कटान से पीड़ित हुए जिनकी सूची संलग्न है। कटान से प्रभावित ग्रामों के पीड़ित व्यक्तियों को नकद अहेतुक सहायता, चना, गेहूं, नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं, गृह निर्माण अनुदान और आपदा तकावी के रूप में मदद दी गई। क्षति तथा सहायता का वितरण इस प्रकार है:---

१---कट गये मकानों की सं०		६४३
२---कट गयी कृषि भूमि		३,५५५ एकड़
३---अहेतुक सहायता---		
		रु० पै०
(क) जीवनोपयोगी वस्तुएं	..	२४,३८६.३०
(ख) नकद	..	१,१३५.००
४---गृह निर्माण अनुदान	..	५३,६०००.००
५---आपदा तकावी	..	२७,८१५.००
६---बैल तकावी	..	८५०.००

[देखिए नत्थी 'च' आगे ६८३ पृष्ठ पर]

*१५---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

देवरिया में कलेक्टरी एवं जजी के लिये अध्याप्त की गई भूमि

*१६---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

क्या उत्तर प्रदेश शासन को मालूम है कि देवरिया नगर में कलेक्टरी एवं जजी की भूमि की जो अध्याप्ति ग्राम देवरिया रामनाथ तथा देवरिया जिला देवरिया की गई थी ? उसका गत १५ वर्षों से लगातार पत्र-व्यवहार करने पर भी अभी तक भुगतान नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदितनारायण शर्मा–

जी हां। देवरिया नगर में कलेक्ट्री एवं जजी के लिये भूमि ग्राम देवरिया रामनाथ की अध्याप्ति की गई थी। अध्याप्ति भूमि का मुआवजा कुछ लोगों ने प्राप्त कर लिया तथा कुछ लोगों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील दाखिल की थी। संबंधित पत्रावली उच्च न्यायालय को १९६० में भेजी गई थी जहां वह अपील की पत्रावलियों के साथ विचाराधीन है। मूलपत्रावली के अभाव में तथा उच्च न्यायालय में निर्णय के न होने के कारण मुआवजे की अदायगी अब तक नहीं हो सकी।

अतारांकित प्रश्न

१––श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह––

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

तहसील नानपारा, जिला बहराइच के गांव सभाओं के पेड़ों का नीलाम

२––श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव समाज झाला, खड़िया, नैनिहां, सेमरहना, तहसील नानपारा, जिला बहराइच में दिनांक २३ अक्तूबर, १९७१ को कितने-कितने एकड़ के प्लाट में पेड़ों की संख्या कितने-कितने रुपये में किसके-किसके नाम से नीलाम की गई और ३/४ रुपया कब-कब जमा किया और कितना बाकी है ?

श्री उदितनारायण शर्मा––

गांव सभा झाला, खड़िया, नैनिहां तथा सेमरहना, तहसील नानपारा में २३ अक्तूबर, १९७० को पेड़ों का कोई नीलाम नहीं हुआ था बल्कि नीलाम २३–२–१९७० को हुआ था। इन ग्रामों में पेड़ों की नीलामी का विवरण निम्न प्रकार है :

ग्राम	प्लाटों की संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	पेड़ों की संख्या जो नीलाम की गई	उच्चतम बोली
१	२	३	४	५
				रु०
झाला	२९	२५–८०५	१०७	१,०००
खड़िया	१६	१०८–७९५	२३४	१,००,०००
नैनिहां	२५	३२–४७५	६३	५२५
सेमरहना	२१	४०–८१५	६४	५००
योग			४६८	१,०२,०२५

उक्त सभी गांवों में पेड़ों का नीलाम श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र त्रिलोकी सिंह साकिन मिहीरपुरवा, तहसील नानपारा के पक्ष में किया गया। उपरोक्त ३,०२५ रु० की कुल बोली की धनराशि की १/४ धनराशि अर्थात् ७५६.२५ पैं० नीलाम के दिनांक २३–२–७० को ही वसूल की जा चुकी थी। शेष ३/४ की वसूली हेतु उत्पीड़क कार्यवाही की जा रही है।

शीत से मृत्यु

३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक ३ जनवरी, १९७२ तक पिछले एक माह में शीत के कारण कितने व्यक्तियों तथा पशुओं की मृत्यु हुई ? यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गरीबों को जिनके पास पर्याप्त साधन शीत लहरों से बचने के नहीं हैं सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्नांकित अवधि में शीत के कारण केवल बस्ती जिले में २-१-७२ को एक स्त्री की मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त इसी जिले में ७-१-७२ को एक अन्य स्त्री की तथा कानपुर में एक पुरुष की मृत्यु शीत के कारण हुई। पशुओं के मरने की कोई सूचना नहीं है। बस्ती में उक्त दो मामलों में पचास-पचास रुपये की सहायता दी गई। अन्य जिलों में कोई सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

४—श्री नित्यानन्द स्वामी —

[निरस्त]

तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण

५—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७१-७२ में तहसील नवाबगंज (जिला बरेली) में बाढ़ और अधिक वर्षा से हुई क्षति के कारण कुल कितना रुपया घर निर्माण हतु अनुदान के रूप में बांटा गया और ग्राम पचपेड़ा, हिंकरा, अवदला तथा देवरनियां जागीर में यह राशि कितनी-कितनी और किन-किन लोगों को दी गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

गृह निर्माण हेतु रुपये ६९,१९० अनुदान के रूप में बांटा गया।

ग्राम पचपेड़ा, हिमकला तथा देवरनियां जागीर में जिन व्यक्तियों को जो धनराशि वितरित की गई उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। ग्राम अबदला में मकान झोपड़ी के हैं और किसी मकान को इतनी क्षति नहीं पहुंची जिसके लिये अनुदान दिया जाता।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६८४ पर)

ग्राम कटाई, जिला मुरादाबाद के हरिजनों से लगान की वसूली

६—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद मुरादाबाद के तहसील अमरोहा के ग्राम कटाई के लगभग पचास हरिजनों से तहसील द्वारा अब भी उनसे उस जमीन का लगान जबरन वसूल किया जाता है, जिस पर उनके घर सत्तर साल से भी अधिक के बने हुये हैं और अधिकारियों को बार-बार लिखित प्रार्थना करने पर भी कोई कार्यवाही इस विषय में नहीं की गई ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। ग्राम कटाई, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद में एक प्लाट नं० ४२६, क्षेत्रफल ०-११ बीघा अवश्य ऐसा ह जिस पर १५ घर हरिजनों के और दो घर मुसलमानों

के बने हैं और जिसके विषय में असिस्टेंट कस्टोडियन के न्यायालय में विवाद चल रहा है। जिस खाता में यह प्लाट शामिल है उसका भू-राजस्व खरीफ १३७८ फसली तक पूरा-पूरा भुगतान किया जा चुका ह। जिस खाते में यह प्लाट है वह १३५९ फसली में श्री जरीफ हुसेन, पुत्र अली मोहम्मद के नाम सीरदारी दर्ज था। वे बहुत पूर्व पाकिस्तान चले गये हैं और इसलिय इसको निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करने की कार्यवाही असिस्टेंट कस्टोडियन के न्यायालय में चल रही ह।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया आप बैठें। प्रश्नों के बारे में जो आपको कहना है वह आप लिख कर दे द। इस समय यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी--

श्रीमन्, किसी आइटम के समाप्त होने पर ही तो उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता ह। प्रश्नों का समय अभी-अभी समाप्त हुआ ह। यदि आप इस समय इस प्रश्न को उठान की आज्ञा न देंग तो फिर मैं कब निवेदन कर सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के बारे में व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की इस तरह की जो परिपाटी आप चलाना चाहते हैं, वह मैं नहीं चलाना चाहता हूं। आप कृपया लिख कर दीजिए।

प्रतिनिहित विधायन समिति का नवम् प्रतिवेदन

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का नवम् प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के निर्वाचन सम्बन्धी परिनियमों के बारे में है। परिनियम २ (१) (ग) में पंजीकरण शुल्क व नामांकन शुल्क तथा परिनियम ३ में प्रतिलिपि शुल्क आरोपित किए गए हैं। राज्य सरकार को शुल्क आरोपित करने का अधिकार प्रतिनिहित नहीं है। कर और शुल्क आरोपित करने का एक ही सिद्धान्त है अर्थात् वे तब तक आरोपित नहीं किये जा सकते जब तक मूल अधिनियम में उनके आरोपण का उपबन्ध न हो। न्याय विभाग ने भी समिति की राय का समर्थन किया है।

दूसरे इन परिनियमों में निर्वाचन याचिका या अपील करने तथा उनके निर्णय करने वाले प्राधिकारी को तथा निर्णय को अन्तिम घोषित करने की व्यवस्था है जब कि अधिनियम में इस प्रकार के परिनियम बनाने का कोई उपबन्ध नहीं है। मान्यवर, इस प्रकार का अधिकार मूल अधिनियम में सरकार को नहीं दिया गया है।

तीसरी आपत्ति प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह है कि वर्तमान परिनियमों के अनुसार यह संभावना हो सकती ह कि पुराने प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त होने के पहले नये प्रतिनिधि की अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाय तो एक ही समय में पंजीकृत स्नातकों के २ प्रतिनिधि प्रबन्धक बोर्ड के सदस्य हो जायेंगे। यह परिनियम दोषी है, इसको निकाल दिया जाय। मैं इस प्रतिवेदन को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न---(क्रमागत)

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, आपके नियम, आपकी मर्यादा के अनुकूल ही हैं। श्रीमन्, आप हमारे अधिकारों का हनन न होने दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह अव्यवस्था है। आपको आक्षेप नहीं करना चाहिए। आप तो संसदीय प्रणाली के जानने वाले हैं। जब आपको अपनी बात कहने का समय दिया जाय तभी तो आप बोलें। प्रश्नों के काल में या उसके बाद जो सवाल होते हैं अगर आपको कुछ कहना ह तो मेरे कक्ष में आकर कह सकते हैं। आप चाहें तो सुझाव भी दे सकते ह। प्रश्नों को मैं ही स्वीकार करता हूं और आपके सामने सरकार उत्तर देती है।

'नेशनल हेराल्ड' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

(श्री विश्वनाथ कपूर के खड़े हो कर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से आपका कहना मैं पसन्द नहीं करता। यह माननीय कल्पनाथ जी का विशेषाधिकार का प्रश्न है, वे इसके बारे में कह सकते हैं।

***श्री कल्पनाथ सिंह** (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान का प्रश्न 'नेशनल हैराल्ड' के विरुद्ध उठाया ह। मैंने पहले भी एक शंका व्यक्त की थी, कि जो बात ऐसी हो जिससे हमार अधिकारों का हनन न होने पाये। इस राज्य सभा के चुनावों को लेकर यह देखें श्रीमन्, उसकी एक कड़ी यह है कि नेशनल हेराल्ड अखबार को या किसी भी समाचार-पत्र को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं हो जाता हैं कि वह किसी दल के सदस्यों की संख्या कितनी है इसको अपनी ओर से प्रस्तुत करे। श्रीमन्, यह अधिकार आपको है, आपके सचिवालय को है जो वैधानिक रूप से सदस्यों की संख्या प्रस्तुत करे। मेरा निवेदन है कि एसा न करक इस अखबार ने आपके कर्तव्यों की और इस सदन क कतव्यों की और माननीय सदस्यों के कर्तव्यों की अवहलना की है।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिये हमारे सदस्यों की संख्या ३७ रह जाती है तो इसको चाहिये था वह सीधे-सीधे हमार दल क सदस्यों के नाम दे कि इन सदस्यों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया ह। हमारे सदस्यों का मनोबल गिराने का और उनके सम्बन्ध में भ्रम पैदा करने और ऐसी परिस्थिति पैदा करने का काम इस अखबार ने किया है जिससे जनता के अन्दर हमारे बारे में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और उनके मस्तिष्क में ऐसी भावना पैदा हुई कि इस दल के सदस्यों ने न जाने क्यों दल का त्याग कर दिया है। मैं नहीं कह सकता कि हमारे स्वयं के बारे में हमारे दल के सदस्यों ने क्या सोचा था हमारे नेता जी के बार में क्या सोचा। श्रीमन्, इस प्रकार से इस अखबार ने हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना की है और इस सदन का भी उसने अवमान किया है।

श्री उपाध्यक्ष---

विषय क्या है। जैसा आपने कहा कि इसको अखबार ने छाप दिया तो यह कैसे हो गया?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह---

पहली बात तो यह है कि उसने आपके अधिकार का भी अतिक्रमण किया है और दूसरा काम यह किया कि सदस्यों के बारे में भ्रम पैदा किया है। ये दो काम ऐसे किये हैं जिससे सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई और माननीय सदन का भी अवमान हुआ है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन्, मैं बतला दूं। अखबार में लिखा है कि दैट दि कांग्रेस (ओ)...

श्री उपाध्यक्ष---

आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे।

आप बोल सकते हैं। इस बात में कोई जोड़ना चाहते हैं या और कोई तर्क देना है तो बोलिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

तर्क यही है कि आपके अधिकारों की अवहेलना करके अखबार ने कैसे छाप दिया है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैं भी इसी सम्बन्ध में कहना चाहता था मुझे दुख हुआ कि अब ऐसा हो रहा है कि सदस्यों की इच्छा का भी कंट्रोल हो। यह क्रम चल रहा है लोकतन्त्र का और इस तरह से फोड़ा जा रहा है डिमारेलाइज कर के। इस पर मैं ज्यादा नहीं कह सकता, यह निन्दनीय बात है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह एक अलग प्रश्न है, मैं इसकी योग्यता पर नहीं जाता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, किसी अखबार की हिम्मत नहीं हो सकती कि अपनी इच्छा से वह समाचार छाप दे जब तक सरकार की ओर से संकेत न हो। श्रीमन्, इसमें जिसका हित होगा उसी का तो संकेत होगा। यह ऐसा इन्फेरेन्स है जिसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। यह तो कमिटेड है। जो लाभ उठायेगा उसको दूसरा अपने मन का लाभ क्यों देगा?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

यह आरोप लगाना कि सरकार की ओर से संकेत किया गया है अत्यन्त निराधार है और मैं समझता हूं अनुचित भी है। पत्रकारों का यह काम है कि वे समाचार संग्रह करते रहते हैं और यहां भी पूछते हैं और वहां भी पूछते हैं। कल मुझसे ही पूछ रहे थे, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है। आप अधिकारी सूत्रों से पता लगा सकते हैं तो पता लगाइये। यह तो उसका काम होता है कि घूमघाम कर जहां से जो समाचार मिले छापे। अब इसमें हमारे त्रिपाठी जी महाराज को लोकतन्त्र की हत्या दिखाई दे रही है। उन्हें आज कल लोकतन्त्र की हत्या ही दिखाई दे रही है दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का आक्षेप बिल्कुल निराधार है।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अपनी राय में जो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा है और माननीय कमलापति त्रिपाठी ने कहा है वह दोनों एक प्रकार से सही हैं। लेकिन सवाल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

यह है कि फ्रीडम आफ प्रेस यह उनका राइट है, स्वतन्त्रता का, होना चाहिये। दूसरी तरफ कुछ विशेष अधिकार इस सदन के हैं। अब इसमें किस तरह से समन्वय बैठ सकता ह, इसमें जो परस्पर विरोध है कैसे मिटाया जा सकता है, मैं आपकी इजाजत से यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस विषय में आप जितने भी दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करें। मुमकिन है कोई रास्ता निकल आये। इसमें दो राय नहीं है कि बहुत से अखबार 'कमिटेड' हैं। यह उनकी नीति है सही है या गलत, किन्तु यह सही है कि किसी एक विशेष दल को 'इन सीजन' या 'आउट आफ सीजन' उनका सपोर्ट करते हैं और प्रचार करते हैं। हो सकता है यह उनका कान्स्टीटचूशनल राइट हो। किन्तु यह भी सही है कि बाज वक्त ऐसी खबरें छप जाती हैं जिनसे भ्रम पैदा हो सकता है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है अपनी पार्टी के बारे में, या मेरी पार्टी हो, या जनसंघ हो, या कोई अन्य पार्टी हो, क्या अखबारों को अनर्गल प्रचार कराने का अधिकार है? मैं समझता हूं कि इस पर आप विचार करें और एक कमेटी बनाने की कृपा करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मेरा मतलब यह है कि जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है वह आपके निर्णय लेने की बात है और जो प्रश्न यहां उठाया गया ह उसमें विशेषाधिकारी आता है या नहीं यह काम सदन का है। मेरा मतलब यह था कि समाचार पत्रों का यह काम होता है कि जिसको न्यूज वेल्यू होती है उसको ढूंढते हैं और छापते हैं। उस पर यह आरोप लगाना कि सब सरकार की ओर से किया जा रहा है, यह अनुचित बात है मुनासिब नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मान्यवर, इसमें लिखा है...

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता। मैंने स्वयं इसको देख लिया है। इसमें लिखा है कि बावजूद इसके कि जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस (ओ) श्री बसन्तलाल शर्मा ने अपने विधान सभा में दल की संख्या ४६ बताई है, जब कि कांग्रेस सूत्रों से यह संख्या ३७ है। इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न निहित नहीं है। असल में समाचार-पत्रों की जो आजादी है वह कई दफा गलत बोल में इस्तेमाल करते हैं। यदि आप विरोधी दल के माननीय सदस्य यह रोकने का रुख अख्तियार करेंगे और सदासर्वदा के लिये शासन के बारे में सही बात करेंगे, तो आपको बहुत कम कहने को रह जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपको विवेकशील होना चाहिये। जो आपके लिये नियम हों वही बाहर के लिये भी हों। दोनों की अलग अलग संहिताएं न हों। यदि हम समाचार-पत्रों की छापने की आजादी पर कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहेंगे तो बहुत सी और हमारी जो स्वाधीनता है वह छिन जायेंगी। इसलिये अपने हित में और लोकतन्त्र के हित में इस किस्म की पाबन्दी लगाने का सहज लोभ का हम संवरण करें, चाहे वह हमारे खिलाफ ही क्यों न हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

ये लोग अपनी आजादी के हनन पर मेज पीट रहे हैं।

अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नामों की सचना

श्री उपाध्यक्ष---

१९७२-७३ के लिये अधिष्ठाता मंडल के लिये माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित को मनोनीत किया है, उनके नाम ह :---माननीय ज० एन० सिन्हा, माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य

माननीय रियासत हुसन, माननीय शिवराज सिंह, माननीया कलारानी मिश्र, माननीय राम सिंह, माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय जगदीश सिंह, माननीय विश्वनाथ कपूर, माननीय रामधारी शास्त्री।

उद्योग राज्य मंत्री श्री देवकी नन्दन विभव के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के संबंध में जानकारी

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, २८ तारीख को एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय विभव जी के लिये दिया था। उसके जवाब में कितना समय लगेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

उनको यह भेज दिया गया है। अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री विश्वनाथ कपूर--

एक दिन, दो दिन या कितना समय लगेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर तो आप शासन से लें। जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे तभी उसका उत्तर देंगे। थोड़ा समय तो लगेगा ही। क्या आप चाहते हैं कि जो प्रश्न हो उसका बिना जानकारी के यही उत्तर दे दें।

श्री विश्वनाथ कपूर--

२० जिला सहकारी बैंकों को ऋण बट रहे हैं यह बिल्कुल ही गलत है।

कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों के नामों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-मंत्रणा समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं, नियुक्त किये गये हैं। यह समिति आगे के लिये कार्य के समय का आकलन और आबंटन के लिये है। इन के सदस्यों के नाम आप सुन लें। १--माननीय अध्यक्ष, २--उपाध्यक्ष, ३--माननीय नारायण दत्त तिवारी, ४--माननीय नरेन्द्र सिंह भंडारी, ५--माननीय यादवेन्द्र सिंह, ६--माननीय गुलाब सिंह, ७--माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा, ८--माननीय सोहन लाल धुसिया, ९--माननीय त्रिवेणी सहाय, १०--माननीय जे० एन० सिन्हा, ११--माननीय बंशीधर पांडेय, १२--माननीय मोहनलाल कपूर, १३--माननीय मोहम्मद असरार अहमद, १४--माननीय रामधारी शास्त्री, १५--माननीय गोविन्द सिंह नेगी।

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के नामों की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

विशेषाधिकार समिति जो १९७२-७३ के लिये है उसके सदस्य हैं : १--उपाध्यक्ष, २--श्री नारायण दत्त तिवारी, ३--श्री यादवेन्द्र सिंह, ४--श्री अवधेश प्रताप मल्ल, ५--श्री उदित नारायण शर्मा, ६--श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, ७--श्री बसन्तलाल शर्मा, ८--श्री त्रिलोक चन्द्र, ९--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, १०--श्री अनन्त राम जायसवाल।

ये समितियां हैं जो कल १ अप्रैल से कार्यारम्भ करेंगी।

शहरी सम्पत्ति सीमा तथा कृषि भूमि सीमा निर्धारण विधेयकों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि शहरी सम्पत्ति विधेयक जब लाया जायगा तो उस पर विरोधी दलों के सदस्यों से बातचीत करके तब लाया जायगा लेकिन कल राजस्व मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें यह कहा गया था कि वक्तव्य बिल्कुल तैयार है। उसमें एक दो मामलों की बात रह गई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि शहरी सीमा और अधिकतम जोत सीमा दोनों ही साथ-साथ लिये जायेंगे। मान्यवर, यह दोनों ही महत्वपर्ण मसले हैं और सभी लोगों की आंखें इन पर लगी हैं। जल्दबाजी के अन्दर इस विधेयक को ला रहे हैं और अकेले-अकेले ला रहे हैं जब कि इसका आश्वासन मुख्य मंत्री जी ने दिया था कि ऐसा नहीं होगा। राजस्व मंत्री जी के वक्तव्य से मालूम होता है कि उनकी ऐसी मंशा नहीं ह।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। नियम ३०१ में आपने जो सूचना दी थी उसको मैं स्वीकार नहीं करता। बात यह ह कि अभी आप ही ने जो तथ्य दिये थे उनके सूक्ष्म विवेचन करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि वक्तव्य में असाम्य या अन्तर या कोई विपरीतता है। अतः मैं इसको स्वीकार नहीं करता। वैसे यदि शासन आपको सन्तुष्ट करना चाहता है तो मैं कोई रुकावट नहीं बनूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि अधीर न हों। जो आश्वासन दिया गया है उसका धीरज के साथ इन्तजार करें। ऐसा न हो तो प्रश्न उठाव।

इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री उप निदेशक की नियुक्ति एवं इलाहाबाद मेडिकल कालेज तथा लालबहादुर शास्त्री होम्योपैथिक कालेज में कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)--

इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एक प्राइवेट संस्था है और होम्योपैथिक बोर्ड से सम्बद्ध ह।

१७-१२-७१ को कालेज की एक छात्रा ने पुलिस में एक रिपोर्ट की कि १४-११-७१ को प्रिंसिपल ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने तुरन्त इस मामले में एक केस रजिस्टर कर लिया और इस मामले में चार्जशीट लग चुकी है। मालूम पड़ता है कि इन्हीं कुछ कारणों से छात्रों में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने १ दिसम्बर, १९७१ से हड़ताल शुरू कर दी। छात्रों की शिकायतें कालेज की दुर्व्यवस्था, भ्रष्टाचार व प्रिंसिपल के दुर्व्यवहार की थी और यह मांग थी कि प्रिंसिपल को उनके पद से हटाया जाय, कालेज की व्यवस्था में सुधार किया जाय और इस कालेज को शासन अपने नियंत्रण में ले ले। कुछ दिनों छात्रों का आन्दोलन धीमा रहा, लेकिन इसी बीच कालेज के जनरल सेक्रेटरी द्वारा ३ अध्यापकों की सेवायें समाप्त करने की घोषणा कर दी गयी और १५ छात्रों के निष्कासन की सूचना भी जारी कर दी गई। ३० दिसम्बर, १९७१ को उक्त प्रिंसिपल पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिए गए। संस्था के जनरल सेक्रेटरी ने एक घोषणा ३० दिसम्बर, १९७१ को कालेज को खोलने की थी, लकिन

ऐसा मालूम पड़ता ह कि पर्याप्त संख्या में छात्र कालेज में नहीं आए । इसी के फलस्वरूप कालेज के अधिकारियों ने ५ जनवरी, १९७२ से कालेज को पूर्णत: बन्द कर दिया। कालेज के जनरल सेक्रटरी द्वारा दिए गए प्रेस नोट के अनुसार कथित प्रिंसिपल निलम्बित भी कर दिए गए हैं और ३१ दिसम्बर, १९७१ के बाद एक अन्य प्रिंसिपल स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए जा चुके हैं।

यद्यपि कालेज का शासन से सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी इस मामले को सुलझाने की कोशिश शासन की ओर से की गई। कमिश्नर, इलाहाबाद डिवीजन, ने इस मामले में काफी प्रयत्न किया, लेकिन संस्थापक टीचरों को वापस लेने तथा छात्रों के निलम्बन को वापस लेने के लिये तैयार नहीं थे। होम्योपैथिक बोर्ड ने भी इस मामले में जांच करने के लिये एक कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी को दोनों पक्षों का सहयोग नहीं मिला। इसी बीच स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से अतिरिक्त निदेशक को भी इलाहाबाद भेजा गया कि छात्रों की मांगों के संबंध में जांच कर लें एवं कालेज को सुचारु रूप से चलाने के विषय में संयोजक एवं छात्रों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करें। यह भी असफल रहे। इलाहाबाद के कमिश्नर फिर प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज से मिल कर इस मामले का कोई हल निकाल लें।

शासन का इस संस्था पर सीधा नियंत्रण नहीं है और इस संस्था को पिछले कई वर्षों से कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। होम्योपैथी ऐक्ट के अन्तर्गत कोई ऐसा प्राविधान नहीं ह कि शासन संस्था को अपने नियंत्रण में ले ले।

दूसरा मामला लाल बहादुर शास्त्री, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद से संबंधित है। इस संस्था को भी शासन द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है । बोर्ड ने इसे डिप्लोमा कोर्स चलाने की अनुमति दे रखी है। यह संस्था बोर्ड से विधिवत् सम्बद्ध रखता नहीं है। ऐसी दशा में शासन पर इस संस्था के कार्यकलापों का सीधा सम्बन्ध अथवा दायित्व नहीं है। यहां चल रही तथाकथित हड़ताल के बारे में संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

उप स्वास्थ्य निदेशक होम्योपैथी के पद का सृजन हो गया है। पद पर नियमित नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। लेकिन इस बीच में तदर्थ रूप से नियुक्ति करने के लिए निदेशालय द्वारा अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र मांगे गए हैं। निदेशक की संस्तुति आने पर इस पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्ति कर दी जाएगी।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी के उत्तर को बड़े ध्यान से मैंने पढ़ा है। मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि एक छात्रा का प्रिंसिपल ने शील भंग किया है। ऐसा आरोप लगाया गया है और मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है। ३ अध्यापकों को निकाला गया है और १५ छात्रों को निष्कासित किया गया ह। मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है कि...

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री रामगोपाल सण्ड—

उस संस्था के जो मंत्री हैं वह इसी दल के एक सम्मानित फर्रुखाबाद से चुने गये संसद के सदस्य हैं। तो क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी उक्त संसद सदस्य से जो एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं इतना डरते हैं कि एक लाइन का एक संशोधन यहां लाने से हिचकते हैं। मुरादाबाद में इन मंत्री जी ने कहा था कि मैं संशोधन लाऊंगा और उक्त कालेज में एक प्रशासक नियुक्त करूंगा। तो मंत्री जी को क्या कठिनाई है ? ४०० छात्रों का भविष्य अन्धकार में पड़ा हुआ है। यह

[श्री राम गोपाल सण्ड]

कालेज है अनुदान मिलता है, छात्रों को समाज कल्याण विभाग से स्कालरशिप मिलता है। ५०-५० रुपये मासिक छात्रों से फीस ली जाती है। स्वास्थ्य मंत्री जी का कर्तव्य है कि हड़ताल समाप्त की जाय और कालेज खोले जायं तथा लड़कों को इम्तहान होने की सुविधा दी जाय। तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वह सदन में बिल कब लायेंगे ? इलाहाबाद गये थे तो रो पड़े थे उस कालेज को देख कर।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इन कालेजों की हालत बहुत खराब है लेकिन मजबूरी सरकार की यह है कि सरकार इनको कोई अनुदान नहीं देती और बोर्ड से केवल एक कालेज जिसकी इलाहाबाद होमियोपैथिक कालेज कहते हैं वह सम्बद्ध है। दसरा लाल बहादुर शास्त्री होमियोपैथिक कालेज तो सम्बद्ध भी नहीं है, केवल परमीशन ही उसको मिली हुई है। ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक ऐक्ट में सरकार के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं ह कि वहां की मनीजिंग कमेटी को भंग करके या तो अथोराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर कर सके या अपने अधिकार में ले सके।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

२० तारीख के साप्ताहिक "भारत" में यह समाचार छपा है कि सरकार ने होमियोपैथिक मेडिकल कालेज को नियंत्रण में लेने के लिये आश्वासन दिया है। तो २२ मार्च, १९७१ को हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से और श्री राजेन्द्र कुमारी जी बाजपेयी से एक शिष्ट मंडल मिला था वहां के विद्यार्थियों का रामकुमार त्यागी के नेतृत्व में। इन दोनों ने आश्वासन दिया था कि जो १५ छात्र निष्कासित किये गये हैं उनको फिर से ल लिया जायगा और जिन ३ छात्रों को निलम्बित किया गया है उनको बहाल कर दिया जायगा और एक जांच समिति की नियुक्ति की जायगी और सरकार इसी सत्र में एक ऐसा विधेयक लायेगी जिसके द्वारा होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद को सरकारी नियत्रंण में ले लिया जायगा। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह आश्वासन उनको दिये थे और अगर दिये थे तो ऐसा विधेयक सदन में लाने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

अभी तक तो गवर्नमेन्ट के हाथ में कोई अधिकार मौजूदा ऐक्ट में नहीं है लेकिन ऐसी अवस्थाओं को देखते हुये सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि कानून में कुछ ऐसे संशोधन किये जायं जिससे सरकार कोई प्रभावकारी कदम इन कालेजों के संबंध में उठा सके।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

जहां तक लाल बहादुर शास्त्री होमियोपैथिक कालेज का सम्बन्ध है [क्या] माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २३ मार्च को वह स्वयं उस कालेज में गये थे ? यदि हां, तो क्या-क्या गड़बड़ी पायी और क्या उसके छात्रों को जो आश्वासन दिया था उसको शीघ्र ही पूरा करेंगे और उस कालेज को सरकार के नियंत्रण में लेकर चलायेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

हां, मैं इलाहाबाद गया था और छात्रों को बताया था कि सब सही है कि आपके कालेज की हालत बड़ी खराब है। रोया तो नहीं; यह तो वैसे ही कह रहे हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड--

माननीय, मैं अखबार पेश कर सकता हूं, कि मंत्री जी रोये थे।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, सण्ड जी इलाहाबाद के हैं। हो सकता है पत्रकारों से कह कर छपवा दिया हो। मैं रोया नहीं था, दुख जरूर हुआ था। मैंने विद्यार्थियों से कहा था कि अगर हम उसके अफीलियेशन को खतम कर देंगे तो जो विद्यार्थी वहां तीन-तीन चार साल से पढ़ रहे हैं, उनका नुकसान होगा। उनका क्या भविष्य होगा? इसलिये मैंने कहा था कि गवर्नमेंट के हाथ में कोई ऐसा पावर अथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त करने का नहीं है। मैंने लड़कों से कहा था कि जब मैनेजिंग कमेटी स्थापित हो जायेगी, तो विचार किया जा सकेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन कालेजों में बड़ी अनियमिततायें और दुर्व्यवस्थायें व्याप्त हैं और सरकार उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। तो क्या सरकार अगले कुछ महीनों में बच्चों के भविष्य को देखते हुये कोई व्यवस्था लाने में सफल हो जायेगी?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

सरकार की तरफ से बराबर प्रयास चल रहा है। हमारे ज्वाइन्ट डाइरेक्टर वहां गये थे और होम्योपैथिक मैडीशन बोर्ड की कमेटी वहां गयी लेकिन वहां दो पार्टियां हैं और वे एक दूसर के साथ कोआपरेट नहीं करतीं। यदि दोनों पार्टियां अपनी तरफ से हमको लिखकर दे दें कि सरकार जो कुछ निर्णय कर देगी, उन्हें मान्य होगा, तो सरकार निर्णय कर देगी।

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद होम्यो मेडिकल कालेज की प्रबन्ध समिति के कौन-कौन से सदस्य हैं? जो जांच की रिपोर्ट है कि मंत्री जी उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने विचार करने के लिये स्वीकार कर लिया है। समिति के कौन-कौन सदस्य हैं यह एक अलग सवाल है। वह सरकारी नियंत्रण में नहीं है।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर मैंने जो प्रश्न उठाया था, उसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया। पहला था कि जो मैनेजिंग कमेटी पर आरोप है, उनके विषय में जांच कमेटी बिठाई जाय और दूसरा कि सरकार बराबर आश्वासन देती है कि सरकारी नियंत्रण में होगा तो क्या कोई विधेयक इस सम्बन्ध में लाने पर विचार रखेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस संबंध में विचार कर रही है कि इस संबंध में कानून में कैसे परिवर्तन किया जाय। लेकिन बहुत सी प्रक्रियायें हैं। यह कैसे बता सकते हैं कि कितना समय लगेगा।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर होता यह है कि मंत्री लोग संस्थाओं में आदर पाने के ख्याल से लम्बे-लम्बे आश्वासन दे देते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष—

व्यक्तिगत प्रहार न करें।

श्री छांगुर राम—

श्री कल्याण सिंह जी ने बताया कि इस विषय में तमाम वायदे किये गये हैं किन्तु मंत्री जी यहां बता रहे हैं, कि सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं। जब सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर विद्यार्थियों के बीच में वायदे करके क्यों चले आये ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह अलग सवाल है।

उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नौकरी समाप्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (श्री सोहनलाल धुसिया)—

अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्ग के पदों पर नियमित नियुक्ति पाने के लिए 'अधीनस्थ कार्यालयों के क्लर्की अमले की भर्ती के नियम १९५०' के अन्तर्गत निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। पिछली परीक्षा १९६२ में ली गई थी। इसके बाद जून, १९७१ में शिक्षा निदेशालय में लिपिकों की १३१ पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी। उस परीक्षा में शिक्षा निदेशालय में कई वर्ष से कार्यरत अनानुमोदित लिपिक एवं बाहरी अभ्यर्थी (कुल १,४०० अभ्यर्थी) सम्मिलित हुए थे। इस सम्मिलित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में निदेशालय के सिर्फ ६७ कार्यरत कर्मचारी उत्तीर्ण हुए। १९ अधीनस्थ कार्यालयों के तथा १९ बाहरी अभ्यर्थी सफल हुए। बाकी २६ रिक्तियों पर अनुसूचित वर्ग, छटनी कर्मचारियों आदि की नियुक्ति करनी थी। निदेशालय के ६० कर्मचारी जो करीब १ वर्ष स १५ वष तक की सेवा काल के थे जिनमें १० तो परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं हुये थे, उनको अतिरिक्त शिक्षा निदेशक ने सेवा समाप्ति के आदेश दिए थे। जिन लोगों को नोटिस दी गई है उन्होंने शासन को प्रत्यावेदन भेजा है। सेवा समाप्ति के आदेशों को शासन ने फिलहाल रोक दिया है। इनके मामलों पर शासन विचार कर रहा है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

कितने कर्मचारी उत्तीर्ण हुये और जब उत्तीर्ण हुये तो उनको फिर नोटिस क्यों दी गयी ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

६७ उत्तीर्ण हुये, उनको नोटिस कहां दी गयी।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

सन् ६२ से सन् ७१ तक जो परीक्षा नहीं ली गयी उसका क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

परीक्षा न लेने वाले तो चले गये। यह जवाब मुझसे क्यों तलब हो रहा है ?

श्री मोहनलाल कपूर—

मान्यवर, जिनको नोटिस दी गयी हैं इनमें अनेकों ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है और १७–१७ साल से कार्य कर रहे हैं। आपने बताया है कि आदेश को अभी रोक दिया गया है। तो क्या उस आदेश को रद्द करके उन्हें स्थायी करेंगे क्योंकि सरकार बेरोजगारी कम करने का प्रयास भी कर रही है ? क्या आप उस आदेश को वापस लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह नियमों के अनुसार ही तो करेंगे।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, इनमें तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें कई इन्क्रीमेंट मिल चुके हैं, अच्छी प्रविष्टियां मिली हैं, १७ वर्षों तक काम कर चुके हैं, और आज इतने वर्ष बीत जाने पर उनसे कहा जाता है कि वे परीक्षा दें। फिर जब उन्होंने हड़ताल की तो आपने नोटिस को रुकवा दिया। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि यह ६० ऐसे कर्मचारी हैं जो देशभक्ति के साथ काम कर रहे थे, इन्हें आप तत्काल स्थायी घोषित करने की कृपा क्यों नहीं करते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं इसे और स्पष्ट कर दूं, फिर मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर दें तो अच्छा रहे। इस सरकार ने समय-समय पर अपना यह विचार प्रकट किया है कि तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक जिनकी सेवा अवधि अधिक हो चुकी है उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें स्थायी करने में उन्हें क्या कठिनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह जितने तथ्य उपस्थित किये गये उन्हीं के प्रकाश में यह आवश्यक समझा गया कि जो आदेश दिया गया है वह रोक दिया जाए और वह रोक भी दिया गया है। हम उस पर विचार कर रहे हैं, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है कि जिन्होंने १७-१७ साल नौकरी कर ली है उनको निकाला न जाए। खासकर जब उनको एन्क्रीमेंट दिया गया और परीक्षा भी ली गई। यदि किसी कारण से उनको निकाला जाता है तो यह उनके साथ बहुत ज्यादती होगी। जो कानूनन उन्हें निकाला गया है वह कानून की दृष्टि से भले ही सही हो लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम उस पर विचार कर रहे हैं।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम ५६ के अन्तर्गत कुल ५ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सर्वश्री चौधरी रामपाल सिंह यादव, मोतीलाल देहलवी, रूपनाथ सिंह यादव, भगलूसिंह तथा अनन्तराम जायसवाल ने एक सूचना दी है---श्री जगदीश अहीर के ग्राम जुरिया, थाना मंगलपुर, जिला कानपुर के घर में पुलिस का घुसना तथा गोली चलाना । यह विषय स्वीकार नहीं हुआ।....

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, दिन दहाड़े पुलिस ने घर में घुसकर जगदीश यादव, ग्राम जुरिया, थाना मंगलपुर, जिला कानपुर को गोली मार दी जिससे वह मर गया। इससे इलाके में बहुत आतंक छाया हुआ है। जब पुलिस ही गोली मार देगी तो जनता की कैसे रक्षा होगी। आप गृह मंत्री जी से वक्तव्य दिला लें, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाए। यह बहुत आवश्यक ह। मैं घटनास्थल पर गया था हजारों लोग इस बात से बहुत चिन्तित और परेशान हैं। इस नालायक सरकार के सिपाही लोगों को गोली मार देंगे घर में घुसकर तो लोगों की रक्षा कैसे होगी ? यह मार्च २१ तारीख की घटना है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसीलिए मैंने कहा इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें। यदि फिर भी आपको सन्तोष नहीं होगा तो मैं विचार करूंगा।

दूसरा माननीय नित्यानन्द स्वामी ने प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई अन्तरिम सहायता से असन्तोष एवं हड़ताल की घोषणा के सम्बन्ध में दिया है। यह चतुथ श्रेणी कर्मचारी न हड़ताल पर हैं न धरना दिये हैं, इसे अस्वीकार किया है....

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, उनमें बड़ा असन्तोष व्याप्त है। उनको ५ रुपया देकर छुट्टी कर दी गई है। अभी सदन में एक बार चर्चा हो चुकी है जो कम वेतन पाने वाले हैं उसको अधिक भत्ता दिय जायगा। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े-बड़े तन्ख्वाह वालों को बड़ा भत्ता दिया जाता है और अल्पवेतन भोगियों के पेट पर लात मार दिया जाता है। अभी सुनने में आया है राजपत्रित जो पी० सी० एस० अधिकारी हैं इनका वेतन बढ़ाकर १,३०० से १,६०० का स्केल दिये जाने की बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। इसलिये इसे कृपया आप स्वीकार कर लें, सरकार कुछ कह कि उनको कुछ राहत वह देंगे या नहीं देंगे। वे आपकी विधान सभा के सामने भी बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैंने कह दिया कि इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तो श्रीमन्, मुझे इसके लिये आज्ञा दें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रति इस सरकार की जो नीति है उसके विरोध में मैं ५ मिनट क लिए इस सदन का त्याग करूं।

(श्री नित्यानन्द स्वामी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के इंजीनियरिंग सबार्डीनेट्स संघ के कर्मचारियों द्वारा मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल के विषय पर श्री रामगोपाल संड ने दिया है। यह तो पहल ही वक्तव्य के लिए स्वीकार हो चुकी ह और ३-४-७१ की तिथि इसके लिए निर्धारित है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

यह मुझ मालूम नहीं था। तो अब मेरा नाम भी आप उसमें शामिल कर लें, जिससे मैं भी प्रश्न कर सकूं। वे लोग कल मिलने भी आए थे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह क्या बात कि आप का नाम भी शामिल कर लिया जाए। इस पर वक्तव्य तो होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री त्रिलोक चन्द ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उत्तर प्रदेश के ७ मंत्रियों को भ्रष्टाचार पक्षपात के आरोप में अपन पदों से हटाने की संस्तुति, विषय पर दिया है। यह भी अस्वीकार है। मंत्रिपरिषद् में आपको विश्वास नहीं है तो आज ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा का अन्तिम दिन है, आप सरकार को गिरा सकते हैं। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जिन सात मंत्रियों का खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच हो रही है, उन पर गबन और पक्षपात क गम्भीर आरोप ह। यहां तक कि एक पाकिस्तान से जासूसी कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री हमारी राय से सहमत होंगे कि निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब वह लोग अपना पद त्याग कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या पता है जांच का?

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

यह अखबार में प्रकाशित हो रहा है। कहिए तो मैं पढ़ दूं। सात मंत्रियों के खिलाफ किया है। अखबार में प्रकाशित हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप समझ रहे हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई काम किया है तो प्रश्न क्यों नहीं पूछ लेते हैं? मंत्रि परिषद् के सदस्यों के विरुद्ध कोई केन्द्र से कार्यवाही हो रही है, लेकिन क्या आप कल्पना कर लेंगे अखबार के आधार पर?

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

अखबार ने ब्योरे में लिखा है। माननीय मुख्य मंत्री उनको हटा नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

अल्पसूचित प्रश्न दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय रामवचन यादव, माननीय हिम्मत सिंह और माननीय हरिनाथ तिवारी---उत्तर प्रदेश सरकार के हरिजन कल्याण विभाग द्वारा छात्रों को दी जाने वाली सहायतार्थ दी गयी चेकें बैंक के अवकाश के कारण बेकार। यह चेकें बेकार कैसे हो जायंगी बैंक के अवकाश में? अल्पसूचित प्रश्न आप करें।

श्री रामवचन (जिला आजमगढ़)---

ऐसा है, कल ३०-३-७२ को ८ बजे तक लड़कों को चेक दिये गये। ऐसी स्थिति में कल नया वर्ष शुरू होने जा रहा है, आज छुट्टी है। सारा रुपया लैप्स हो जायगा। इस तरह से हरिजन वर्ग के हजारों गरीब लड़कों का रुपया बरबाद हो रहा है। हजारों लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह बड़े महत्व का है। ३० मार्च को उनको चेक दिया और पहली अप्रैल से नया वर्ष आरम्भ हो रहा है। सचमुच यह बड़े महत्व का है, पता नहीं कितने हजार विद्यार्थियों का इंटरेस्ट इसमें इनवाल्व्ड होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

उनका जो हित है उस पर कैसे कुठाराघात होगा? ३० मार्च को उन्होंने चेक दिया है ३१ तक हो जायगा। (व्यवधान) आप सुन लें। आपने जो लिखा है उस पर कह रहा हूं।

श्री रामवचन---

यह घोषणा करें माननीय मुख्य मंत्री सदन में कि रुपया उनको मिलेगा। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)---

अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात की घोषणा कर दें तो सारा पैसा छात्रवृत्ति का निकल सकता है। यह छात्रवृत्ति का मामला गरीबों का मामला है। आज ट्रेजरी बन्द होने के नाते सारा पैसा गरीबों को नहीं मिल पायेगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा से ट्रेजरी खुल सकती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इतने विद्यार्थियों का इतना रुपया लैप्स हो जायगा। इससे अधिक अवलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न और कौन होगा?

श्री उपाध्यक्ष---

तो आपके सवाल से कैसे हो जायगा?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अगर आप मेरी बात न मानें तो इनकी बात मान लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

जो आपने लिख कर दिया है, चेक कैसे लैप्स होता है?

(व्यवधान)

श्री रामवचन---

यह गरीबों का प्रश्न है, अमीरों का प्रश्न यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से नहीं।

(श्री रामवचन आगे कुछ कहते रहे)

यह जो आपका व्यवहार है, उद्धत है, संसदीय परम्परा के विरुद्ध है।

श्री रामवचन---

इसको मानना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जिस वर्ग के लिये यह रुपया है उस पर बहुत बड़ा आघात है। इस अवसर पर रुपया दिया जाय कि वह उसका उपयोग न कर सके और वह ३१ तारीख को लेप्स हो कर फिर सरकारी खजाने में वापस हो जाय यह उचित नहीं मालूम होता। मुख्य मंत्री जी मानवता की बात करते हैं लिहाजा वह इस समय घोषणा कर दें कि वह कोई व्यवस्था कर देंगे ताकि इस रुपये का सदुपयोग हो सके।

श्री उपाध्यक्ष---

चेक लेप्स नहीं हो सकेगा।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

शोर के कारण सवाल समझ में नहीं आ रहा है। त्रिपाठी जी प्रश्न को समझा दें तो बिना बहस मुबाहिसे के कोई न कोई समाधान निकाल दिया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

पिछड़े वर्ग के लिये लगभग ५० हजार रुपये दिये हैं किताबों तथा अन्य अनुदानों के रूप में। वह चेक कल कटा था और आज ३१ तारीख को बैंक बन्द होने के कारण वह भुन नहीं सकेगा स्वाभाविक है कि वह लप्स हो जायगा। सरकार की नेकनीयती है लिहाजा कोई ऐसी व्यवस्था आप कर दें कि वह रुपया उनको मिल जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं निवेदन कर दूं कि मैं उसकी व्यवस्था करवा दूंगा ताकि वह लप्स न हो सके। इसमें आवेश की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

बहुधा देखा जाता है कि ३०तारीख का कटा हुआ चेक ३१ तारीख को भुन जाता है लेकिन इस परिस्थिति में वह किसी मद में चला जायगा, जिलाधिकारी उसको किसी मद म ले लेते हैं फिर वह उसी के मुताबिक उसको खर्च करते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

ऐसी व्यवस्था क्यों न कर दी जाय कि ३०अथवा ३१ मार्च को रुपया न देकर जनवरी अथवा फरवरी के महीने में दिया जाया करे ?

श्री उपाध्यक्ष---

बजट पर आप यह बात बोल सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अभी कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री ने कहा था कि उनको हरिजन तथा लोकतंत्र की हत्या होती दिखाई देती है। मैं मुख्य मंत्री जी की नीयत पर शंका नहीं करता। बहुत सी बातें उनको मालूम नहीं हैं। वरना हमारी राय के वह भी होते लेकिन उससे कठिन पहलू यह है कि यह माननीय सदस्य आपके अधीन काम करते हैं।

राज्य सभा के निर्वाचन में सरकार द्वारा कथित भ्रष्ट तरीके अपनाने पर आपत्ति

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मुझे सूचना दी गई है कि इस सरकार द्वारा राज्य सभा के होने वाले चुनाव में सुरा और साड़ी का प्रयोग हो रहा है, जिला अधिकारियों का प्रयोग हो रहा है और यहां तक कि सी०आई०डी० की सर्विसेज का भी प्रयोग हो रहा है। जैसा कि मैंने कल परसों भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि किडनैपिंग हो रही है। सरकार के इस रवैये को देखते हुये मेरा दल आज पूरे दिन के लिये इस सदन का त्याग करता है। इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है और वह निश्चित रूप से हो रही है। निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। इसलिये जनसंघ दल आज सारे दिन के लिये सदन का त्याग करता है।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(इस समय १२ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष आत्माराम गोविन्द खेर पीठासीन हुये।)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने आपके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रखा। मैं भी यह समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में और आज के वातावरण में हमारे दल के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह आज की सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। इसलिये बी०के०डी० भी आज दिन भर के लिये वाक आउट करता है।

(श्री जगवीर सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी आपके सामने तथ्य पेश हुये उनसे बिल्कुल साफ हुआ है कि मौजूदा सरकार की तरफ से विधायकों को खरीदा जा रहा है । राज्य सभा के चुनाव में श्री राजनारायण को हराने के लिये दिल्ली की सरकार ने दूत भेजे हैं और यहां पर बी० आर० मोहन को लाकर खड़ा कर दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जनतंत्र की हत्या हो रही है इस सरकार की तरफ से । जनता के चुने हुये विधायकों को खरीदा जा रहा है । प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, इसके विरोध में हमारा दल भी पूरे दिन के लिये इस सदन का त्याग करता है ।

(चौधरी रामपाल सिंह यादव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपने देखा कि सारे विरोध पक्ष की कुर्सियां खाली हो गईं इस सरकार के रवैये के विरोध में । सबसे अधिक घाव और चोट हमारे दल को ही लगी है। इस सरकार का सीधा-सीधा प्रहार हमारे दल के ऊपर होता चला जा रहा है और निरन्तर होता चला जा रहा है । आज आप देखें, जिस प्रकार आज सत्ताधारी दल ने खुले आम दारुल सफा में रहना दूभर कर दिया है और जिस प्रकार लोगों को डरवाना और धमकाना शुरू कर दिया है और उसके लिये जैसा कि माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने कहा है कि किन-किन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य सभा के चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल कोई भी मान्य नियमों की बात नहीं कर रहा है । इसलिये मेरे लिये भी मजबूरी है कि आज इस सरकार के कर्त्तव्यों के विरोध में जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों और दलों ने किया है हमारा दल भी विरोध प्रकट करते हुये सदन का त्याग करता है ।

मुख्यमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, ये कितनी देर के लिये जा रहे हैं यह तो बता दें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पूरे दिन के लिये ।

(श्री कल्पनाथ सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

अच्छा, धन्यवाद । श्रीमन्, मुझे खेद है कि हमारे विरोधी दल के लोग केवल इस संशय और आशंका में कि सरकार उनके ऊपर प्रहार कर रही है, सदन छोड़ कर जा रहे हैं । जहां तक मैं समझता हूं, असफलता जो होती है वह मनुष्य के मस्तिष्क में विक्षोभ और निराशा का सृजन करती है। असफलता जननी है मनुष्य की अन्य दुर्बलताओं को उभारने के लिये । ये बाहर असफल हुए, श्रीमन्, हजार बार कोशिश इन्होंने की बाहर । जनता हमारे साथ आ गयी इंदिरा जी के नेतृत्व में । सदन के भीतर मान्यवर, यह असफल हुये । यहां जो माननीय सदस्य हैं, इस चुनाव के बाद जो विजय हमारी हुई है उसमें अपने-अपने दल छोड़ कर चले आ रहे हैं । बाहर जनता चली आ रही है, भीतर इनके सदस्य छोड़-छोड़ कर चले आ रहे हैं और गुस्सा निकाला जा रहा है हमारे ऊपर । अब मान्यवर, हमारी लाचारी है । जब लोगों के मन पर यह भाव बन गया है विरोधी दल के हमारे साथियों पर कि अब देश का कल्याण इंदिरा जी के नेतृत्व में है और यह विश्वास बन गया है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी नीति और कार्यक्रम जो है उसको कार्यान्वित करने से ही हमारे इस प्रदेश का भी उद्धार होगा और एक नये भारत और नये समाज की रचना होगी और इसी विश्वास को लेकर उधर से छोड़ कर इधर आ रहे हैं तो निराधार आक्षेप भी लगाये जा रहे हैं । कहीं पैसे की बात कही जाती है, कहीं दबाव की बात, कहीं सी०आई०डी० की इंक्वायरी की बात कही जा रही है । यह इनके दिमाग की कल्पना है । न सी०आई०डी० इंक्वायरी हो रही है, न दबाव डाला जा रहा है और न कहीं पैसा । होगा तो इन्हीं लोगों की ओर से होगा । न कहीं कोई पैसा हो रहा है । हमारा इतना बड़ा बहुमत है कि इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है । हमें खेद है कि हमारे साथी यहां से उठकर चले गये ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में राज्यपाल के संबोधन पर बधाई का प्रस्ताव भाई रियासत हुसैन ने रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । साथ ही विरोधी दल के भाई जो दुष्कर्म किये थे, पाप किये थे, और जो उनके पास कोई वाणी नहीं रह गयी थी समाजवाद के आगे वह मैदान छोड़ कर चले गये हैं । उसके संबंध में भाई कल्पनाथ सिंह ने जो संबोधन का विरोध किया है, इस धन्यवाद के प्रस्ताव का, उसका मैं विरोध करता हूं और साथ ही साथ माननीय रियासत के धन्यवाद का समर्थन करता हूं ।

आज देश में लहर वैसी आ गयी है जैसी कि १९३० में आयी थी जब हिन्दुस्तान में म० गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई छेड़ी गयी और उस समय शराब और विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया और सारी चीजें सामने आयीं जनता के अन्दर ऐसी भावना पैदा हुई कि जहां सत्याग्रही जाते थे वहीं उनकी धूम मच जाती थी । वैसे ही इंदिरा जी के नेतृत्व में समाजवाद का जो असल रूप है वह सामने आया । आज गरीबों को भी आशा हुई कि हमें रोटी-कपड़ा और मकान पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम सुन्दर ढंग से होगा । वह चीज सामने आयी । आपने देखा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बंगला देश आजाद हुआ । आज वहां के लाखों-करोड़ों शरणार्थी भाई आये, उनको अच्छी तरह से खाना-कपड़ा दिया गया, सहायता दी गयी और उनके देश के आजाद होने के बाद वे चले गये और वहां भी समाजवाद का वही रूप सामने आया जैसा कि त्रेता युग में राम ने लंका में जाकर लंका को फतह किया था तो उन्होंने वहां का राज्य विभीषण को दे दिया और कोई चीज वहां की नहीं ली । उसी तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है कि हम बंगला देश में विजयी हुए, जीते लेकिन उनका राज्य भाई मुजीबुर्रहमान को देकर वापस आ गये और वहां पर भी समाजवाद स्थापित होने जा रहा है ।

आज जितने दल हैं, मुझे देख कर ताज्जुब हुआ कि यहां जो संगठन कांग्रेस वाले बी०के० डी० वाले, जनसंघ वाले, सोशलिस्ट पार्टी वाले चारों इतने निरुत्साह हो गये हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है । आज वह समाज की आंधी में ठहर नहीं पा रहे हैं और लांछन लगा रहे हैं कि रुपया, पैसा, धन, शासन की तरफ से इस्तेमाल हो रहा है । वह शायद भूल गये कि जनता ने हमको लाखों वोट देकर भेजा है और इतनी तादाद में भेजा है, इसलिए कर्ज दिया गया कि विरोधी दल में कोई रहना नहीं चाहता । इसलिये नहीं रहना चाहते हैं कि जनता आज समाजवाद चाहती है और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा जी का नेतृत्व चाहती हैं । इसलिये जो माननीय सदस्य चुन कर यहां आये हैं वे सोचते हैं कि अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हमारी लुटिया डूब जायेगी । वे लोग अपने अपने दलों को छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं । वे लोग क्रांतिकारी और प्रगतिशील दल के साथ रहना चाहते हैं । यह सारी बात है ।

---

†३० मार्च, १९७२ की कार्यवाही से ।

[श्री गंगा प्रसाद]

हमारे महामहिम राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें समाजवाद की एक रूपरेखा दी हुई है। गांव वालों को अधिकार मिले हैं और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं। उनके अन्दर जाने के लिये काफी समय चाहिये। इसलिये उसके अन्दर न जाकर मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारा गोंडा ऐसा जिला है जहां पर गरीबी का तांडव नृत्य होता है। इस साल की बाढ़ के कारण बड़ी भारी तबाही जिले की हो गई है। लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। आजकल हमारे यहां भुखमरी फैली हुई है और लोग भूख से मर रहे हैं। उनके लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

सरकार की तरफ से एक क्रैश योजना चलाई गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन जिलों में इस योजना को चलाया गया वहां वह इसलिये सफल नहीं हो सकी कि पश्चिमी जिलों में मजदूर नहीं मिलते हैं और पूर्वी जिलों में मजदूर मिल जाते हैं इसलिये इस योजना को पूर्वी जिलों में भेज दिया जाय। वह योजना हमारे यहां चालू की जाय जिससे लोगों को रोजी-रोटी मिल सके और वे भुखमरी से बच सकें।

इसके साथ ही साथ हमारे यहां तरबगंज में फाइलेरिया की भयंकर बीमारी फैल रही है। अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक फाइलेरिया यूनिट हमारे यहां भी खोल दी जाय। इससे जनता को बड़ा लाभ होगा। हजारों आदमी इस बीमारी से बच सकेंगे।

जूनियर हाई स्कूलों को सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। यह समाजवाद का असली रूप है। अब गरीब विद्यार्थियों की कठिनाई दूर हो जायेगी और वे भी इन स्कूलों में लिख-पढ़ सकेंगे। गोंडा जिले में २५ लाख की आबादी है, वहां २ डिग्री और २५ इंटर कालेज हैं। केन यूनियन नवाबगंज की तरफ से नवाबगंज में डिग्री कालेज खोलने के लिये रुपया इकट्ठा हुआ। वहां पर एक डिग्री कालेज खोल दिया जाय। बेकारी बढ़ती जा रही है। बाढ़ के कारण खरीफ की फसल बरबाद हो गई, मकान ध्वस्त हो गये। तकाबी देने की दशा बड़ी शोचनीय है ५/१० रुपये लेखपाल कानूनगो, बड़े बाबू लेते हैं। जिनकी दरख्वास्तें मंजूर करते हैं उन्हीं से रुपया लेते हैं और जो न दे उसको अनुदान नहीं मिलता है। हम लोगों ने लिख कर दिया कि कुछ आदमियों को अनुदान दिया जाये जो कि बहुत ही गरीब हैं और उनके यहां भुखमरी है लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि वे वहां पर एक कमेटी भेजें जो कि यह देखे कि वहां भुखमरी है या नहीं। हमारे यहां नवम्बर, दिसम्बर में जा करके कहीं गेहूं बोया गया जो कि बरबाद हो गया और जो रही-सही फसल थी वह भी पछुवा हवा चलने के कारण बरबाद हो गई।

वहां की भुखमरी को देखते हुए हमारी सरकार ने सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं का आटा भेजा है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि वहां मकई भेजी जाये। मकई का चबैना भी बन सकता है, सत्तू भी बन सकता है, चावल भी बन सकता है और रोटी भी बन सकती है। इस बारे में हमने मुख्य मंत्री जी से भी कहा था मगर उन्होंने मकई भेजने का अभी तक प्रबन्ध नहीं किया। गोंडा जिले में भुखमरी इतनी जोर की फैली हुई है कि लोग भूखों मर रहे हैं। अगर मैं आपको आंकड़े दूं तो आपको पता लगेगा, लेकिन क्योंकि अपनी सरकार है, उस बात को मैं जनता के बीच नहीं कहना चाहता हूं। आज वहां की दयनीय दशा है, हालत बहुत खराब है और गरीबों के पास खाना खरीदने को पैसा नहीं है क्योंकि वहां बहुत भुखमरी है। वहां से लोग भाग-भाग कर कानपुर, हैदराबाद और बम्बई जाते हैं भुखमरी को दूर करने के लिये आप कोई योजना बनायें जिससे कि लोगों को काम मिल सके।

नवाबगंज दुमवाघाट सड़क स्वीकृत हो गई है । हम जनवरी से ही कोशिश कर रहे थ परन्तु २९ मार्च, १९७२ को जाकर आदेश निकला । हमने मुख्य मंत्री जी को भी लिखा और सार्वजनिक निर्माण मंत्री को भी लिखा कि इस योजना की स्वीकृति का आदेश शीघ्र जारी हो जाये परन्तु वह आदेश अभी तक हमारे जिले में नहीं पहुंच सका है। हो सकता है वह आदेश जब अप्रैल का महीना खत्म हो जाए तब पहुंचे । जब आदेश पहुंचेगा तब बाढ़ आ जायेगी और बाढ़ आते ही वहां के लोगों को भोजन के लाले पड़ जायेंगे । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार शीघ्र ही त्वरित योजना को चलाने की ओर ध्यान दें ताकि लोगों को रोजी मिल सके ।

मान्यवर, गांव पंचायतों का चुनाव होने जा रहे हैं । देहात में आज भी बड़े लोगों का राज है । लाठी के बल पर लोग आज भी सारी चीजें करते हैं । मुझे आपसे यही कहना है कि गांव पंचायतों के चुनाव में आप थोड़ी सतर्कता बर्तें और पुलिस का प्रबन्ध करायें ताकि लोग, जिसको वे वोट देना चाहें, उसी को अपना वोट दे सकें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जोत चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां मनकापुर स्टेट है । पिछली हदबन्दी में सैकड़ों एकड़ भूमि निकली है । उस संबंध में श्री देवेंद्र नाथ मिश्रा जी प्रकाश डालेंगे जब उन्हें मौका मिलेगा कि कितनी-कितनी जमीन कुत्तों के नाम है, बिल्ली के नाम है और चूहों के नाम है ।

श्री अध्यक्ष--

क्या कुत्तों बिल्लियों और चूहों के नाम जमीन दर्ज है ?

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)--

जी हां, बिल्ली के नाम से खेत हैं । राजस्व मंत्री गये थे और उनके सामने भी बात आई थी। सी०आई०डी० की भी जांच रिपोर्ट आने वाली थी, मगर जांच को ही रोकने का प्रबन्ध हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार जो आदेश दे चुकी है उन खातों की देखभाल करने के लिए वह ज्यों के त्यों लागू रहें जिससे कि खाते सही रूप में आ सकें । जो आदमी जिन्दा हो उसको मिल जाय और अगर वह आदमी नहीं है तो उस खाते की जमीन को सरकार ले ले और गरीबों में बांट दे । बहुत सी ऐसी भी जमीन पड़ी है जिस पर छः सात साल से खेती नहीं हो रही है । सैकड़ों एकड़ जमीन है । सरकार को चाहिये कि उन जमीनों को ले ले और उन पर खेती करवाये । उससे अनाज पैदा होगा और खेतिहर मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, खाने को अन्न मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी को भी लिखा कि डुंमरिया डीह में सात मील थाना बलीरगंज है, और १४ मील के एरिया में कोई थाना नहीं है । वहां के लिये एक थाना बहुत जरूरी है जिससे कि जनता को जो आये दिन अपराधियों से पीड़ित रहती है छुटकारा मिल सके। इसी प्रकार एक अस्पताल भी डुंमरियाडीह में होना चाहिए । वहां से १६ मील नवाबगंज है और १२ मील गोंडा है। लोगों को बड़ी असुविधा है । (लाल बत्ती होने पर) एक मिनट और दे दीजिये । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां समाज कल्याण विभाग से कुछ ऋण का रुपया हरिजनों के लिये गया था लेकिन वह वापस हो गया । उनको इत्तिला नहीं मिली । मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह ऋण का रुपया उन तक पहुंच जाय इसी के साथ एक प्रार्थना और मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग चाहे किसी के पास रहे लेकिन हरिजन विभाग मुख्य मंत्री जी अपने पास ही रखें तभी हरिजनों का कुछ भला हो सकता है। जिस प्रकार से हरिजन कल्याण विभाग आज चल रहा है वह ठीक नहीं चल रहा है। जिले में जो हरिजन सुपरवाइजर रहते हैं वह हर ब्लाक पर रहने चाहिये। दो तीन सुपरवाइजर सारे जिले को नहीं देख

[श्री गंगा प्रसाद]

सकते । अगर आप हर ब्लाक में एक सुपरवाइजर रख दें तो उससे हरिजनों की बात सुनी जा सकेगी और सरकार को भी सही रिपोर्ट मिल सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं भाई रियासत हुसेन जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, जो विरोधी पक्ष की तरफ से संशोधन का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । अभी हमारे विरोधी दल के लोगों ने राज्य सभा के चुनाव को लेकर सदन से बहिर्गमन किया । जहां तक चुनाव में किसी भी भ्रष्ट तरीके को अपनाने का सवाल है उसका कोई भी दल समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन कितने लज्जा का विषय है कि हम जनता के चुने हुए नुमाइन्दे शिकायत करते हैं कि हमारे दलों के लोग बिक रहे हैं । यह सैद्धांतिक कमजोरी है । यह क्या दिखाता है । यह दिखाता है कि जिनको आप टिकट देते हैं उन्हें किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर टिकट नहीं देते बल्कि कहीं जाति के नाम पर, कहीं बिरादरी के नाम पर और कहीं किसी नाम पर देते हैं । और उसका नतीजा यह होता है कि वे अपने आपको बेंच देते हैं, अपने उसूलों को छोड़ देते हैं । चाहे किसी भी पक्ष का हो, हम सब को यह बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या कारण कि जब भी कोई उद्योगपति राज्य सभा के लिये खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से वह जीता है और किसी भी पार्टी का नुमाइन्दा हारा है । हमारे देश का यह दुर्भाग्य ही है । इस पर दल के माननीय सदस्यों को विचार करना पड़ेगा ।

जहां तक राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, इसमें संदेह नहीं है कि इसमें कुछ अच्छी बातें कही गयी हैं और ऐसा लगता है कि इस देश के अन्दर पिछले आम चुनावों में, मध्यावधि चुनाव में जो विधान सभा के चुनाव हुए उनमें नयी कांग्रेस को बड़ा भारी समर्थन दिया है उसके प्रति हमारा कांग्रेस का नेतृत्व जागरूक होता जा रहा है । लेकिन जो जनता की आकांक्षा और आशायें हैं और जिन आशाओं से उसने इंदिरा जी को व्यापक समर्थन किया है, वे आशायें इस अभिभाषण में घोषित की गयी नीतियों से हल नहीं की जा सकतीं । आपको अपनी पुरानी परम्पराओं को छोड़ना पड़ेगा । यह हमारा दुर्भाग्य का विषय है कि इतना व्यापक समर्थन पाने पर भी उत्तर प्रदेश का शासन मौलिक समस्याओं को टाल रहा है, हल नहीं कर रहा है । इसको आगे चल कर जनता बरदाश्त नहीं कर सकती । मान्यवर आपको विदित है कि बम्बई में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और वहां पर नयी कांग्रेस का पहला सम्मेलन हुआ तो हमारे मुख्य मंत्री ने ही प्रस्ताव पेश किया था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। और वर्तमान मुख्य मंत्रीजी जब विरोधी पक्ष में थे तब भी उन्होंने यह मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को चीनी मिलों का राष्ट्रीय करण करने का अधिकार प्राप्त है, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये । जब श्री चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे और कांग्रेस भी मंत्रिमंडल में थी उस समय शासक दल ने यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की क्षमता है । मैं फिर उनसे पूछना चाहता हूं कि अब कौन सा कारण है जिसकी वजह से अभी तक उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ । और जब कि उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको इतना व्यापक समर्थन दिया है । इतना होते हुए भी दिनों दिन इस मसले को टाला जा रहा है।

चीनी मिलो में ६० हजार मजदूर जो काम करते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा । चीनी के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कुल देश की चीनी का ५० प्रतिशत होता है । इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का उद्योग लेकिन उसके प्रश्न को बराबर टाला जा रहा है । मशीनें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसकी सड़ रही हैं, उनको रिपेयर नहीं किया जा रहा है, उनको संभाला नहीं जा रहा है। इसलिये कि एक तरफ तो यह हौआ खड़ा किया जाता है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा और दूसरी ओर चीनी मिल मालिकों के ऊपर आपको हाथ रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप अब भी पुरानी नीतियों से चिपके हुए हैं। उन नीतियों को आपको छोड़ना होगा और हिम्मत से काम करना होगा। अगर आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तो न केवल आप अपनी घोषित नीतियों से ही हट जायेंगे। बल्कि जनता में आपके प्रति संदेह हो जायगा। वह सोचेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से आज तक यह नहीं हो पाया कि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्य मंत्री बने कौन न बने और जिस तरह से उसको चीनी मिल मालिकों ने अब तक तय किया है क्या इन्दिरा जी की नयी सरकार भी उसी परम्परा को लेकर तो नहीं चल रही है और क्या उन्हीं के इशारे पर यह सरकार भी राज्य को चलायेगी।

दूसरा प्रश्न जो हदबंदी है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि जमीन की हदबंदी कर दी जायगी। मान्यवर, जमीन की हदबंदी का प्रस्ताव सबसे पहले नागपुर अधिवेशन में १९५९ में पास हुआ था। उसके बाद १९६८ में उसको बंगलोर में दुहराया गया। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो बम्बई अधिवेशन में भी उस प्रस्ताव को फिर दोहराया गया। जहां तक इस कानून का प्रश्न है आज से पहले भी यह पास इसी सदन से किया गया था और उस समय अन्दाजा लगाया गया था कि जब लैण्ड सीलिंग होगी तो २९ लाख एकड़ जमीन फालतू रहेगी जो गरीब हरिजन और खेतिहर मजदूर किसानों के लिये निकलेगी। जो कानून उस वक्त पास किया उसमें जान बूझ कर लूपहोल्स रखे गये लेकिन बाद में पता चला कि केवल ९० हजार एकड़ जमीन ही निकल सकी। उसमें से बिरला जी को लखीमपुर खीरी में ४ हजार एकड़ और इसी तरह से हजारों एकड़ नेवटिया जी को और बड़े-बड़े सेठों को जमीन दी गई और जितने भी बड़े-बड़े चीनी मिलों के मालिकान थे उनको आप ने उसमें से हजारों एकड़ जमीन बांट दी और गरीब हरिजन खेतिहर मजदूर जो आशा लगाये बैठा था वह मुंह देखता रह गया।

पहले बड़े-बड़े सेठों को जमीन दी गई और जो उन से बची वह यहां की नौकरशाही ने बड़े-बड़े अफसरों ने जसे नैनीताल की तराई में लाखों एकड़ जमीन की खुली लूट की है। कोई अफसर ऐसा नहीं है कि जिसका नैनीताल में पोस्टिंग हुआ हो और उसने वहां नैनीताल की तराई में अपना बड़ा फार्म न बनाया हो। कोई कमिश्नर ऐसा नहीं है कि जिसकी पोस्टिंग वहां हुई हो और उसने नैनीताल की तराई में फार्म न बनाया हो, कोई डी० आई० जी० ऐसा नहीं कि जिसने अपना फार्म न बनाया हो, वहां जमीन की खुली लूट हुई है और जमीन को हर तरह से हड़पा गया है। वहां पर श्री रामरूप सिंह का हजारों एकड़ का फार्म है, बलराम बोहरा का हजारों एकड़ का फार्म है, चूड़ामणि जी का फार्म है, डी० आई० जी० भल्ला का हजारों एकड़ का फार्म है, यहां तक कि हमारे इस्लाम अहमद साहब का भी हजारों एकड़ का फार्म है। सभी अफसरों ने वहां पर खुली लूट मचायी है और मुफ्त में वहां की धरती को हड़प लिया।

स्वर्गीय पंत जी ने वहां के लिये कालोनाइजेशन स्कीम बनायी थी और वह इसलिये बनी थी कि जो पहाड़ के लोग हैं, जो सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हैं उनको वहां की तराई की जमीन दी जाय और कहा गया था कि पहाड़ के गरीब भूमिहीन कि वह सारा काम होना था नौकरशाही के द्वारा और बजाय इसके कि वह इस कालोनाइजेशन स्कीम को कामयाब बनाते उन्होंने उस तमाम जमीन को बीबी के नाम, धर्मपत्नी के नाम, लड़कों के नाम लिखा लिया और इस तरह से सारी जमीन बड़े बड़े अफसरों के पेट में चली गई और पहाड़ के लोगों को इस ४ लाख एकड़ में से महज मुश्किल से १० हजार एकड़ जमीन मिली। हमारा सौभाग्य है कि अब पंडित जी शीघ्र ही एक नया सीलिंग कानून लायेंगे लेकिन क्या वह इसी समय सदन को

[श्री गोबिन्द सिंह नेगी]

यह आश्वासन देंगे कि यह रामरूप सिंह और चूड़ामणि और इस्लाम अहमद जैसे बड़े अफसरों ने जो जमीन हड़पी ह उसको वह छीनेंगे और उसे गरीब भूमिहीनों में बांटेंगे। यह तो जमीन का किस्सा हुआ।

पहाड़ में एक नई फलपट्टी बनाने की योजना है। ऊंची चट्टानों पर जहां सरकार ५–७ एकड़ जमीन एलाट करती है और उसके लिये ५–७ हजार रुपए का अनुदान देती है। हमारे जिले में चम्बा और मसूरी के बीच में फल पट्टी बनायी गई है, उसमें भी भूमिहीन किसानों, हरिजनों, भूतपूर्व सैनिकों को जमीन देने की बात थी लेकिन वहां भी बड़े-बड़े अफसर, एस० डी० ओ०, आला हाकिम जितने भी वहां तैनात हुये और जो सेक्रेटेरियेट में हैं और बड़े जिम्मदार पदों पर हैं उन्होंने उन प्लाटों को हड़प लिया और मुफ्त में वह जमीन मार दी और ५००० रुपया सरकार की ओर से जो दिया गया वह भी ले लिया जबकि उनमें से किसी को २ हजार, किसी को १५ सौ, किसी को १८ सौ वेतन मिलता है। इस तरह से खुले आम वहां लूट मची। इन लोगों ने और चीनी मिल मालिकों ने सारी जमीन को हड़प लिया और गरीब और गरीब भूमिहीन जो पहाड़ के थे वे टुकर-टुकर देखते रह गये। अब वह इन्दिरा जी के नारों को सुनते हैं तो आशा की नजर से आप की तरफ देखते हैं कि कब सीलिंग होगी। कहीं ऐसा न हो कि अब की बार भी इसी तरह से उस जमीन की लूट हो जाय।

एक और बड़ा प्रश्न है वह प्रश्न यह है कि यह नया ऐक्ट कौन सी तारीख से लागू होगा। १९५९ से नागपुर स लगातार मांग की जाती रही है कि जमीन की हदबन्दी होगी, बंगलौर के अभिवेशन में यह प्रस्ताव आया और फिर बंबई में भी आया। मैं बड़े अदब से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लोगों ने जो जमीन बांट दी है, रजिस्ट्री हो गयी है, और उनका हस्तान्तरण किया जा चुका है, जैसा कि भाई रियासत साहब ने भी फरमाया है कि वे ट्रांस्फर्स नाजायज करार दिये जायेंगे, वह कौन सी तारीख से गैरकानूनी माने जायेंगे और अगर उसके लिये कोई तारीख निश्चित की नहीं की जाती है तो इस नये कानून का भी वही हाल होगा जो पुराने कानूनों का हुआ है।

मान्यवर, यह प्रस्ताव आल इंडिया कांग्रेस ने १९५९ में पास किया था। मेरा निवेदन है कि अगर आप १९५९ में इस बात की आवश्यकता समझते थे कि हदबन्दी को कम किया जाय तो १ जनवरी, १९६० इसके लिये निश्चित होनी चाहिए। अगर इस तारीख से जो भी ट्रांस्फर्स हुये हैं, हस्तान्तरण हुये हैं, उनको अवैध माना जायगा तब जो जमीन निकलेगी, उसे आप गरीब किसानों को बांट सकते हैं। एक जनवरी, १९६० इसलिए भी आवश्यक है कि पहली बार जब आपने प्रस्ताव को नागपुर के अधिवेशन में पास किया तभी से ये जमीनों के ट्रांस्फर्स होने आरम्भ हो गये थे।

दूसरी बात खेतिहर मजदूरों की समस्या का प्रश्न है। यह सही है कि जब आप नया कानून लायेंगे उसमें जमीन निकलेगी, कितनी निकलेगी, यह देखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो खेतिहर मजदूर जो गांव में किसानों के यहां पर काम कर रहे हैं दैनिक वेतन पर, उनके लिए मिनिमम वेजेज ऐक्ट में कितना वेतन निर्धारित कर रखा है। १९६० में मिनिमम वेजेज कमीशन जो बना था उसकी सिफारिश पर १ रुपये से लेकर १ १/२ रुपया न्यूनतम वेतन निर्धारित है। क्या आज की महंगाई में १ या १ १/२ रुपये में हरिजन मजदूर या खेतिहर मजदूर अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है जो पुरानी वेज कमेटी बनी थी उसे भी ५ वर्ष से ज्यादा होने जा रहे हैं। उसके बाद में आपने किसी बोर्ड या कमेटी का गठन नहीं किया है। आज आप हरिजनों, खेतिहर मजदूरों और समाजवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि हम गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करने जा रहे हैं लेकिन जो देहात का गरीब है, उसकी ओर ५ वर्ष तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहूंगा कि आप एक

कमीशन गठित करें जो देहात के मजदूरों के बारे में सिफारिश करे कि मौजूदा परिस्थिति में कम से कम अर्थात् न्यूनतम वेतन क्यों होना चाहिए ।

तीसरी बात विद्युत् के बारे में है । आज के नये वातावरण में जनता की इस नयी चेतना में मैं पूछना चाहता हूं भाई रियासत साहब से कि क्या यह उचित है कि बिरला साहब को तो आप २ पैसे की कीमत पर बिजली दें और किसानों को वही बिजली आप ४५ पैसे में दें और घरेलू कामों के लिए उपभोक्ताओं को ४५ पैसे में । कैसे आप जस्टीफाई करते हैं । सबसे बड़ा पूंजीपति जिसके बारे में आपके पास मोनोपाली कमीशन की रिपोर्ट भी मौजूद है और तमाम बातें मौजूद हैं । आज भी आप उसको दो पैसे के दर पर बिजली देते हैं । पिछली दफे प्रश्न आया माननीय तिवारी जी की ओर से कहा गया कि उनके साथ पच्चीस साल का एग्रीमेन्ट है उसको हम भंग नहीं कर सकते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो उस एग्रीमेंट के अन्दर एक शर्त यह भी थी कि बिड़ला जी को एक निश्चित मात्रा में बिजली दी जायेगी और अगर उस निश्चित मात्रा का पैसा भी उन्होंने अदा नहीं किया तब बाजार की दर पर बिजली का दाम बिड़ला जी से वसूल कर लिया जायेगा । बिड़ला ने इस धारा का उल्लंघन किया है । दस करोड़ रुपया बकाया है । उन्होंने दस करोड़ रुपये की अदायगी नहीं की । क्या यह एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन नहीं था । अगर आपकी हिम्मत होती और नई नीतियों पर आपकी आस्था है उस समय मुद्दाविजा मिल गया होता तो आप उस दर को परिवर्तित कर सकते थे । आज क्या नतीजा होता है, एग्रीमेन्ट को बलाये ताक विद्युत् परिषद् ने रख दिया है और उसको मौका दे दिया कि हाई कोर्ट में जाकर स्टे आर्डर ले आये । जबकि असेम्बली क अन्दर लगातार इस प्रश्न पर चर्चा हुई । रवन्यू कोर्ट क बगल में आपका स्टाफ है, विद्युत परिषद् का स्टाफ है, सिंचाई का स्टाफ है । हमको मौका मिला था लोक लेखा समिति के सदस्य होने के नाते इस जगह जाने का । अगर आप वास्तव में देखें .....

(लाल बत्ती होने पर)

तो आपका जो सरकारी स्टाफ है वह वहां इस ढंग से व्यवहार करता है जसा कि वे बिरला के नौकर हों । वहां पर बिरला का जो गेस्ट हाउस है उसमें इंजीनियर पड़े रहते हैं, ओवर-सीयर पड़े रहते हैं, असिस्टेन्ट इंजीनियर पड़े रहते हैं और ऐसा लगता कि जैसे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के नौकर न होकर बिरला के खानदान के नौकर हैं ।

अन्तिम बात जिसकी ओर म माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि टिहरी में टिहरी बांध परियोजना है जो तमाम एशिया के अन्दर सबसे बड़ी योजना है और तमाम दुनिया के अन्दर जो दूसरे नम्बर की योजना है। इस योजना में दस हजार एकड़ धरती ल ली जायगी। इसमें से पांच हजार एकड़ ऐसी जमीन है जिस पर सिंचाई होती है जिस पर खेती होती है। इस जमीन पर ९२ गांव हैं और उनमें से जब यह जमीन एक्वायर की जायेगी तब वहां पर बांध बांधा जायगा। तो ये ९२ गांव जलमग्न हो जायेंगे और हजारों की जनता विस्थापित हो जायेगी। माननीय मुख्य मंत्री ने लगातार आश्वासन दिया, माननीय मंत्री ने लगातार आश्वासन दिये कि विश्वविद्यालयों की पुनर्वासन योजना तैयार की जायेगी। लेकिन कोई ऐसी योजना नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बड़ा अहम है। हजारों लोगों की जिन्दगी का प्रश्न है। टिहरी निवासियों की समस्या को आपने अपने स्तर पर निश्चय नहीं किया तो मुझे खतरा है कि टिहरी निवासियों का हश्र वही होगा जो मिर्जापुर का हुआ जहां इतना बड़ा जलाशय बना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि आप प्रदेश की जनता की समस्याओं के प्रति जागरूक रहें और हिम्मत के साथ कदम उठाये जो जनता की आंकाक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रतिरूप हों ।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी भाई रियासत साहब ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ऐसा रोचक भाषण दिया जिससे कुछ क्षण के लिये मुझे भी गलतफहमी पैदा हो गई कि कहीं वाकई इस प्रदेश में कम से कम तो समाजवाद नहीं आ गया।

मुझे हैरत हुई भाई रियासत हुसैन जी पर जो थोथी समाजवाद की दलीलों के चक्कर में बहुत अर्से तक तो नहीं आये थे क्योंकि उनका सम्बन्ध एक ऐसे दल से रहा जिस दल ने इस देश में समाजवादी की आवाज को बुलन्द कर दिया और आवाज को ही बुलन्द नहीं किया, बल्कि समाजवाद का एक मोटा चित्र भी देश के सामने रखा। सबसे पहले श्रीमन् इस देश में समाजवादी दल ने जिस समाजवाद की स्थापना को जो चित्र देश के सामने रखा उसमें स्पष्ट कहा है कि इस देश में अमीरी गरीबी को जो बहुत बड़ा अन्तर है उसको कम करना होगा। उसको और स्पष्ट करते हुये कहा कि इस देश में आमदनी का अन्तर १:१० से ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये। कहने का मतलब यह है कि अगर इस देश में समाजवाद को स्थापित करना है, समाजवादी ढंग की व्यवस्था को कायम करना है तो एक न्यूनतम भोगी कर्मचारी की आमदनी अगर उसकी १०० रु० है तो अधिक से अधिक १००० होगी। इस नारे को निरन्तर वर्षों तक रट लगाने वाले हमारे भाई रियासत साहब समाजवाद के वाक्-युद्ध के चक्कर में पड़ गये और उन्होंने इस १:१० की बात की कोई चर्चा ही नहीं की, सोचा भी नहीं। जिस दल में वह है और जिस सरकार की वह वकालत करते हैं क्या इस सरकार ने कोई ऐसी हदबन्दी की है, क्या कोई मौखिक घोषणा की है या किसी तरह की और घोषणा की है कि इससे ज्यादा अन्तर नहीं रखना चाहते। अगर वह यह भी कहते कि १:१०० से ज्यादा अन्तर नहीं रहेगा तो मैं ऐसा समझता कि वाकई यह सरकार इस देश में क्रमिक रूप से ही सही समाजवाद लाना चाहती है।

लेकिन श्रीमन्, इस सत्तारूढ़ दल की सरकार ने इस देश म समाजवाद की जो दुर्गति की है, उससे जनमानस में समाजवाद के प्रति आस्था ही समाप्त हो रही है। आज तक इस सरकार ने जो समाजवाद की अधिक चर्चा करती है १:१०० के अन्तर को ही स्वीकार नहीं किया। आज भी इस देश में १:१००० का अन्तर है। पूंजीपतियों की बात तो छोड़ दीजिये जो निम्नवर्ग के कर्मचारी हैं और जो आफीसर हैं उनकी तनख्वाहों में आज भी १००गुने से ज्यादा अन्तर है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके समाजवाद की रूपरेखा क्या है। मैं चाहूंगा कि हमारे रियासत भाई जब उत्तर देंगे तो यह समझने की कोशिश करेंगे कि जिस समाजवाद की दुहाई आप देते हैं उसमें क्या १:१० का अन्तर रहेगा जिसके लिये आप इतने वर्षों तक आवाज उठाते रहे हैं और क्या वह १:१० का अन्तर आपको मान्य है। अगर आपको १.१०० का भी अन्तर मान्य है तो भी कोई बात नहीं, कोई हदबन्दी तो होनी चाहिये। अभी हमारे एक भाई ने कुछ कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप विधायक हैं, आपकी हालत कुछ सुधरी होगी, लेकिन आपके पास पड़ोस रहने वाले हरिजन भाई हैं उनके पास एक बिस्वा रहने के लिये जमीन भी न होगी।

आज भी अनेक ऐसे गांव हैं जहां हरिजन बस्ती पीने के पानी का कोई प्रबन्ध भी नहीं है। अभी एक चर्चा हुई थी कि हमारे बलिया जनपद में भी इस जमाने में कोई ऐसा गांव है जहां पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है जहां एक कुआं तक नहीं है। मैंने कहा एक नहीं अनेक ऐसे गांव व बस्ती हैं जहां पीने के पानी का हरिजनों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरे साथियों को आश्चर्यजनक बात मालूम हो रही होगी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा कि मैं एक नहीं अनेक गांव व बस्ती दिखला सकता हूं। मैंने एक अफसर से बात की तो उन्होंने ४ बस्तियों में ४ हैण्ड पम्प की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि १०००रु० है २५०रु०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के हिसाब से दे सकता हूं तो मैंने कहा कि बाकी २०० का प्रबन्ध मैं करूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका अन्तर बढ़ जाता है। आज भी ऐसे फटे हाल लोग हैं जिनकी आमदनी २, ४ या ८ आना से अधिक नहीं है और आप जैसे अच्छे लोग भी हैं जो कम से कम विधान सभा के सदस्य हैं उनको ४५० रु० मिलता है। और भत्ता अलग से मिलता है। १ हजार गुने का अन्तर ह आपके हरिजन समाज में भी है। आप इसको अनुभव कीजिये।

मान्यवर मैं निवेदन कर रहा था कि समाजवाद कोई झुंझुना नहीं है कि बच्चों को पकड़ा दिया और उसको फुसला दिया। बच्चे जिस प्रकार से उसको पकड़ कर भूल जाते हैं, उस पर मुग्ध हो जाते हैं उसी प्रकार से आपने समाजवाद को बना लिया है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। रियासत भाई हमारे बड़ दोस्त हैं। वे सदा १ और १० का नारा देते रहे हैं परन्तु क्या वह १ और १०० पर कायम हैं या नहीं नहीं इसको देखें। जो गरीबी और अमीरी का भेद था वह आज भी बना है। टाटा और बिरला दो बड़े पूंजीपति हैं देश में करोड़ों ही कंगाल हैं जो पहले थे और आज भी हैं। मोहन की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह तो करोड़ों में ही है। मैं तो उनकी चर्चा कर रहा हूं जो अरबों खरबों के सम्पत्ति के स्वामी हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। बिड़ला जी की सम्पत्ति आज बढ़ी है। यदि बिड़ला जी की सम्पत्ति पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है तो जो गरीबों और अमीरों के बीच भेद हजारों गुना का है वह भी बढ़ता चला जा रहा है। आपके समाजवाद म भी इस गरीबी और अमीरी का भेद भाव बढ़ेगा ही। आज देश जो नये समाजवाद का पाठ पढ़ रहा है उससे क्या होगा ? अध्यक्ष जी, जो हमारे पुराने सोशलिस्ट साथी हैं और जिन्होंने अपनी जवानी को सोशलिज्म के आन्दोलन में लगा दिया है आज वह उससे मुकर रहे हैं आप उसी प्रकार से काम कीजिये जिस प्रकार से आपने आरम्भ किया था। शासक दल को आप दबायें कि वह भी समाजवाद के सिद्धान्त के अनुरूप १ और १० से अधिक का भेद एक और दूसरे मनुष्य में न रखे। इस प्रदेश में १ और १००, १ और ५० हो गया कि नहीं इसको तो आप देखे। अन्तर असीमित जो बढ़ता ही चला जा रहा है। आपको इसको मिटाना होगा।

मैं दूसरी बात की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि माननीय राजयपाल जी के भाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि हमारे प्रदेश का प्रशासन बिल्कुल ही भ्रष्ट, निकम्मा हो गया है। इसकी तरफ उन्होंने संकेत नहीं किया। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा शासन दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है, प्रशासन नहीं के बराबर रहा है। मैं तो यह कहता हूं कि सचिवालय का स्तर भी गिर रहा है। जिला स्तर पर ही यहां पर से भ्रष्टाचार व्याप्त है। उससे यहां पर कम नहीं है। जो चापलूस, चापलूसीकार और भ्रष्ट अधिकारी यहां पर भरे हैं। उनको मुख्य मुख्य स्थानों पर बैठा दिया गया है। इससे प्रशासन का ढांचा बिगड़ रहा है, सड़ रहा है और संसार की तरफ बढ़ता चला जा रहा है।

आज सचिवालय में भी रिश्वतखोरी की बात सुनी जाती है और देखी जाती है। इसलिये माननीय महामहिम राज्यपाल को इस भ्रष्ट प्रशासन की तरफ भी इंगित करना चाहिये था कि कैसे सुधारा जाय और कुशलता लाई जाय। श्रीमन्, सरकार का कार्यक्रम अच्छा होता है लेकिन वह मौके पर जाकर असफल हो जावेगा यदि सही हाथों में नहीं रहेगा। इस साल बाढ़ के सम्बन्ध में मैंने कई बार कहा है और इस शासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली बाढ़ में उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ी सहानुभति से काम किया और जिलों की मांगों को स्वीकार किया और सहायता करने की कोशिश की, लेकिन श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि शासन के इस पवित्र उद्देश्य को और कार्यक्रम को अधिकारियों ने नष्ट कर दिया है। मैंने कई बार सदन के माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर खींचा है। राजस्व मन्त्री जी से निवेदन किया है कि उनके विभाग के कर्मचारी भ्रष्ट और निकम्मे हो गये हैं।

श्रीमन्, कितने मिनट समय है ?

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट हो गये हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं दो तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे जिले में तकावी बांटने में रिश्वत ली गई है। यदि ५,७ गांवों की जांच करवा ली जाय तो यह बात मालूम हो जावेगी कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार तकावी में हुआ है। गल्ला वितरण में भारी भ्रटाचार हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी के १०००, १५०० कार्यकर्त्ताओं ने इसकी भर्त्सना की है। भूसे के बारे में भी माननीय मन्त्री जी जांच करवा लें। किसी गांव में भी भूसा सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर नहीं दिया गया है। मैंने आपके अधिकारियों से इस बारे में बार-बार कहा है कि जांच-पड़ताल करो लेकिन एक अधिकारी भी भूसे की जांच के लिये नहीं गया है। इसलिये नहीं गया है कि अधिकारियों के पास भी गाय और भैंस हैं। आप जांच करवा लीजिये कि बलिया में कितने अधिकारियों के पास गाय और भैंस हैं। सभी के पास भूसे के अम्बार लगे हुये हैं।

हमारे भाई नेगीजी ने बिजली की चर्चा की और बिड़ला जी के सम्बन्ध में कहा। यह जो बिड़लाजी के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसके मूल में ही भ्रष्टाचार है। आपको स्मरण होगा कि जो मुख्य अभियन्ता श्री के० सी० गुप्ता, बिजली विभाग, के थे उन्होंने १.९९ पैसे उत्पादन लागत बिजली की निकाली थी। यह खुद उन्होंने बेईमानी से काम किया था। श्री गुप्ता यहां अवकाश प्राप्त करने के बाद श्री बिड़ला के फार्म पर १०,००० रुपये महीना पर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कम रेट निकाला है। १.९९ रेट कभी नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष—

जो व्यक्ति यहां मौजद नहीं है, उसका नाम लेकर बात न कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

व्यक्ति नहीं है लेकिन एग्रीमेन्ट तो सरकार के पास है।

श्री मैनेजर सिंह —

यहां मैंने बिजली के सम्बन्ध में सवाल उठाये थे कि १००रुपये बाकी होने पर आप किसान का कनेक्शन काट देते हैं तो बिड़लाजी का क्यों नहीं काटते हैं। मुझसे कहा गया था कि डिसकनेक्शन की पावर सरकार को नहीं है। हमने एग्रीमेन्ट मांगा तो कहा गया कि वह नहीं है। मैं रिहन्ड गया था तो वहां अधिकारियों ने बतलाया कि डिस्कनेक्शन की पावर बोर्ड को है। बड़ी मुश्किल से एग्रीमेन्ट की कापी मिली। उसमें लिखा हुआ है कि जो भी बिल होगा चाहे गलत हो या सही हो, उसका भुगतान अनिवार्य रूप से ३० दिन के अन्दर करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो डिस्कनेक्शन का अधिकार बोर्ड को होगा। यदि देश में युद्ध हो तो रेट बढ़ जावेगा। विभिन्न परिस्थितियों को विचार में रखकर रेट बढ़ जावेगा। यदि इस पर सहमति नहीं होगी तो आर्बीट्रेशन में जायगा। ६२ में युद्ध हुआ, ६५ में युद्ध हुआ और यह मौजूदा युद्ध मिलाकर तीन युद्ध हो चुके हैं।

तीन युद्ध हुये देश में। क्या तीन बार शासन या बोर्ड ने रेट बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की नहीं? इससे बढ़ कर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का उदाहरण क्या होगा? क्यों नहीं बढ़ाया गया बिड़ला जी का रेट? इसलिये कि बिड़ला जी चन्दा देते हैं या कुछ लोगों को नौकरी दे देंगे। उस ऐग्रीमेंट के अनुसार भी शासन और बोर्ड ने काम नहीं किया। हमारे अधिकारी भ्रष्टाचार के जिम्मेदारी हैं। मुख्य मंत्री जी जो चाहिये कि इस पर एक कमीशन बिटालें और जो अधिकारी इसके लेन देन में रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो।

अन्तिम बात कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी जब सिंचाई मंत्री थे तो बलिया में बहुत से नलकूपों और बन्धों का निर्माण हुआ था। उन्होंने सिंचाई मंत्री की हैसियत से बलिया बैरिया, बैरिया संसारटोला और बकुला–संसारटोला बांधों का निर्माण कराया। बिहार गवर्नमेंट के विरोध के कारण बैरिया–संसारटोला बांध का काम रुक गया था। बकुला–संसारटोला बांध पूरा हो गया था। लेकिन उसकी मरम्मत विभाग के अधिकारियों ने नहीं की जिसकी वजह से वह नष्ट हो गया। पूना की रिपोर्ट आयी कि इस बांध से कोई खतरा बिहार को नहीं है और कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। तो बांध का श्री गणेश तो मुख्य मंत्री जी जब सिंचाई मंत्री थे तब किया लेकिन आज उनके मुख्य मंत्रित्व काल में भी वैसा ही रह रहा है। यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश सत्यानाश को चला गया तो आपका मुख्य मंत्रित्व उसके लिये किस काम का? उसके लिये आप ठोस काम कीजिये ताकि वह कुछ कमोबेश बाकी प्रदेश के समाज खड़ा हो सके।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, में क्लोजर मूव करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अब क्लोजर हो गया, अब आप बैठें।

श्री हबीब अहमद—

मैं तो कुछ कहने के लिये ही आया था।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं। क्लोजर पास हो गया है और मुख्य मन्त्री जी खड़े हैं।

श्री हबीब अहमद—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी के बोलने के पहले मुझको भी मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अब नहीं हो सकता। मुख्य मन्त्री जी बोलने को खड़े हो चुके हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, आपकी इच्छा यदि हो और माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो बोल लेने दें। मैं उसके बाद उत्तर दे दूंगा।

श्री हबीब अहमद—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं और उससे ज्यादा मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे अधिकारों की रक्षा की। मैं माननीय रियासत हुसैन जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं और विरोधी दल की जो तरमीम

[श्री हबीब अहमद]

पेश हुई है, उसके मुवाफिकत में बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे एक ऐसे दोस्त के जरिये से यह धन्यवाद का प्रस्ताव रखवाया गया है, जिन पर हमें कभी फक्र था और जो इन बेंचों पर बैठकर इस हुकूमत की कटु आलोचना किया करते थे। वह एक बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी थे और हमें बड़ा दुख है कि हमने उनको खो दिया। वहां वे खुश हैं, यह मैं नहीं कह सकता, यह एक अलग बात है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अक्ल की कमी से कोई चीज खो दी जाय, तो उसमें उसका क्या दोष।

श्री हबीब अहमद—

मुझे बड़ा दुख है मैं एक साल पीछे जाना चाहता हूं जबकि यह सरकार बनी थी और वित्त मन्त्री जी का भाषण हमारे सामने आया था। उर्दू की बड़ी चर्चा की गयी थी। उस वक्त भी मैंने कहा था। मुझे बड़ा अफसोस है कि यह सरकार जो उर्दू की मसीहा बनती है, वह 'संविद सरकार जो १९६७ में बनी थी, जिसके मुख्य मन्त्री, चौधरी चरण सिंह जी थे, उनसे ज्यादा उर्दू को कुछ न दे सकी। १९७१ के पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो मक्शूर आपने पेश किया था अवाम में एक राय होकर, हमारे हरिजन भाई और जिस बिरादरी से मैं ताल्लुक रखता हूं, सबने इस हुकूमत को बढ़ावा दिया था और यह उम्मीद की थी यह हुकूमत उनकी समस्या को हल करेगी। लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस हुकमत ने जनसंघ का जनाजा आपने जरूर निकाला हमारे सहयोग से। हमने सोचा था कि यह हुकूमत ऐसी बनेगी जो सबको बराबरी का दर्जा देगी लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है गरीबी हटावो का नारा महज एक ख्वाब बनकर रह गया। मैं बताना चाहता हूं कि गरीबी हटाने के सिलसिले में ५० करोड़ की रकम जो खर्च होनी थी और सरकार ने जिसका वायदा किया था, (मेरा मतलब केन्द्रीय सरकार से है), उसमें से केवल ३ करोड़ रुपये खर्च किये जा सके और गरीबी हटाओ का नारा खत्म हो गया।

यह जो बुनकरों का मसला था, उसके बारे में मैंने साफ एल्फाज में कहा था इनकी इतनी तादाद है कि अगर इनके जायज हक को न माना गया तो ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। चूंकि ये गरीब और निचले तबके के लोग हैं, हुकमत की निगाह उन पर नहीं गयी। अध्यक्ष महोदय, इधर अखबार में यह भी आया कि जितने फिरकापरस्त थे, वह सबके सब दफन कर दिये गये। मैं बड़े अदब से आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि अगर यह इशारा उनकी तरफ रहा जो आज जनसंघ में हों, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी प्रधान मन्त्री जी श्रीमती इन्दिरा गांधी से उन्होंने वह प्रोग्राम बनवाया जिसके लिये कि जनसंघ बर्सों से कोशिश करता चला आ रहा था।

जनसंघ ने मुसलमानों के खिलाफ समय समय पर आवाज उठाई, लेकिन इस वक्त जन संघ को एवाम ने ठुकरा दिया। जन संघ यह चाहता था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ को खत्म करो, मुसलमानों को आगे न बढ़ने दो। आखिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मसला सन् ६५ से खटाई में पड़ा हुआ है। ६–७ वर्ष हो गये, कुछ नहीं किया गया जो हमारी मांग थी कि माइनारिटी कैरेक्टर को मेंटेन किया जाय, मगर उस मांग को खटाई में डाल दिया गया। आज जिस पार्टी की सरकार यहां बैठी है उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बठी है, मगर फिर भी हमारी मांगों को खटाई में डाल दिया जाता है। जन संघ जो चाहता था उसे २४वां और २५ वां अमेंडमेंड लाकर आपने पूरा कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुसलमान जिनकी संख्या देश में ७–८ करोड़ से यकीनन ज्यादा है वे इस देश के अंग बन चुके हैं और अगर उनको बराबरी का दर्जा न दिया गया तो उसका

असर बुरा होगा। इस हुकूमत को बनाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया है। यह लोग फिर इधर भी लाकर बिठा सकते हैं।

आपने अपने मैनोफेस्टो में उर्दू के लिये जो वायदे किये उसे भी पूरा नहीं किया।

श्री राजमंगल पांडेय--

क्या आप उर्दू के अलावा दूसरी भाषा को मानने के लिये तैयार नहीं हैं?

श्री हबीब अहमद--

मैं हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानता हूं, मगर उर्दू को भी दूसरी कम्पलसरी लेंगुएज के रूप में पढ़ाना चाहिये। जो आफिसर हैं वे उर्दू न जानने के कारण उर्दू में दरख्वास्तें नहीं लेते।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

इस चुनाव में ८० फीसदी मुसलमानों ने इन्द्रागांधी का समर्थन करके क्या यह स्पष्ट नहीं कर दिया कि वे कांग्रेस की नीतियों के समथक हैं? उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं?

श्री हबीब अहमद--

माननीय सदस्य, बुलन्दशहर को मैं यही समझाना चाहता हूं कि वे नीतियां ऐसी बनायें जिससे जो विश्वास पैदा हुआ है वह आगे भी बना रहे। ऐसा न हो कि इस हुकूमत को फिर इधर आना पड़े। आखिर सन् ७१ के इलेक्शन मैनिफैस्टो में आपने यह माना था कि उर्दू के साथ ज्यादती हो रही है। खाली उर्दू एकेडेमी बना देने या कुछ पैसे मदद देने से उर्दू की खिदमत नहीं हो सकती है। जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के समय उर्दू सेकन्ड भाषा थी, उसी तरह से यह कम्पलसरी सेकेन्ड लेंगुएज होना चाहिये। इस किस्म की कैद लगाना कि ४० लड़के एक स्कूल में हों या १० लड़के एक दर्जा में, फजूल बात है, इससे उर्दू की खिदमत नहीं हो सकती है। यह ठोस बातें हैं इनका न आप न, कोई जवाब दे सकता है। या तो उर्दू का किस्सा खत्म किया जाय या इसे ठीक से मदद पहुंचाई जाय जिससे वाकई में उर्दू और उर्दू वालों का भला हो सके।

आज बुनकरों का मसला हमारे सामने है। यह मसला ज्यादातर मुसलमानों से ताल्लुक रखता है, खासकर वे जो पिछड़े हुए हैं। आप गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि इनकी मांगें पूरी हों। मिलों में कपड़ा मशीन से तैयार किया जाता है इसलिए वह सस्ते पड़ते हैं। वे बेचारे हाथ से काम करने वाले बुनकर मिल वालों से कैसे कम्पटीशन कर सकते हैं। मिल वालों की सुविधायें अधिक हैं। इनका मुकाबला करके वे गरीब बुनकर कैसे अपना पेट पाल सकते हैं। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। या तो वे अब यह पेशा छोड़ दें, जिसकी वकालत हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी या वे भूखों मरें। इसके सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। उन पर से आप प्रतिबन्ध हटा लें। खादी भंडार वाले जो काम करते हैं, वे भी वही काम कर रहे हैं। इन बेचारों को रात दिन कठोर मेहनत करनी पड़ती है, घर के सारे मेम्बरान इसमें जुटे रहते हैं, लेकिन उनको दो समय खाने का पैसा मयस्वर नहीं हो पाता है। यह वह मसला है जिस पर ठंडे दिल से शासन को विचार करना पड़ेगा। गरीबी हटाओ का नारा सिर्फ सड़कों पर देने से काम नहीं चलेगा, इसको असलियत में बदलना पड़ेगा।

उन्नाव और हरदोई जिले के बारे में अखबारों में निकला है कि वहां पर बड़ा काम हुआ है। जिलाधिकारियों की फोटू भी निकली है और सरकार ने इनकी बड़ी तारीफ की है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह लाखों रुपया महेज बर्बाद किया गया है इससे अवाम और हरदोई को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। यह लाखों रुपया सड़कों पर मिट्टी डलवाने में बर्बाद किया गया है। मेरा निवेदन है कि हरदोई और उन्नाव में जो भी काम हुआ है,

[श्री हबीब अहमद]

उसमें एक-एक पसा वेस्ट हुआ है। इतना ही नहीं जिस रास्ते पर (ठोकर के रास्ते पर) जनता आराम से चलती थी, मिट्टी पड़ जाने से---बरसात में कीचड़ और दलदल हो जाने से बरसात में उनका चलना नामुमकिन हो जायगा। उस पर जब तक मिट्टी न डलवाई जाय, रोलिंग न करा दी जाय तब तक व सड़कें बेकार है और उस पर किया गया खर्च पैसे की बर्बादी है। इन जिलों में क्रश-प्रोग्राम में जो रुपया खर्च किया गया है वह जनता के साथ धोखा है। १० मील के बजाए आप एक मील सड़क बनवाते, लेकिन पुख्ता बनवाते, तो जनता को लाभ पहुंचता लेकिन आप तो यह झूठ मूठ का काम करके जनता से वाहवाही लूटना चाहते हैं, क्योंकि अक्तूबर नवम्बर में चुनाव होने को है। उस समय आप जनता को बता सकें कि हमने इतना काम किया है, इसलिये यह किया गया है।

अध्यक्ष महोदय दो मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मुझे अपने क्षेत्र से चुने हुए तीन वर्ष हुये। इन्दिरा जी जब इलाहाबाद गयीं बाढ़ में दौरा करने के लिए तो मैंने कुछ एतराजात किये थे कि इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ लेकिन वह सुनने के लिय तैयार नहीं हुई। माननीय मुख्य मन्त्री जी मौजूद थे। यह वह क्षेत्र है जहां से मैं एलक्ट हुआ हूं, वहां की जनता एक लाख है, वोट १७-१८ हजार लोगों ने मुझे दिया, ८२ हजार जनता १८ हजार की वजह से क्यों दुखी हो ? वहां एक रोड नहीं बनी, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ। मैं चेलेंज करता हूं कि हमें बता दें एक पैसे का भी डेवलपमेंट वर्क हुआ हो। इलाहाबाद के चार मन्त्री हैं। मुख्य मन्त्री जी भी दौरा करते हैं। उस क्षेत्र में एक पैसे का काम नहीं हुआ। न रोड़ बनी, न एलेक्ट्रिक का काम हुआ, न कोई ट्यूबवेल बना। वहां की जनता बड़ी रखी है। मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि अगर एक क्षेत्र की जनता खिलाफ हो तो उसका असर दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप बने रह बिलकुल इस तरीके से जैसे बने हुए हैं। इसमें कोई परिवर्तन न हो। हम चाहते हैं कि हमारे मसले भी हल हों। लोग मुझे कहते हैं कि आपके सारे साथी उधर बैठे हुए हैं और आप इधर बैठे हुए हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। बात वजन रखती है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरी सूरत क्या है, मैं एक शायरी में अपनी कैफियत अर्ज कर दूं---

मेरे पैरों को है कुछ रौंदी हुई राहों से बैर,
जिस तरफ कोई नहीं जाता उधर जाता हूं मैं।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं जो तरमीम विरोधी दल के नेता ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं, और भाई रियासत हुसैन ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है, मैं माननीय मुख्य मन्त्री को फिर बधाई देता हूं, उन्होंने ऐसे को हम से लड़ाया जो हमारा अपना ही था। यह धन्यवाद का प्रस्ताव किसी और के जरिये पेश किया जा सकता था, जहां इतने बड़े-बड़े पारलियामेंटेरियन हों। लेकिन मैं उनकी बुद्धि की दाद देता हूं कि आपने दो मुर्गों को लड़ा कर तमाशा देखा है। उन्हीं को हम से लड़ाया जो कभी हमारी तरफ से लड़ते थे। हो सकता है कि एक दिन लड़ाई कहीं सुलह में बदल न जाय, आज वह उधर हैं, किसी दिन इस तरफ न आ जायं।

*श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मुझे खेद है कि हमारे विरोधी दल की बेंचे खाली हैं। और यह अन्याय की बात है। चार दिनों तक अपनी बात कहने के बाद जब उसका जवाब सुनने का समय आया तो धीरे से गोल हो जायं कोई न कोई बहाना निकाल करके। यह कहां की लोक-तन्त्र की पद्धति है। मान्यवर, लोकतन्त्र की कैसे रक्षा की जा रही है, इसका फैसला तो यह सदन और इसके माननीय सदस्य करें। और बाहर जन समाज करे। अस्तु, मैं किन-किन बातों का जवाब दूं जब वह हैं ही नहीं, जिन्होंने उन सवालात को उठाया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण एक लोक तांत्रिक परम्परा है। हमारी पार्लियामेन्ट म भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है । नये वर्ष में शुभारम्भ होता है सत्र का। वास्तव में यह परम्परा इसलिय रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण में अगले वष सरकार जो नीति बरतने वाली है, जो काम करना चाहती है, जिन कामों को करने के लिये वह विधान सभा के माननीय सदस्यों के सम्मुख उत्तरदायी होगी उसका संकेत कर दे। एक दिशा का दर्शन कराता है राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का, उसके कार्यक्रम का और किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है सरकार इस प्रर थोड़ी सी रोशनी डालने का।

इस अभिभाषण पर जो विवाद हुआ इसे आप देखें। ऐसे भाषण हुए मान्यवर लगता है कि अभी जो बजट का सत्र आरम्भ हुआ है, बजट पर जो साधारण वाद विवाद होगा उस समय इन बातों को कहना चाहिये था मुझे यह भय है कि जो चार दिन तक बातें कही गई है उन्हीं बातों की फिर दोहराया जायगा और पुनरावृत्ति का दोष यहां माननीय सदस्यों के सम्मुख उपस्थित होगा। अभिभाषण के सम्बन्ध में कहीं कोई सुझाव, कहीं कोई सत परामर्श कहीं कोई चीज रह गयी हो जिसे करना चाहिये सरकार को चाहे अभिभाषण में आया हो या न आया हो उसकी ओर कोई संकेत नहीं किया गया। जो भाषणों की गति थी वह ऐसी थी कि जिसे १०, १२ वर्ष से हम बराबर देखते चले आ रहे हैं जब कोई विरोधी पक्ष में बैठता है तो इस तरह की बातों को दोहराता है और जब इधर बठ जाता है तो उन बातों का उत्तर देता है। वही बातें दोहराई गयीं। कोई खास ठोस और रायमश्विरा दिया गया होता तो उससे थोड़ा लाभ पहुंचता आगे नीतियों के संचालन में और कार्य करने में भी।

अभी जो दो तीन माननीय सदस्यों ने भाषण दिये उन्हीं का मैं पहले उल्लेख किये देता हूं। माननीय हबीब साहब का भाषण सुन कर मुझे तो ऐसा लगा कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो बुद्धि से काम नहीं ले रहा है और किसी जज्बे में बोलता चला जा रहा है। जब कोई माननीय सदस्य सदन में बैठे तो उसे थोड़ी अक्ल की भी बात करनी चाहिये। वही उर्दू की बात। और ताज्जुब यह हुआ जब उन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी उन नीतियों का संचालन कर रही है जिसे जनसंघ प्रतिपादित करता रहा है। मुसलमान और उर्दू, हिन्दू और मुसलमान इसके सिवा उनके भाषण में और कोई खास बात नहीं थी। २५ वर्ष पहले जो बातें कही जाती थीं वही आज भी उन्होंने कहीं। देश बदल गया, परम्परायें बदल गयीं, तबारीख बदल गयी उन्हीं बातों को आज फिर वे कह रहे हैं। क्यों कह रहे ह, इसके पीछे कुछ कारण मेरी समझ में आया। मैं समझता हूं कि जो बातें वह कह रहे हैं वह न मुसलमानों के हित में है और न उर्दू के हित में है। आज फिरकापरस्ती की पोल खुल चुकी है। हमारे देश में दुर्भाग्य से फिरकापरस्ती का बोलबाला रहा है, हिन्दू फिरकापरस्ती और मुस्लिम फिरकापरस्ती भी लेकिन इतिहास का घटना चक्र-परस्थितियों को बदला है। वाकयात ऐसे गुजरते हैं जब जमाना बदलता है तो दुनिया बदलती दिखाई देती है।

अभी बांगला देश पर जो कुछ हुआ उसने एक दूसरी हवा हमारे मुल्क में और मुल्क के बाहर भी पैदा कर दी। राज्यपाल के अभिभाषण में बांगला देश का उल्लेख है। यह बात सही है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गये पर इसके लिये जिम्मेदार हिन्दुस्तान मान्यवर नहीं है। हमारी बदकिस्मती से इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बरदाश्त नहीं कर सके और उनके दिलों के जजबात इस तरीके से और किसी न किसी अन्य तरीके से निकले। ऐसे ही जजबात और भावुकता हमारे हबीब अहमद में है। वे उस जजबात से ताल्लुक रखते हैं जो बिहारी मुस्लिम थे और एक बड़ी भारी तादाद में बंगला देश में गये थे। आज २५ साल से बिहारी मुस्लिम वहां पर रह रहे थे। एक-दो साल से नहीं बल्कि २५ साल जब

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस देश का बंटवारा हुआ तब से वे पाकिस्तान के नागरिक हैं और पाकिस्तान की नागरिकता को आज भी कबूल किये हुये हैं। अब कहा गया कि यह बिहारी मुस्लिमों को अपने मुल्क में वापस ले आओ। बंगला देश से जो शरणार्थी भारत में आये थे उसमें हिन्दू भी थे और मुस्लिम भी थे।

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि इन शरणार्थियों को वापस जाना है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है। इस विषय को उन्होंने सारे देशों के सामने रखा कि जब वे अपने देश से उखाड़ दिये गये, उनके ऊपर आपदायें पड़ती गई, उनके ऊपर जुल्म ढाये गये, डाक्टरों के कलेजे निकाल दिये गये, आंख के डाक्टरों की आंखें निकाल दी गई और इतने अत्याचार उनके साथ किये गये कि एक करोड़ आदमी अपने देश से भागकर यहां पर आ गये तो हमने उनको शरण दी और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की और इसीलिये भारत सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था हेतु बंगला देश की सहायता के लिये आज भी उद्यत है। उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है किन्तु फिर भी है क्योंकि इस देश की हमेशा से ही ऐसी नीति रही है ...

(श्री हबीब अहमद के खड़े होने पर)

आप बैठें। पद्धति यही रही है कि जब मैं नहीं बैठता हूं तो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो मान्यवर, यह सही है कि जो लड़ाई बंगला देश में हुई वह पाकिस्तान के दो हिस्सों के बीच हुई और उसमें इन्सानियत के नाम पर, न्याय के नाम पर, डिमोक्रेसी के नाम पर तथा औचित्य के नाम पर भारत ने कदम उठाया। हमारे मुल्क पर आक्रमण हुआ और उसका मुकाबला हुआ और उसमें हमारे देश की जीत हुई। आज शेख मुजीबुर्रहमान उस देश के प्रधान मन्त्री हो गये। अब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गये। यदि इसकी वजह से आप के दिल में कराह है तो उसका कोई इलाज नहीं है यह तो तवारीखी वाकया है जिसके लिये रोने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज फिरका-परस्ती के जजबात को रोकने की आवश्यकता है ...

(श्री हबीब अहमद के खड़े होने पर)

आप बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष—

आप बोल चुके आप बैठें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जब बातें कही जाती हैं तो सुनी भी जाती हैं। आप बैठें। यह ताकत भी होनी चाहिए ताकि आप सुन भी सकें और सुनने के लिये तैयार भी रहें। मान्यवर, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है हम किसी से अनबन नहीं चाहते। दुनिया ने यह देखा कि कोई मुल्क यदि फिरका परस्ती पर चलना चाहे, तो वह टिक नहीं सकता है। कुछ दिनों तक लोगों को धोखा दिया जा सकता है किन्तु ज्यादा दिन तक नहीं। हिन्दुस्तानियों को अक्ल पहले से ही थी। हमने सेक्युलियर स्टेट कायम किया। आज उनको यह अक्ल नहीं कि वे पाकिस्तान के लिये कह रहे हैं।

उन्होंने समझा कि शायद इसी से वह अपनी भलाई कर सकें। वह चीज टूट गयी। आज फिरका परस्ती की आवाज उठाने वालों के लिये इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के जनता के दिल में क्या भावनायें हैं इसका प्रमाण पार्लियामेंट के इलेक्शन और अन्य स्टेट्स में जो जनरल इलेक्शन हुआ वह है। चाहे कोई हिन्दू रहा हो या मुसलमान—आज देखिये जनसंघ बुरी तरह से पिटा है। क्योंकि लोगों का यकीन हट गया है—लोगों ने देख लिया

है कि फिरकापरस्ती के लिए आज कहीं गुंजायश नहीं है। कुछ लोग चिल्लाते रहे बिहारी मुसलमान, बिहारी मुसलमान। बदकिस्मती की बात है कि इसमें हमारे कुछ राजनीतिक दलों ने भी सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ की वजह से आवाज उठाई और अखबारों में निकाल दिया गया। हमारी पुरानी कांग्रेस के लोगों ने, बी० के डी० और जनसंघ के लोगों ने भी आवाज उठायी। वह नहीं समझे कि इसके माने क्या होते हैं। करोड़ों गैर देश के निवासियों को अपने मुल्क में बुलाया जाय जिन्होंने पाकिस्तान की सक्रिय मदद हमारे विरुद्ध की, उसको नहीं सोचा देश की सुरक्षा कहां तक इससे होगी। अब यह आवाज उठाई है कि सब मुसलमान पीछे हो गये हैं। क्यों न होते? रियासत हुसैन को अकल आयी, जमाने की हवा देखी और देखा कि मुल्क का किस तरफ फायदा है। तो उसमें हबीब साहब को लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनमें अकल आयेगी खुद इस तरफ तशरीफ ले आयेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। मगर वह दिल से मजबूर हैं जिसमें जहर भरा है। अगर जहर को निकाल दें जिससे उनको परेशानी हो रही है तो इसी में उनका भला है।

उर्दू खाली आपकी भाषा नहीं है। उर्दू इस सूबे की जबान है, जैसे और भाषा है वैसे ही उर्दू भी है। लेकिन हिन्दी राष्ट्रभाषा है, हमारे देश की भाषा है और हमारे संविधान ने इसे स्वीकार किया है। यह हमारे प्रदेश की राज्य भाषा है, उसका स्थान कोई भाषा नहीं ले सकती। उसका स्थान संस्कृत नहीं ले सकती उसी तरह से जैसे कि उसका उर्दू नहीं ले सकती। उसका स्थान कोई भाषा नहीं ले सकती, वह राष्ट्रभाषा है और प्रदेश की राज-भाषा है। अब रह गयी उर्दू। वह हमारी जबान है, उसकी तरक्की होनी चाहिए और जो कुछ भी उसके लिए कोशिश की जाय वह करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। हमने एकेडेमी कायम की और उसका चारों ओर से बड़ी खुशी के साथ स्वागत किया गया। क्योंकि उर्दू बड़ी मीठी बढ़िया भाषा है, सही है। जैसी उर्दू जबान में ताकत है, जैसी उसमें दिल के जजबात को सामने लाने की शक्ति है, वह हमारी निधि है, हम किसी प्रकार से उस की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा की कीमत पर उसकी रक्षा नहीं हो सकती। फिर उर्दू जबान बड़ी लजीज जबान है, हमारी है, हमें उसकी रक्षा करना चाहिये। मातृ-भाषा में लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, उसके लिये यहां से एलान हुआ और हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि उर्दू के टीचर्स रखे जायं। हजारों रखे गये और रखे जा रहे हैं ताकि उर्दू स्कूलों में पढ़ाई जाय। अब कहना कि उर्दू के लिये कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया और जो जनसंघ की पालिसी रही है वही इन्दिरा गांधी जी ने लागू कर दिया।

(श्री हबीब अहमद के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

डिस्टर्ब न करें। जब तक वह खड़े हैं, बोल रहे हैं, आप नहीं बोल सकते।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं समझता हूं तरीका यही है कि जब तक मैं बोल रहा हूं आप तशरीफ रखें।

(श्री हबीब अहमद खड़े रहे।)

श्री अध्यक्ष—

सुनिये, आप बैठिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप आ ही गये, कुछ बोल गये। आप चुप ही रहते तो मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। श्रीमन्, आप देखें कि उर्दू के लिये जो कुछ किया जाना चाहिये किया जा रहा है

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

गौर किया जायगा। उसके साहित्य को जो पढ़ना चाहता है मातृभाषा के रूप में उसे पूरा संरक्षण प्रदान किया जायगा। आप कहते हैं कि जनसंघ की जो पालिसी थी वह इंदिरा गांधी ने चला दी। मेरी समझ में नहीं आता कि दिमाग के किस गोशे से यह चीज निकली। कौन सी वह पालिसी थी जनसंघ की? उन्होंने हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की चेष्टा की जो जनसंघ चाहता था? उन्होंने क्या मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जो जनसंघ चाहता था? हिन्दू-मुसलमानों के विषय में फिरकापरस्ती की कोशिश किया करता था जनसंघ उसको इन्दिरा गांधी ने मिटाया है और लड़ाई मोल ली है या उसको चालू किया है? आखिर कोई बात समझ से और दूर तक देखकर कही जाय क्योंकि इस तरह की बातों के कहने से कोई नतीजा नहीं निकल सकता कि आप हमारे देश के उन मुसलमानों को जिनको हम अपने मुल्क के वैसे ही नागरिक समझते हैं जैसा किसी और को समझते हैं और उन्हें वे ही अधिकार देना चाहते हैं जो हमारे देश के किसी भी नागरिक को हासिल हैं और जहां उनके हकूकों पर कोई दस्तन्दाजी होती है तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं चाहे वह किसी भी जमात से होती हो। आप इस तरह से उनकी रक्षा कर रहे हैं या उनको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सोचने और समझने की बात है।

बुनकरों की बात कही गई। मैं उनके लिये भारत सरकार से लड़ रहा हूं। हमारे प्रदेश में इतने मुसलमान हैं कि पाकिस्तान में जो मुसलमानों की तादाद उससे ज्यादा होंगे। रियासत साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में मुसलमानों की जितनी तादाद है उससे ज्यादा ही है। पाकिस्तान में साढ़े चार करोड़ मुसलमान हैं और हमारे यहां भी काफी तादाद में मुसलमान हैं। पाकिस्तान से कम नहीं हैं। आप क्या बात करते हैं संरक्षण की। फिरकापरस्ती उन्होंने देख ली। अल्लाहो अकबर कह कर ही मारने वालों ने गोलियां चलायीं आखिर मुजीब साहब इस्लाम को नहीं मानते ऐसा कोई नहीं कह सकता है। आज फिरकापरस्ती की हवा गायब हो रही है लेकिन ऐसी बातें कह कर आप उस आग में घी डालना चाहते हैं क्या इससे आप मुसलमानों का कोई फायदा करेंगे? आप कोई नई चीज करना चाहते हैं जिसको हम २५ साल से कर रहे हैं। हमने देखा कि इसमें हमारी तबाही हुई क्योंकि पाकिस्तान हिन्दुस्तान को अपना दुश्मन समझ रहा है। उसके यहां भी तबाही हुई। आज वह हवा गायब हो रही है। इसमें आप हमारी मदद कीजिये इस तरह की बातों से आप मुसलमानों का कोई फायदा नहीं कर सकते हैं।

माननीय नेगी जी से हमें आशा थी कि वे कोई बात कहेंगे। लेकिन वही पुरानी बातें, वही बिड़ला वगैरा, सीलिंग का बिल नहीं लाये और किस तारीख से सीलिंग होगी। पहले बिल आ जाने दीजिये फिर आप अपनी राय दे दीजिये कि क्या सीलिंग रखेंगे। कौन की छीनी जायेगी और कौन सी नहीं। बिल को आजाने दीजिये। फिर देख लीजिये। आप हमसे क्या कबुलवाना चाहते हैं। सीलिंग और अरबन प्रापरटी का बिल आयेगा उस समय देख लीजियेगा।

यह कहा गया कि शुगर फैक्टरीज का नेशनलाइजेशन नहीं करते हैं। मैं दस बार कह चुका हूं कि पिछली साल हमने दस बार कोशिश की भारत सरकार से कि हमें इसकी स्वीकृति प्रदान की जाये। हम से कहा गया कि इधर धीरे चलो क्योंकि इस समय करने से मारकेट वैल्यू पर कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। इस पर उस समय विचार किया जायगा जब कन्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाय। जब अमेंडमेंट हुआ तो हमने अपना आर्डीनेंस भेज रखा है कि इस की स्वीकृति प्रदान की जाय। हम इसके लिये कमिटेड हैं और जहां तक भारत सरकार से स्वीकृत लेने का सवाल है वह हमने उनको लिख रखा है कि हमें इजाजत दी जाय। अगर नहीं

हो सकता है तो ऐलान किया जाय कि हमारे यहां नहीं हो सकता है। इसलिये गवर्नर महोदय ने भी कहा है कि इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास जारी है। जनता के सामने आप से ज्यादा मुझे जाना है। हम जानते हैं कि जनता के साथ जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उनको हमको पूरा करना है। हमारी प्रधान मन्त्री ने भी बार-बार कहा है कि हमें अपने कमिटमेंट्स पूरे करने हैं। लेकिन हर चीज कोई जादू, मन्त्र से नहीं होती है। उसे करने के तौर तरीके होते हैं, वे कर रहे हैं। आप हमारी नीयत पर शक शुबहा करते हो। माधव बाबू ने कहा कि करोड़ों रुपया शूगर मैगनेट्स से ले लिया है। हमारी दस ही तो सीट्स थीं जिन्हें बगैर पैसा लगाए ही हमने जीत लिया है। आज हाई कोर्ट में केस मौजूद हैं। हमने १२ शूगर फैक्टरीज लीं। तो जो इश्यूज हाई कोर्ट के सामने हैं उनमें एक यह भी है कि स्टेट गवर्नमेंट काम्पीटेंट नहीं है। हमने नेशनेलाइजेशन के लिए पिटीशन की, मगर उसे भी उन्होंने चैलेंज किया और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट नेशनेलाइजेशन करने के लिये काम्पीटेंट नहीं है। वह केस हम लड़ रहे हैं। हमने भारत सरकार के पास सब बातें लिख कर भेज रखी हैं और बातचीत हो रही है। हमें संविधान के मुताबिक जो कंपेंसेशन देना पड़ेगा उसे भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने जो १२ शूगर फैक्टरीज ली हैं उनमें से ५ हमारे पास हैं और ७ के बारे में हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। किसानों का २४ करोड़ रुपया गन्ने के मूल्य का बकाया था। पहले यहां जनवरी—फरवरी में बड़ा शोर मचता था कि किसानों का काफी पैसा मिल मालिकों पर बकाया है। पिछले ५–६ महीनों में हमने किसानों का एक-एक पैसा अदा कर दिया है। थोड़ी सी रकम बाकी है जोकि स्टंट है। हमने नया कानून बना दिया और वह लागू होगा कि शूगरकेन की कीमत और पर्चेज टैक्स पर बैंक मिल मालिकों को रुपया एडवान्स नहीं करेंगे। ७६–७७ करोड़ रुपये के करीब गन्ना खरीदा गया है और ६० करोड़ रुपये के करीब बैंक में मौजूद है। अगले साल से किसान को समय पर अपने गन्ने का मूल्य मिलेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है।

हमारे भाई बलिया नरेश गुरु वशिष्ठ जी की तरह से बैठे हैं—उन्होंने भी उपदेश दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितनी बात कहते हो वह सब ठीक है, पानी पीने के कुएं नहीं हैं, १०–२० हजार गांवों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और हरिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं यह मानता हूं कि आज हमारे प्रदेश में काफी गरीबी है। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे प्रशासन में कुछ कमियां होगी और कुछ अफसरान ऐसे होंगे जो अच्छा काम न करते हों। जहां १२–१३ लाख आदमी काम करते हों क्या वहां सभी दूध के धुले हो सकते हैं और सभी धर्मावतार हो सकते हैं? सभी धर्मपुत्र हैं, यह बात मैं नहीं मानता। होती होंगी गलतियां। आज जो प्रशासन है उसको आप देख रहे हैं—एक नया कदम उठाया गया है। मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश में उद्योगों की बहुत कमी है, कृषि का उत्पादन कम है, भूमिहीनों और बेकारों की संख्या बहुत ज्यादा है। पिछले १०–२० वर्षों में हम समाजवाद की ओर नहीं बढ़ सके हैं बावजूद अपने प्रस्तावों में यह कहने के कि हम समाजवाद की ओर नहीं बढ़ सके हैं। इसीलिये कांग्रेस में स्पिलिट हुई। आज एक दूसरा दल "कांगो" हमारे सामने बैठा हुआ है जिसमें वही लोग हैं जिन्होंने देश की हम से कम सेवा नहीं की है। केवल विचारों के भेद के कारण स्पिलिट हुई। आज हम यह महसूस करते हैं कि पिछले २५ वर्षों में जो हमें करना चाहिये था वह हमने नहीं किया और अब हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना है। एक दिन में गरीबी दूर नहीं हो जायगी। हमने "गरीबी हटाओ" का नारा ही नहीं लगाया है बल्कि एक लक्ष्य भी स्थापित किया है। हम तो केवल आपका सहयोग चाहते हैं। आप भी हमारे साथ चलिये जैसे रियासत जी चल रहे हैं। आप भी तशरीफ ले आइये। समाजवाद का एक आधार हमारे हाथ में आया है। समाजवाद तो जीवन की एक पद्धति है।

[श्री कमला पति त्रिपाठी]

समाजवाद की बात वे लोग करते हैं जो समाजवाद के घोर विरोधी हैं। एक दिन में तो भैया समाजवाद आयेगा नहीं।

आज तक मार्क्स की कल्पना जिस समाजवाद की है क्लासलेस सोसाइटी के साथ-साथ एक स्टेटलेस सोसाइटी—वह आज तक रूस में नहीं आ सकी है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्ट्रेलाइज्ड सोसायटी रूस में है—वहां पर सोसाइटी स्टेट लेस नहीं है बल्कि स्टेट मोस्ट सेंट्रलाइज्ड है। ५०-५५ वर्ष हो गये, अक्तूबर में रेवोलूशन हुआ। हमारे यहां सैकड़ों वर्ष की परम्परायें हैं, जाति बिरादरी वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था मौजूद है। हमारे जीवन में, रक्त में बुराइयां भरी हुई हैं। नये आदर्श स्थापति हों, नया जीवन दृष्टिकोण अपनायें, नया प्रयास करें तब हम उस दिशा में बढ़ सकेंगे। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं या नहीं? कभी हम यह दावा नहीं करते कि हमारे यहां साल भर में समाजवाद आ गया, गरीबी हट गयी। हमारे यहां गरीबी है जो सैकड़ों वर्षों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है। हजारों वर्ष की इसकी भूमिका है। उसे छिन्न भिन्न करना इतना आसान नहीं है। ६ करोड़ का यह प्रदेश है जो इंगलैन्ड जर्मनी, फ्रांस और जापान से भी बड़ा है। कोई मन्त्र फूंक देने से समाजवाद नहीं आ जायगा। मैं स्वयं बहुत मन्त्र पढ़ता हूं लेकिन मुझे ऐसा कोई मन्त्र नहीं मिला कि मैं वह मन्त्र पढ़ दूं और सुबह हो समाजवाद आ जाये। उसके लिये हमें प्रयास करना पड़ेगा। वह हम कर रहे हैं। आपका यह कहना ठीक है कि हमारे यहां पीड़ा है, गरीबी है, उसे हटाओ। उसी दिशा में हमारा प्रयास है। हमारी त्रुटियां हो सकती हैं। आप उन त्रुटियों को बतलायें और कहें कि इस तरह से बढ़ों। जहां कमियां हैं उनको दूर करेंगे। यह एक तरीका है काम करने का और यह कोई तरीका नहीं कि आप मजाक उड़ायें यह कह कर कि खूब ले आये समाजवाद। साल भर हुए यह सरकार बन। क्या दुनिया का कोई जीवित स्थान है जहां साल छः महीने में समाजवाद ले आया गया हो। हम तो छोटे से आदमी हैं। आप हमें रास्ता बतलायें, हम उस पर चलेंगे।

हमारे भाई माधव प्रसाद जी को चतुर्दिश लोकतन्त्र की हत्या दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रधान मन्त्री लोकतन्त्र को हत्या कर रही हैं। मैंने भी समझने की चेष्टा की कि कहां लोकतन्त्र की हत्या हो रही है। मालूम होता है कि उनके दिमाग में लोकतन्त्र की हत्या हो गयी है। जनसंघ तो पहले से ही लोकतन्त्री नहीं था। आज वे गांधी जी को कोट करते हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि बीस वर्ष बाद गांधी जी में उनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैं गांधी जी के ग्रंथ और साहित्य पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि एक प्राणी होता है जब उसका समय आता है तो स्क्रिपचर्स कोट करता है। वह भी उनको कोट कर रहे हैं। वे हैं नहीं। मैं क्या कहूं। लेकिन वह बोल गये कि लोकतन्त्र की हत्या हो रही है। उन्होंने प्रधान मन्त्री की चर्चा की उन्होंने अपनी कुर्सी का मोह छोड़कर नीति प्रश्न सम्बन्धी प्रोवीपर्स के मामले में १.३ से हार जाने के बाद पार्लियामेंट भंग कर दी और कह दिया कि हमारी नीतियों और कार्यक्रम का फैसला जनता करेगी। अगर उसको पसन्द है, तो उसको शक्ति देगा और अगर नहीं पसन्द है तो नहीं देगा। इस पर वे कहते हैं कि लोकतन्त्र की हत्या हो रही है। जनता ने उनको पसन्द किया है और आप कहते हैं वे तो घूम रही हैं, उनका तो बड़ा भारी स्वागत होता है, १०—१० लाख जनता उनके स्वागत के लिये आती है। १० लाख जनता उनके स्वागत के लिये आती है और कलेजा आपका फटता है। १० लाख जनता आएगी क्योंकि उसी जनता ने उनकी नीतियों का समर्थन किया है। यह हम जानते हैं और प्रधान मन्त्री भी जानती हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, अगर हमने उन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया, अपने उस वादे को नहीं निभाया तो जिस जनता ने हमें वह अधिकार दिया है वह आगे उन अधिकारों से वंचित भी कर देगी। हम उस ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोकतन्त्र की हत्या हो रही है।

अभी जो चुनाव हुआ, वह भी लोकतन्त्र के विरुद्ध हो गया। ७२ में चुनाव होने थे, तमाम प्रदेशों में चुनाव करा दिये गये। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना नहीं चाहिये था। वहां होने के लिये तो सबका कलेजा बुदबुद कर रहा था। पूछा भी गया कि चलने दिया जाय या यहां पर भी चुनाव करा दिये जायं, तो उस बात को हंस कर टाल दिया गया। सभी जगहों पर हमारी जीत हुई। पश्चिमी बंगाल में भी जीत हुई और ऐसी जीत हुई कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आप कहते हैं कि सभी जगह सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया गया। कलेक्टर, तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी को हमने कलेक्टर से लेकर पटवारी तक सब को लिख लिख कर भेज दिया था कि तुम सब लोग हमारी मदद करो। उत्तर प्रदेश में १० सीटें थीं। सारे भारत में जो आबहवा इन्दिरा जी के प्रति थी, उनके नेतृत्व का, उनकी नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का सब जगह प्रभाव पड़ा और यहां भी पड़ा। और स्थानों पर जनता से उनको स्वीकार किया था, यहां भी स्वीकार किया। जो हार जाता है, वह इसी प्रकार की बातें करता है। असफल हो जाने के बाद कुछ न कुछ तो कहना ही चाहिये। दुनिया में कोई चीज नहीं जिस पर माधव प्रसाद जी को विश्वास हो। जितने भी विधान सभा के मेम्बर हैं सब बेईमान हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वह भी बेईमान है, गवर्नमेंट बेईमान है, प्रधान मन्त्री बदनीयती से काम कर रही हैं, लोगों को धोखा दे रही हैं। ऐसा अविश्वास उनको सब चीजों के प्रति पैदा हो गया है। इससे उनका जीवन न जाने कैसे चलेगा। न जाने क्या दशा होगी उनकी, इसकी मुझे परेशानी है। क्या इन बातों से कोई नतीजा निकल सकता है?

वाकया यह है कि देश की जनता ने हमको आज अधिकार समर्पित किये हैं, यह सोच कर कि जो उसका लक्ष्य है, जो बात उनके हृदय में है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। हमें उन अधिकारी को प्रदान किया है इस विश्वास के साथ कि तुम वह काम पूरा करोगे। जिसके लिये तुम हमसे शक्ति मांग रहे हो। उसने वह शक्ति हमें प्रदान की है और हमें उस शक्ति का प्रयोग उस लक्ष्य को सिद्ध करने में करना है। लेकिन अगर नहीं कर सके तो जिस तरह से लोगों को हटाया है वह हमें भी कान पकड़ कर हटा सकती है और अगर उस लक्ष्य की पूर्ति करते हैं तो एक नया जीवन, नया दृष्टिकोण, नयी व्यवस्था, जिसकी मांग इतिहास हमसे कर रहा है, उसको स्थापित करने का श्रेय हमें प्राप्त होगा। कांग्रेस ने महासंगठन होने के बहुत से श्रेय प्राप्त किये हैं और भगवान करे ऐसे बहुत बड़े-बड़े लक्ष्यों की पूर्ति भी उसके द्वारा हो क्योंकि इस प्रकार नव भारत के निर्माण की जिम्मेदारी और कोई दूसरा राजनैतिक दल नहीं उठा सकता।

आज इतिहास ने हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व डाला है अगर हम उसे अपनी कमजोरी, अदूरदर्शिता कल्पनाहीनता से अगर हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो भविष्य में इतिहास हमारे विरुद्ध फैसला देगा। हम इस खतरे को जानते हैं। देश की जनता ने हमारा साथ दिया है, हमें यहां बैठाया है, अतः हमें उसका काम करना है। गवर्नर महोदय के भाषण में आप देखें कि उस हर दिशा की ओर संकेत किया गया है। हर दिशा की ओर कुछ संकेत किया गया है। पानी पीने के लिये नहीं है, हम ने अलग से उस का इन्तजाम किया है, चाहे उद्योग की दिशा हो, चाहे कृषि की दिशा हो, चाहते हैं कि कृषि में प्रगति हो, हम चाहे सिंचाई की दिशा हो, आर्थिक अवनति के कारण हम इन चीजों में पीछे रहे हैं यह सब जानते हैं। उस अवनति को दूर करने के लिये हर दिशा में कोशिश की गई है बावजूद इसके कि हमारे साधन बहुत सीमित हैं। किसी विकासोन्मुख देश का विकास करने के लिए वहां की जनता को बड़ा भारी बोझ उठाना पड़ता है और वह आप को भी उठाना पड़ेगा, कोई और उसे उठाने नहीं आयेगा, हम उस के लिये विधान सभा के सामने आयेंगे और आप की अनुमति अनुदानों पर चाहेंगे और वह अनुमति आप को खुशी से प्रदान करना पड़ेगी, कोई जादू नहीं है कि कह दिया और हो गया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हमारे हबीब साहब कह गये कि ५० करोड़ की क्रैश प्रोग्राम की स्कीम बनी। उन्हें नहीं मालूम कि यू० पी० को शायद ६ करोड़ की स्कीम मिली जिसको कि हम खर्च कर चुके। हमारे यहां उसने १४ सौ किलो मीटर से ऊपर सड़कें बनीं और अभी तक मिट्टी की भी सौ किलोमीटर से ऊपर सड़कें बन चुकी हैं और कुछ सामान भी खरीद रखा है और जून तक काम होगा। एक लाख से ऊपर आदमी उस में काम किये हैं और मजदूरों को ३, ४ और ५ रुपये तक मजदूरी दी गई है। उस काम को देखने के लिये हमारे यहां भारत सरकार की टीम भी आई थी, उसने घूमकर हमारे इस क्रैश प्रोग्राम के कार्य को देखा और उनकी रिपोर्ट है कि यहां जो काम हुआ है वह दूसरे प्रदेशों से अधिक अच्छा हुआ है। हमने उनसे और पैसा भी मांगा है ताकि हमारा अप्रैल, मई और जून का काम पूरा हो जाय। लेकिन हमारे हबीब साहब को कहीं कुछ काम दिखाई ही नहीं देता शायद वह इलाहाबाद के किसी मुहल्ले में बैठे कोई सपना देखते रहे। जब खड़े हो गए तो उन्हें कोई बात कहना चाहिए, इस तरह से आप प्रदेश की समस्याओं को हल करने में कोई मदद नहीं करते। यह आदत सुधारने की जरूरत है। मैंने यह क्रैश प्रोग्राम के बारे में निवेदन किया, हम तो आप की बात सुन लेते हैं लेकिन यहां के बाहर देश में या प्रदेश में आप की बात कोई सुनने वाला नहीं है।

शांति व्यवस्था की बात कही गई कि वह खराब है। मैं मानता हूं कि हमारी शांति व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिस पर हम कोई दावा करें या अभिमान करें और सन्तोष प्रकट करें लेकिन राज्यपाल महोदय ने केवल इतना कहा कि सामान्य रूप से शांति व्यवस्था हमारे यहां ठीक रही। यह सच है कि साल भर के दौरान न तो विद्यार्थियों पर लाठी चलाने का कोई अवसर आया, न मजदूरों पर गोली चलाना पड़ा और न कोई ऐसी स्थिति आई जिसको भयावह कहा जा सके। होली और मुहर्रम साथ-साथ पड़े और जब कि हर तरह की अशांति का खतरा था, पिछले दस साल में जबकि इस मौके पर अशांति कहीं न कहीं हो जाती थी लेकिन इस साल शांति से यह त्योहार बीत गये। जब युद्ध छिड़ा तब भी भय हुआ कि न मालूम किस तरह की चीजें घट जायेंगी लेकिन हमारी पुलिस के प्रशासन ने जिसकी तारीफ हमारी सेना के लोगों ने भी की है और हमारी पुलिस के आदमी यहां से बाहर भी गए और बार्डर सीक्योरिटी फोर्स ने सेकिन्ड लाइन आफ डिफेंस की तरह पी० ए० सी० और होम-गार्डस ने काम किया जिनकी प्रशंसा के पत्र आये हैं। यह सब पुलिस प्रशासन ने किया और चोरी व डकैती को रोकने के लिये भी काफी काम किया गया इसमें कोई सन्देह नहीं है।

एक साहब कह रहे थे कि मन्त्रियों के खिलाफ जांच हो रही है। लेकिन मुझे तो इस की कोई सूचना नहीं है कि कहां जांच हो रही है। कहां उन्होंने अखबार में पढ़ लिया कि जांच हो रही है जांच करना होगा तो हम करेंगे दूसरा कौन करेगा? कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। 'शिकायतें' आज का जमाना है, न प्रेस का नाम न शिकायतें करने वाले का नाम और जितना चाहो पर्चे बाजी कर दी जाय। इसका भी मैं पता लगवाउंगा कि इस कला में कौन माहिर है।

साधरणतया माननीय राज्यपाल के अभिभाषण ने एक नई दिशा प्रदान की है। पिछले ४–५ राज्यपालों के अभिभाषणों में और इस अभिभाषण में आप बहुत फर्क पायेंगे। राज्यपाल महोदय, किस दिशा में हम जा रहे हैं, उनका संकेत करते गए हैं। सरकार ने भी एक नई दिशा की ओर जाने की चेष्टा की है और उसके लिये हम अगले वर्ष में प्रयास करना चाहते हैं।

उद्योगों के लिए भी कई संस्थान स्थापति किये हैं। क्रैश प्रोग्राम को भी बढ़ाया है। स्वावलम्भी योजनाओं के क्षेत्र में भी हमने कदम उठाये हैं सीलिंग का जो हमारा प्रोग्राम

है अर्बन और रूरल हदबन्दी का बिल आपके सामने पेश होगा और हमारी जो योजना है उससे आपको सन्तोष होगा। जो सुझाव आपके होंगें, उन पर भी विचार होगा। उस सम्बन्ध में हमारे राजस्व मन्त्री जी विरोधी दलों के माननीय नेताओं से भी बात करेंगे, उनकी राय सुन लेंगे। बिल तो नहीं पेश करेंगें, उनके सामने। बिल की रूपरेखा बनाना जरूरी था और वह इसी सत्र में आने वाला है। अर्बन प्रोपर्टी के लिये ८ प्रवेशों ने भारत सरकार को लिखा है कि उनके सुपुर्द किया जाय पर हमारे विधान सभा के माननीय सदस्यों ने कहा है कि तुम ही बिल पेश करो। वह बिल भी तैयार है। अवश्य ही, उसके माध्यम से, जब वह पास होगा, कुछ लोगों को चोट पहुंचेगी, जो आज तक के कानूनों से लाभान्वित होते रहे हैं हालांकि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है।

जब जमींदारी समाप्त हुई थी, तो जमींदारों से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत से जमींदारों ने गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को सहयोग प्रदान किया था। आप भी श्रीमन्, राजा साहब कहे जाते थे। सन् १९३२ में मैं आपके साथ लखनऊ जेल में था। आप जमींदार रहे हैं और हमारे जैसे भी छोटे मोटे जमींदार रहे हैं जिनकी पुश्तैनी जमींदारी रही है और खाते पीते रहे हैं। उसी में भोजन किया। लोग आकर चरण भी छूते रहे। विद्यार्थियों को भी पढ़ाते रहे। किसी से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन लोकानुकम्पाये हमको बहुत काम करना है। यह काम करके लोगों को ठेस अवश्य पहुंचेगी लेकिन जमाना ऐसा आ गया है कि समाज में सामाजिक व्यवस्था में अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा यदि इस देश को प्रगतिशील होना है। बिना इसके हम क्या कर सकेंगे। हम इस प्रयास में यदि असफल हो जायेंगे तो दूसरे लोग इसको कर जायेंगे। लेकिन इस प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है। हम आज जीवन की समस्याओं को हल कर सकें और प्रदेश के विकास के स्तर पर ले जा सकें। हमें ईमानदारी के साथ प्रयास करना होगा। क्योंकि हमारा इसमें स्वार्थ निहित है। जनतन्त्र में और लोकतन्त्र में आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपको और हमको जनता के सामने जाना है। आप सबका सहयोग प्राप्त हो। हमारी कोई बदनीयती नहीं है। हम विरोधी दलों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। बाहर जनता हमारे साथ है और भीतर सदस्य हमारे साथ चले आ रहे हैं। जैसे बांगला देश से शरणार्थी हमारे देश में चले आये, हमने गोली नहीं चलाई, तो हम गोली तो नहीं मार सकते हैं। श्रीमन्, हमको सबका सहयोग मिले। हमारा स्वयं का भी स्वार्थ इसमें निहित है कि हम एक ऐसी व्यवस्था कर सकें कि लोकतांत्रिक ढंग से आज के समाज और आज के आर्थिक ढांचे को परिवर्तित कर सकें इसमें अगर किसी को चोट लगती है तो देश के हित के नाम पर और इस देश के कल्याण के नाम पर उसको सहन करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय रियासत हुसैन साहब के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब चूंकि कोई सदस्य मौजूद नहीं है जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया इसलिये दो तरीके हैं। प्रस्ताव को ले लें, वह पारित हो गया तो समझ लेना चाहिए कि जितने संशोधन थ वे गिर गये।

प्रस्ताव यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल महोदय के संशोधन के लिये जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत जो अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय थे उसके लिये भी क्योंकि यहां माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं इसलिये उनके लाने की भी जरूरत नहीं है। आज का कार्य समाप्त होता है और हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३१ मार्च, १९७२।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

आजमगढ़ जिले में अक्तूबर, १९७१ में प्राप्त तथा वितरित भूसा का विवरण

नाम तहसील	बिक्री केन्द्र	अक्टूबर मास में प्राप्त भूसा (कुन्तल में)	अक्टूबर मास में बिक्री का विवरण	
			ग्राम	मात्रा
फूलपुर	अम्बारी	३४–५०	—	—
लालगंज	देवगांव	१७-५९-५००	—	—
"	ठेकमा	३४–५०	—	—
सगड़ी	अंजानशहीद	३४–५०	—	—
मोहम्मदाबाद	मुबारकपुर	१७–२५	—	—
सदर	सरायमीर	३४–५०	—	—
सदर	तहबरपुर	३४–५०	—	—
सदर	रानी की सराय	३४–५०	मझगावां	१२–००
			टेंगरपुर	१–००
			साकोपुर	२१–५०
सदर	डी० सी० एफ० आजमगढ़।	१४२–१६–५००	सम्मोपुर	६–००
			खेरातपुर	४–००
			ऐलवल	६–००
			रंदोपुर	९–००
			हथिया	२–००
			सिविल लाइन	१–००
			मड़या	५–००
			बाग लखरांव	२–००
			रामपुर बनकठिया	४–००
			जमालपुर	२–००
			वाजबहादुर	२–००
			सिधारी	२–००
			जैरामपुर	८–००
			शिवली	१–००
			एकरामपुर	१–००
			मतोलीपुर	४–००
			एन एन टी	१–००
			अजमतपुर	१–००
		३८४–०१–००	चकलाशहर	१–००

नाम तहसील	बिक्री केन्द्र	अक्तूबर मास में प्राप्त भूसा (कुन्तल में)	अक्तूबर मास में बिक्री का विवरण		विवरण
			ग्राम	मात्रा	
			गलधारा	१–००	
			शम्भूपुर	२–००	
			कम्हेनपुर	४–००	
			खल्लोपुर	१–००	
			उकरोड़ा	३–००	
			नरौली	७–००	
			मुहम्मदल्ला	१–००	
			सिविल कोट	१–००	
			बभनौली	१–००	
			शरफुद्दीनपुर	१–००	
			हरिवंशपुर	५–००	
			कुर्मी टोला	२–००	
			शहर आजमगढ़	१–००	
			पल्हनी	१–००	
			योग ..	१२७–५०	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६११ पर)

लिस्ट काश्तकारान जिन्हें सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि एलाट की गयी

तहसील हल्द्वानी (ग्राम हाथी खाल)

क्रम-संख्या	नाम एलाटीज मय वल्दियत	रकबा जो एलाट हुआ (एकड़ में)	आवंटन की तिथि	विवरण
१	श्री अर्जुन सिंह, अमरीक सिंह, पुत्र भगवान सिंह, ग्राम हाथी खाल।	६.००	२६-६-७०	भूमिहीन
२	श्री चानन सिंह, सिंघाड़ा सिंह, पुत्र कश्मीर सिंह।	६.२३	,,	,,
३	श्री तपेश प्रकाश, वेद प्रकाश, रामप्रकाश, पुत्र दामोदर दास, सा० देह।	५.६३	,,	,,
४	श्री हरवंश सिंह, पुत्र पूरनसिंह, सा० हाथी खाल।	१.७३	,,	,,
५	ग्राम समाज ..	०.४०	,,	,,
		२०.००		
	ग्राम किशनपुर सकुलिया, तह० हल्द्वानी			
१	हल्ली, पत्नी धर्मानन्द, सा० उक्त	४.००	,,	,,
	भगवानपुर तल्ला उक्त तहसील			
१	गज्जनसिंह, पुत्र दीदार सिंह	०.८०	,,	,,
	ग्राम तल्ला रामपुर			
१	जनार्दन, हरीदत्त, गोवर्धन, धनानन्द, पुत्र सीयानन्द।	१०.३१	,,	,,
	ग्राम मुखानी (अस्थायी ५ वर्ष के लिए)			
१	लाखन सिंह, पुत्र धर्मसिंह, सा० बरेली-रोड, हल्द्वानी।	५.८३	२९-४-६८	,,
		२०.९४		

क्रम-संख्या	नाम एलाटीज मय वल्दियत	रकबा जो एलाट हुआ (एकड़ में)	आवंटन की तिथि	विवरण
	ग्राम जयदेवपुर (अस्थायी एलाटमेंट)			
१	संचालिका, ग्राम उद्योग सदन, ताकुला	१०.००	१८-१०-६६	भूमिहीन
२	पानसिंह हवलदार, रेस्ट कैंप, काठगोदाम	५.००	,,	,,
३	जे० एम० चौधरी, के० आर० सी०, रानीखेत	५.००	,,	,,
४	मनमोहन देवनाथ, के० आर० सी०, रानीखेत।	५.००	,,	,,
५	एच० सी० सरकार नायब सूबेदार, के० आर० सी०, रानीखेत।	५.००	,,	,,
६	खड़कराम, पुत्र दुलीराम, काठगोदाम रोड, हल्द्वानी।	५.००	,,	,,
७	एम० एस० सेन गुप्ता, के० आर० सी०, रानीखेत।	५.००	,,	,,
८	मोहन सिंह पुत्र नरसिंह काठगोदाम	३.००	,,	,,
९	गोपाल राम, पुत्र आत्माराम, काढूंगी रोड, हल्द्वानी।	५.००	,,	,,
१०	धर्मसिंह, पुत्र चानन सिंह, पुलिस चौकी काठगोदाम के पास।	५.००	,,	,,
११	राम सिंह, पुत्र एच० सिंह, सा० मल्ला, गोरखपुर।	३.००	१८-१२-६६	,,
१२	धर्मानन्द, पुत्र सीताराम, बद्रीपुरा, हल्द्वानी।	३.००	,,	,,
१३	बुद्धिवल्लभ, पुत्र हेमानन्द, भवानीगंज, हल्द्वानी	३.००	,,	,,
१४	पदम सिंह, पुत्र ध्यान सिंह, पुलिस चौकी काठगोदाम।	५.००	,,	,,
१५	खड़कसिंह, पुत्र प्रताप सिंह, काठगोदाम	५.००	,,	,,
१६	जगत सिंह, पुत्र गोपाल सिंह	५.००	,,	,,
१७	प्रेम बल्लभ, पुत्र दुर्गादत्त, काढूंगी रोड, हल्द्वानी	५.००	,,	,,
१८	अमर सिंह, पुत्र भिन्नासिंह, तल्लाकोटा	५.००	,,	,,
१९	चन्द्रदेवी, पत्नी दौलतसिंह, हल्द्वानी	५.००	,,	,,
२०	देवकी देवी, पत्नी हरिशचन्द्र, सा० हलद्वानी	५.००	१८-८-६९	,,
	कुल ..	९७.००		
	अवशेष रकबा जगदेवपुर	२.८२		
	कुल ..	९९.८२		

क्रम-संख्या	नाम एत्राटीज मय वल्दियत	एकड़ जो एत्राट हुआ (एकड़ में)	आवंटन की तिथि	टिप्पण

तहसील कालाढूंगी ग्राम हिम्मतपुर गेबुआ

१--नाथूसिंह मोर सिंह पुत्र लाल सिंह सा० उपरोक्त ग्राम।	५.०० एकड़	२५-६-७०	
२--कुंवरलाल पुत्र प्रेमलाल सा० उपरोक्त ग्राम।	२९.६ बीघा	,,	
३--अनन्तराम पुत्र सोवनराम सा० उपरोक्त ग्राम।	१४.१३ बीघा	,,	
योग ..	११.८७ एकड़		

ग्राम पत्तापानी

१--चन्दन सिंह पुत्र विशनसिंह सा० पत्तापानी	१९.०० बीघा	२५-६-७०	
२--बचीनाथ पुत्र शिवनाथ ,,	१९.०० ,,	,,	
३--खोमराम पुत्र हिम्मतराम ..	१९.०० ,,	,,	
४--दौलतराम पुत्र लड़कराम ,,	२०.९ ,,	,,	
योग ..	७७.९ या १२.९० एकड़		

ग्राम खचीनगर

१--हरनाम सिंह पुत्र पाल सिंह सा० उपरोक्त ग्राम	२५.०० बीघा	२५-६-७०	
२ महेन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह ,,	२१.२ ,,	,,	
३--महेन्द्र सिंह पुत्र प्यारासिंह ,,	२४.११ ,,	,,	
४--जोगेन्द्र सिंह पुत्र प्यारासिंह ,,	२०.१० ,,	,,	
५--गुरनाम कौर पत्नी प्यारासिंह ,,	१८.१६ ,,	,,	
६--गुरुबक्श सिंह पुत्र भगतसिंह ,,	३२.०० ,,	,,	
७--पूरनसिंह पुत्र महेशसिंह ,,	१२.४ ,,	,,	
८--चरण सिंह पुत्र प्यारा सिंह ,,	२४.१ ,,	,,	
९--गुरमेजकौर पत्नी प्यारा सिंह ,,	२.१३ ,,	,,	
१०--बलबीर सिंह पुत्र लच्छमन सिंह ,,	११.१३ ,,	,,	
योग ..	२१२.१० या ३३.२० एकड़		

क्रम-संख्या	नाम एलाटीज मय वल्दियत	रकबा जो एलाट हुआ (एकड़ में)	आवंटन की तिथि	विवरण
	ग्राम नरोत्तमपुर			
१	गुरचरन सिंह पुत्र निहाल सिंह सा० उक्त	.. १६.५ बीघा या २.५४ एकड़		
	ग्राम प्रतापपुर			
१	बहादुर राम पुत्र गंगाराम सा० उक्त	.. २०.३ बीघा	२५-६-७०	
२	जोगाराम पुत्र हरीराम सा० उक्त	.. २०.३ ,,	,,	
३	नन्दराम पुत्र केशराम सा० उक्त	.. २०.३ ,,	,,	
	योग	.. ६०.९ या ९.४४ एकड़		

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१४ पर)

आयुक्त, कुमाऊं मण्डल तथा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा जिन औद्योगिक यूनिटों को लीसा आवंटित किया गया उनकी सूची ।

(१) आयुक्त, कुमाऊं मण्डल द्वारा आवंटित

क्र०-सं०	औद्योगिक यूनिटों का नाम		वर्ष १९७०–७१ में आवंटित लीसे की मात्रा (क्विंटल में)
	जिला अल्मोड़ा		
१	मेसर्स शिव लीसा उद्योगशाला चौकूनी, रानीखेत	..	६३३.१०
२	,, ताकुला विकास क्षेत्र ग्राम स्वराज्य संघ सोमेश्वर	..	७४६.४८
३	,, लक्ष्मी विरोजा इंडस्ट्री, चितई ..	..	७४६.४८
४	,, महेन्द्र लाल शाह, रानीखेत, साह लीसा खगमरा	..	७४६.४८
५	,, कश्मीरी लाल हिन्द लीसा उद्योग, मजखाली	..	७४६.४८
६	,, बिहारी लाल साह, कालीका, रानीखेत	.. ..	७४६.४८
७	,, प्रकाश रोजिन ऐण्ड टरपेन्टाइन, कालिका	.. ..	७४६.४८
८	,, पर्वतीय ग्राम स्वराज्य मण्डल, जयन्ती	.. ..	७३.९४
		योग ..	५,४८५.१२
	जिला नैनीताल		
९	मेसर्स नैनीताल रोजिन ऐण्ड टरपेन्टाइन इण्डस्ट्रीज, गरमपानी	..	६३३.१०
१०	,, सैनिक रोजिन ऐण्ड टरपेन्टाइन फैक्ट्री, रामीबाग	..	६३३.१०
११	,, कपूर इन्डस्ट्रीज, हल्द्वानी ..	..	१५०.००
१२	,, मनोरा ग्राम स्वराज्य संघ, रामीबाग ..	..	७४६.४८
		योग ..	२,७६२.६८

क्रम-सं०	औद्योगिक यूनिटों का नाम	वर्ष १९७०-७१ में आबंटित लीसे की मात्रा (क्विंटल में)
	जिला पिथौरागढ़	
१३	मेसर्स जे० सी० खत्री, थल	९३३.१०
१४	,, हुकुम सिंह मेहरा, रोजिन ऐण्ड टरपेन्टाइन यूनिट, पिथौरागढ़ ..	७४६.४८
	योग ..	१,६७९.५८
	कुमाऊं मण्डल के लीसे का कुल योग	९,९२८.१८
	(२) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा आबंटित	
	जिला गढ़वाल	
१५	मेसर्स कैलास रोजिन फैक्ट्री, कोटद्वार, गढ़वाल ..	१,७५०.००
१६	,, मोहन ऐण्ड मोहन, पौड़ी-गढ़वाल	१,७५०.००
	योग ..	३,५००.००
	जिला चमोली	
१७	मेसर्स दशोली ग्राम स्वराज्य संघ, गोपेश्वर, चमोली ..	१,५००.००
	जिला उत्तरकाशी	
१८	मेसर्स गंगोत्री ग्राम स्वराज्य संघ, गंगोत्री, उत्तरकाशी ..	१,०००.००
	गढ़वाल मण्डल के लीसे का कुल योग	६,०००.००
	महायोग ..	१५,९२८.१८

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

सहायक निबन्धक (सहकारिता) आजमगढ़ के कार्यालय में निरीक्षकों के टी० ए० व्यय की तालिका

नाम तथा धनराशि जो वर्ग–१ निरीक्षकों को मिली		नाम तथा धनराशि जो वर्ग–२ निरीक्षकों को मिली		नाम तथा धनराशि जो वर्ग–३ निरीक्षकों को मिली	
नाम	धनराशि	नाम	धनराशि	नाम	धनराशि
१–श्री हबीबुल्लाह	६३२.००	१–श्री परमेश्वर पाण्डेय।	६२.६५	१–श्री योगेन्द्र	१,१५६.००
२–श्री एस० डी० तिवारी।	१००६.४५	२–श्री राम उग्रह सिंह।	५८२.००	२–श्री प्रभू नाथ सिंह।	१,२४१.००
३–श्री एस० एस० लाल	६३२.००	३–वीरेन्द्र सिंह	७३७.२५	३–श्री वी० वी० सिंह।	१,००६.३०
४–श्री जे० एन० पाण्डेय।	८५७.००	४–श्री चारु चन्द्र तिवारी।	६३८.२०	४–श्री भगत बिहारी लाल।	१६४.००
५–श्री के० एन० सिंह।	३४७.००	५–श्री शिव प्रसाद सिंह।	५०६.००	५–श्री राजनरायण सिंह।	६६.००
६–श्री प्रेम शंकर	३००.००	६–श्री बृजराज पाण्डेय।	३१७.००	६–श्री आर० सी० यादव।	५५७.००
योग	४,०७४.४५	७–श्री सी० बी० सिंह।	६८.६०	७–श्री रवीन्द्र सिंह।	१,०३७.५०
		८–श्री गिरीश-चन्द्र।	८६५.००	योग ..	५,२६०.८०
		९–श्री डी० एन० राय।	१५८.००		
		१०–श्री देवेन्द्र उपाध्याय।	२२.००		
		योग	३,९९०.००		
		कुल योग ..	१३,३२५.२५		

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१९ पर)

श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मन्दिरों से विगत ५ वर्ष की आय एवं व्यय का तथा बचत का वर्षवार विवरण

वर्ष	आय	व्यय	बचत
१९६६–६७	१०,३३,३०८.४० [पिछले वर्ष की बचत को सम्मिलित करके]	९,०७,७६७.६१	१,२५,५४०.७९
१९६७–६८	१२,५८,९६६.०७ तदेव	११,५३,०७३.००	१,०५,८९३.०७
१९६८–६९	१२,३४,६५४.४१ ,,	१०,६६,७०८.३३	१,६७,९४६.६६
१९६९–७०	१४,७०,१४५.३१ ,,	१२,६६,६६६.५२	२,०३,४७८.७९
१९७०–७१	१२,४२,११६.०६ ,,	११,५०,५७२.४३	९१,५४३.६३

श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों के विगत ५ वर्षों के व्यय का वर्षवार ब्योरा संलग्न है।

श्री बद्रीनाथ मन्दिर के वित्तीय वर्ष १९६६–६७ के व्यय का विवरण

व्यय शीर्षक	व्यय पूंजी
१—सरकारी रकम व कर	२,६७७.२१
२—वेतन भत्ता कर्मचारीगण	९७,८५१.७१
३—दस्तूरात	२८,८०७.७८
४—भोग नित्य नियम	५४,८४६.५६
५—यात्री भोग	३३,३२९.३६
६—पूजा के लिये वस्तुओं का क्रय	४३,९२६.२४
७—गल्ला आदि का क्रय	२८,५५५.५२
८—सार्वजनिक संस्थाओं मन्दिर विद्यालयों को अनुदान ..	६९,९६८.४५
९—धर्मार्थ धर्मदा सेवा समिति	२८३.८७
१०—सेनीटेशन की ग्रान्ट	१४,२९६.७१
११—विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	६,५४२.२५
१२—निःशुल्क प्रसाद वितरण	३,८४०.००
१३—आतिथ्य	६९.१०
१४—सार्वजनिक निर्माण-कार्य व मरम्मत भवन	१,२४,९८२.८३
१५—पशुपालन	..
१६—प्रतिभूतियों का क्रय	९३,४५०.००
१७—पेशगी	..
१८—अदालती व्यय	२,६८६.६५
१९—मार्ग व्यय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारीगण	१२,६२०.३०
२०—डाक व्यय	३,७७३.५३
२१—धर्मार्थ औषधालय पर	१,७१७.६८
२२—प्रोविडेन्ट फण्ड कर्मचारी	२,२६८.९५
२३—फुटकर व्यय	८७,९६६.०४
योग ..	७,१४,४१०.७४

श्री बद्रीनाथ मन्दिर के वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के व्यय का विवरण

व्यय शीर्षक	व्यय पूंजी
१—सरकारी रकम व कर	५,२६९.५२
२—वेतन भत्ता कर्मचारी	१,१२,८२३.३९
३—दस्तूरात	२०,०५९.३३
४—भोग नित्य नियम	८५,७४३.३८
५—यात्री भोग	५६,६९१.५३
६—पूजा के लिये वस्तुओं का क्रय	४३,१९४.५०
७—गल्ला आदि का क्रय	११,८७५.००
८—सार्वजनिक संस्थाओं व मन्दिर विद्यालयों को अनुदान ..	७८,३९४.९३
९—धर्मार्थ धर्मादा सेवा समिति	..
१०—सेनीटेशन की ग्रान्ट	१६,७००.००
११—विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	२००.००
१२—निःशुल्क प्रसाद वितरण	५,६००.००
१३—आतिथ्य	..
१४—सार्वजनिक निर्माण-कार्य व मरम्मत भवन	२,७१,४२९.८०
१५—पशुपालन पर व्यय	१०.००
१६—प्रतिभूतियों का क्रय	७०,०००.००
१७—पेशगी	१,८६६.२५
१८—अदालती व्यय	१,०५५.४४
१९—मार्ग व्यय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी	३३,०२७.०७
२०—डाक व्यय	५,३१४.०८
२१—धर्मार्थ औषधालय	१,४२५.१४
२२—प्रोविडेन्ट फण्ड	..
२३—फुटकर व्यय	८४,९३५.५९
योग ..	९,१४,६१४.९५

श्री बद्रीनाथ मन्दिर के वित्तीय वर्ष १९६८–६९ के व्यय का विवरण

व्यय शीर्षक	व्यय पूंजी
१—सरकारी रकम व कर	९३३.३२
२—वेतन भत्ता कर्मचारीगण	१,४२,०३४.८४
३—दस्तूरात	३६,१५३.९७
४—भोग नित्य नियम	८६,१९६.८९
५—यात्री भोग	४७,२८५.९४
६—पूजा के लिये वस्तुओं का क्रय	३०,५८४.५६
७—गल्ला आदि का क्रय	१४,७९०.००
८—सार्वजनिक संस्था मन्दिर विद्यालयों को अनुदान ..	८९,३६२.२८
९—धर्मार्थ	३२३.४४
१०—सेनीटेशन को ग्रान्ट	१८,९५०.००
११—विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	६,५१०.३१
१२—निःशुल्क प्रसाद वितरण पर	२,१८२.२५
आतिथ्य	८८.००

व्यय शीर्षक				व्यय पूंजी
१४—सार्वजनिक निर्माण-कार्य व मरम्मत भवन	..	..	..	१,७१,३११.९७
१५—पशुपालन ..	..	..	..	..
१६—प्रतिभूतियों का क्रय	..	..	..	१,१५,०००.००
१७—पेशगी ..	..	..	..	३,०८९.२४
१८—अदालती व्यय ..	..	..	..	१,६००.५३
१९—मार्ग व्यय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी	..	..	..	३७,३१९.९४
२०—डाक व्यय ..	..	..	..	५,२७२.०६
२१—धर्मार्थ औषधालय	..	..	..	१,५४१.०४
२२—प्रोविडेंट फण्ड ..	..	..	..	१,९९३.३६
२३—फुटकर व्यय ..	..	..	..	६६,३९७.४६
		योग	..	८,७८,९६१.४०

श्री बद्रीनाथ मन्दिर के वित्तीय वर्ष १९६९–७० के व्यय का विवरण

१—सरकारी रकम व कर	..	..	..	१,८१७.३७
२—वेतन भत्ता	..	..	..	१,३०,३५७.१८
३—दस्तूरात	..	..	..	२८,८२६.७९
४—नित्य नियम भोग	..	..	..	७२,७००.५२
५—यात्री भोग	..	..	..	५२,४११.४४
६—पूजा वस्तुओं का क्रय	..	..	..	२५,१४८.९९
७—गल्ला आदि का क्रय	..	..	..	..
८—सार्वजनिक संस्थाओं व मंदिर विद्यालयों को अनुदान			..	१,०५,५६७.३०
९—दान सेनीटेशन को अनुदान धर्मदा		..	..	२२,७००.००
धर्मादा	..	..	..	१,४९९.२६
	..	..	..	१,२३८.००
१०—निःशुल्क चन्दन प्रसाद शुल्क	..	..	..	६,०२१.००
शशुल्क प्रसाद	..	..	..	
११—आतिथ्य सत्कार	..	..	..	४६.५५
१२—मरम्मत कार्य पर व्यय	..	..	..	१७,२६८.४२
बिल्डिंग मेटीरियल का क्रय	..	..	..	७८,६८४.७२
नव-निर्माण-कार्य	..	..	..	१,५६,६४४.४८
१३—विद्युत् व्यय	..	..	..	१५,०८२.८३
१४—पशुपालन	..	..	..	..
१५—प्रतिभूतियों का क्रय	..	..	..	१,७५,५४०.००
१६—अग्रिम धन	..	..	..	८,३५०.७९
१७—अदालती व्यय	..	..	..	६,६४३.०७
१८—मार्ग व्यय अध्यक्ष, सदस्य एवं अधिकारी			..	२६,४६४.८६
१९—डाक व्यय	..	..	..	८,९७८.१०
२०—औषधालय धर्मार्थ	..	..	..	१,२९८.०७
२१—प्रोविडेंट फंड कर्मचारियान	..	..	..	२,०११.७८
२२—विविध व्यय	..	..	..	९३,६४०.९२
	..	..	योग ..	१०,४४,९५२.४४

श्री बद्रीनाथ मन्दिर के वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के व्यय का विवरण

व्यय शीर्षक				व्यय पूंजी
१—सरकारी रकम व कर	..	..	..	९३२.१३
२—वेतन भत्ता कर्मचारियान	..	..	..	१,५७,७००.७१
३—दस्तूरात	..	..	..	३०,७८२.६९
४—नित्य नियम भोग	..	..	..	५४,४६६.५९
५—यात्री भोग	..	..	..	३६,३६०.१९
६—पूजा वस्तुओं का क्रय	..	..	..	२२,३७४.३०
७—गल्ला आदि का क्रय	..	..	..	..
८—संस्थाओं को अनुदान	..	..	..	९३,१३९.८३
९—दान सेनीटेशन इम्प्रूवमेंट को अनुदान	..	..	..	२१,४९१.२५
धर्मादा	..	..	..	१,११२.६२
१०—निशुल्क चंदन प्रसाद वितरण	..	..	..	७,२६८.९९
११—आतिथ्य सत्कार	..	..	..	२४२.४२
१२—नव-निर्माण-कार्य	..	..	..	१,५३,०७८.८८
इमारती सामान का क्रय	..	..	..	३७,२०४.४४
१३—मरम्मत कार्य	..	..	..	३४,५५६.८९
विद्युत् व्यय	..	..	..	१०,२१५.३९
१४—पशुपालन पर व्यय	..	..	..	..
१५—प्रतिभूतियों का क्रय	..	..	..	४५,०००.००
१६—ऋण व अग्रिम धन	..	..	..	..
१७—अदालती व्यय	..	..	..	१,१३४.६५
१८—मार्च व्यय अध्यन एवं मंदिर कर्मचारियान		..	..	४१,७१५.४७
१९—डाक व्यय	..	..	..	५,९६९.९५
				२३३.५५
२०—धर्मार्थ औषधालय पर	..	..	..	१,२७९.००
२१—प्रोविडेंट फंड कर्मचारी	..	..	..	२,२८६.२४
२२—विविध व्यय व्यवस्था	..	..	..	२,३३,१४६.८१
		योग	..	९,९१,६९२.९९

श्री केदारनाथ मन्दिर के वर्ष १९६६–६७ के व्यय का विवरण

१—रकम हिस्सेदारी टैक्स	..	..	..	११७.९०
२—वेतन व भत्ता	..	..	..	२८,८०६.०३
३—दस्तुरात	..	..	..	५,३००.००
४—भोग नित्य नियम	..	..	..	८,४५५.२०
५—यात्री भोग	..	..	..	३,०२३.८६
६—पूंजा सामग्री	..	..	..	१,४१८.४५
७—गल्ला क्रय	..	..	..	७,५८२.३४
८—चन्दा धर्मार्थ	..	..	..	२४७.२५
९—छात्रवृत्ति एवं संस्था सहायता	..	..	..	३,८९३.९२
१०—निःशुल्क प्रसाद	..	..	..	..
११—मेहमानदारी	..	..	..	१०.२०

व्यय शीर्षक				व्यय पूंजी
१२—नव-निर्माण एवं वार्षिक मरम्मत	..	..	..	२१,१९३.०२
१३—पशु-पालन	..	..	..	..
१४—प्रतिभूतियों का क्रय	..	..	..	७०,०००—००
१५–१६—अग्रिम धन	..	..	..	१,५२८.५३
१७—अदालती व्यय	..	..	..	२००.००
१८—मार्ग व्यय	..	..	..	५,९६५.९८
१९—डाक व्यय	..	..	..	४८४.३५
२०—धर्मार्थ औषधालय	..	..	..	३,२०३—९९
२१—भविष्य निर्वाह निधि	..	..	..	९७१.१८
२२—विविध व्यय	..	..	..	३०,९५४.६७
			योग ..	१,९३,३५६.८७

श्री केदारनाथ मन्दिर वर्ष १९६७–६८ के व्यय का विवरण

१—रकम हिस्सेदारी टैक्स	..	..	..	६६.२९
२—वेतन व भत्ता	..	..	..	५२,३४८.१४
३—दस्तुरात	..	..	..	५,९२०.३१
४—भोग नित्य नियम	..	..	..	७,८८०.७७
५—यात्रा भोग	..	..	..	३,६०८.८७
६—पूजा सामग्री	..	..	..	२,९०४.३७
७—गल्ला क्रय	..	..	..	१७,३९७.७९
८—चन्दा धर्मार्थ	..	..	..	१,०९२.१२
९—छात्रवृत्ति एवं संस्था सहायता	..	..	..	१९,९००.००
१०—निःशुल्क प्रसाद	..	..	..	..
११—मेहमानदारी	..	..	..	१७०.८०
१२—नव-निर्माण एवं वार्षिक मरम्मत		..	..	४१,५८७.८१
१३—पशु पालन	..	..	..	..
१४—प्रतिभूतियों का क्रय	..	..	..	१८,२००.००
१५—१६—अग्रिम धन	..	..	..	..
१७—अदालती व्यय	..	..	..	४८३.४५
१८—मार्ग व्यय	..	..	..	१२,६३८.४६
१९—डाक व्यय	..	..	..	४७९.५४
२०—धर्मार्थ औषधालय	..	..	..	४,७६०.४४
२१—भविष्य निर्वाह निधि	..	..	..	१,३६७.७३
२२—विविध व्यय	..	..	..	४७,६६१.१६
			योग ..	२,३८,४५८.५

श्री केदारनाथ मन्दिर के वित्तीय वर्ष १९६८–६९ के व्यय का विवरण

१—रकम हिस्सेदारी टैक्स	..	..	..	४९.१४
२—वेतन व भत्ता	..	..	..	६८,६९६.५३
३—दस्तूरात	..	..	..	४,३९२.३३

व्यय शीर्षक				व्यय पूंजी
४—भोग नित्य निगम	..	..	..	६,३७०.६७
५—यात्री भोग	..	..	..	३,६३२.५१
६—पूजा सामग्री	..	..	..	२,१३५.८२
७—गल्ला क्रय	..	..	..	४,६१५.२५
८—चन्दा धर्मार्थ	.	..	..	५२८.१०
९—छात्रवृत्ति एवं संस्था सहायता	..	..	..	..
१०—नि:शुल्क प्रसाद	..	..	..	..
११—मेहमानदारी	..	..	..	..
१२—नव-निर्माण एवं वार्षिक मरम्मत		..	..	३३,१५४.०१
१३—पशु पालन	..	..	..	..
१४—प्रतिभूतियों का क्रय	..	..	..	१३,७२०.००
१५-१६—अग्रिम धन	..	..	..	१९६.००
१७—अदालती व्यय	..	..	..	१,७९९.८०
१८—मार्ग व्यय	..	..	..	७,७००.४२
१९—डाक व्यय	..	..	..	७१५.२५
२०—धर्मार्थ औषधालय	..	..	..	१,३७५.२०
२१—भविष्य निर्माह निधि	..	..	..	१,२८९.४७
२२—विविध व्यय	..	..		३४,०७६.१३
			योग व्यय ..	१,८७,७४६.९३

श्री केदारनाथ मन्दिर वर्ष १९६९-७० का व्यय विवरण

व्यय शीर्षक				व्यय पूंजी
१—रकम हिस्सेदारी टैक्स	..	..	..	२४.२०
२—वेतन व भत्ता	..	..	..	८४,६१४.८७
३—वस्तुरात	..	..	..	३,३७०.६६
४—भोग नित्य नियम	..	..	..	९,५३७.२७
५—यात्री भोग	..	..	..	६,४५४.८०
६—पूजा सामग्री	..	..	..	२,८०५.८४
७—गल्ला क्रय	..	..	..	६,२५७.२९
८—चन्दा धर्मार्थ	..	..	..	३१६.००
९—छात्रवृत्ति एवं संस्था सहायता	..	..	..	१६,३१७.००
१०—नि:शुल्क प्रसाद	..	..	..	..
११—मेहमानदारी	..	..	..	..
१२—नव-निर्माण एवं वार्षिक मरम्मत		..	..	३०,७१२.८२
१३—पशु-पालन	..	..	..	..
१४—प्रतिभूतियों का क्रय	..	..	..	१५,९७०.००
१५-१६—अग्रिम धन	..	..	..	९१.०७
१७—अदालती व्यय	..	..	..	३,५३८.४४
१८—मार्ग व्यय	..	..	..	९,७३६.८२
१९—डाक व्यय	..	..	..	७०४.४०
२०—धर्मार्थ औषधालय	..	..	..	१,४९७.९१

व्यय शीर्षक				व्यय पूंजी
२१—भविष्य निर्वाह निधि	..	..	..	१,३९०.२६
२२—विविध व्यय	..	..	..	२८,३७३.६३
		योग व्यय	..	२,२१,७१४.०८

श्री केदारनाथ मन्दिर वर्ष १९७०–७१ का व्यय विवरण

व्यय शीर्षक				व्यय पूंजी
१—रकम हिस्सेदारी टैक्स	..	..	..	२२.५८
२—वेतन व भत्ता	..	..	..	५७,५७७.६३
३—दस्तुरात	..	..	..	५,४५२.०५
४—भोग नित्य नियम	..	..	..	१०,४३५.८५
५—यात्री भोग	..	..	..	४,३९७.७७
६—पूजा सामग्री	..	..	..	१,२२१.५०
७—गल्ला क्रय	..	..	..	२८०.९२
८—चन्दा धर्मार्थ	..	..	..	३११.२०
९—छात्रवृत्ति एवं संस्था सहायता	..	..	..	३,२००.००
१०—नि:शुल्क प्रसाद	..	..	..	..
११—मेहमानदारी	..	..	..	..
१२—नव-निर्माण एवं वार्षिक मरम्मत		..	..	७,४८७.५१
१३—पशु पालन	..	..	..	२३.१५
१४—प्रतिभूतियों का क्रय	..	..	..	१५,०००.००
१५—ऋण	..	..	..	३,०००.००
१६—अग्रिम धन	..	..	..	६,५००.००
१७—अदालती व्यय	..	..	..	१,१०७.००
१८—मार्ग व्यय	..	..	..	९,३६४.९८
१९—डाक व्यय	..	..	..	१,०१८.४०
२०—धर्मार्थ औषधालय	..	..	..	१२१.५४
२१—भविष्य निर्वाह निधि	..	..	..	१,१६८.०८
२२—विविध व्यय	..	..	..	१९,२४३.३५
		योग व्यय	..	१,५८,८७९.४४

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२४ पर)

तहसील हरैया में घाघरा नदी की कटान से पीड़ित ग्रामों की सूची

१—बरदिया लौहोर
२—बड़वापार
३—गैरियानैन
४—भरथापुर मुस्तहकम
५—कल्यानपुर
६—सहजौरा पाठक
७—बैतावा
८—पकड़ी संग्राम
९—कन्जा संग्राम
१०—पूरे दमड़ी
११—भीखीवन
१२—हिमायूंपुर
१३—आराजोडूहो मु०बसावनपुर
१४—माझा किता अवल
१५—माझा अखनपुर
१६—सन्दलपुर
१७—जाजूपुर
१८—आराजाडूहो पिठिया लश्करी
१९—पूरे राम सिंह
२०—अचलपुर
२१—रानीपुर
२२—बड़ागांव
२३—कठवनिया
२४—बधमरवा
२५—दुधौरा पूरे कुमार
२६—मुडेरोपुर
२७—आराजोडूहो धरमूपुर बहतमाली

तहसील बस्ती में घाघरा नदी की कटान से पीड़ित ग्रामों की सूची

१—तेजपुर
२—भोतहा
३—नकहा
४—बोबहट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२६ पर)

बाढ तथा अतिवृष्टि से हुई क्षति के कारण गृह निर्माण हेतु अनुदान के रूप में बांटा गया रुपया—तहसील नवाबगंज

क्रम-सं०	नाम व्यक्ति	धनराशि	क्रम-सं०	नाम व्यक्ति	धनराशि
ग्राम हिमकरा					
१	श्री हेताराम पुत्र कुंदन	५०.०	२०	श्री जंगबहादुर पुत्र शोभाराम	५०.०
२	,, छोटेलाल पुत्र दुलारी	५०.०	२१	,, बृजलाल पुत्र शोभाराम	५०.०
३	,, हर सहाय पुत्र आसे	३०.०	२२	,, नयलाल पुत्र शोभाराम	५०.०
४	,, परमेश्वरी पुत्र आसे	३०.०	२३	,, गोपाल पुत्र थानसिंह	५०.०
५	,, लालाराम पुत्र कोमिल प्रसाद	५०.०	२४	,, रामकुंवर पुत्र हिलसुख	५०.०
६	,, गंगाराम पुत्र गोकिल	५०.०	२५	,, खियालीराम पुत्र खमानी	५०.०
७	,, पातेराम पुत्र गंगाराम	५०.०	२६	,, तुलसीराम पुत्र चन्दर	५०.०
८	,, छोटेलाल पुत्र गंगाराम	५०.०	२७	,, मोहन लाल पुत्र चेतराम	५०.०
९	,, बिहारीलाल पुत्र गंगाराम	५०.०	२८	,, प्रताप पुत्र टीकाराम	५०.०
१०	,, डुमारलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद	५०.०	२९	,, गंगाराम पुत्र शोभाराम	५०.०
११	,, मंगली लाल पुत्र होरीलाल	५०.०	३०	,, पीतम पुत्र चन्दन	५०.०
१२	,, नोनी लाल पुत्र रामप्रसाद	५०.०	३१	,, केवल पुत्र चंदन	५०.०
१३	,, डोरी लाल पुत्र धन्नू	५०.०	३२	,, रामलाल पुत्र शोभाराम	५०.०
१४	,, नन्हू लाल पुत्र धन्नू	५०.०	३३	,, राम सहाय पुत्र चन्दन	५०.०
१५	,, डाल चन्द पुत्र भूपाल	५०.०	३४	,, मानसिंह पुत्र टीकाराम	५०.०
			३५	,, थानसिंह पुत्र चन्दन	५०.०
			३६	,, रामस्वरूप पुत्र शोभाराम	५०.०
ग्राम हियोरनियाजागीर					
१६	श्री बदलू पुत्र बरकतउल्ला	५०.०			
ग्राम पचपेड़ा					
१७	श्री हेमराज पुत्र खुशाली	५०.०			
१८	,, मुन्नालाल पुत्र टीकाराम	५०.०			
१९	,, धरमाई पुत्र मोहनलाल	५०.०			

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 24 एल० ए०—१९७२—८४५ (हि०) ।